Drishti IAS

एडिटोरियल

(संग्रह)

नवंबर

2022

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar,
Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440,
Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

- भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को पुनर्जीवित करना 3
- एमएसएमई क्षेत्र में सुधार 5
- श्वसन के अधिकार पर खतरा 6
- नागरिक केंद्रित डिजिटलीकरण 9
- वैश्विक ऊर्जा इक्विटी 12
- लैंगिक समानता और समान नागरिक संहिता 14
- सौर ऊर्जा और भारत का शुद्ध-शून्य लक्ष्य 16
- विकलांगता को समाप्त करना 17
- ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना 19
- अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक करना 21
- राज्यपाल और राज्य विधानमंडल 23
- भूजल संरक्षण: बेशकीमती संसाधन 25
- जनजातियों को मुख्यधारा में लाना 26
- जनजातियों को मुख्यधारा में लाना 28
- आतंकवाद के खतरे पर अंकुश 30
- भारत की आसियान से मित्रता 31
- भारत के मुक्त व्यापार समझौतों में संशोधन 33
- स्पॉटलाइटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश 34
- सतत् शहरी नियोजन की ओर 37
- भारत में स्टार्ट-अप को बढ़ावा 38
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की विकासात्मक आवश्यकताएँ 40
- भारत की कुपोषण समस्या का समाधान 42
- प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान केंद्रित करना 43
- परिवर्तनकारी न्यायिक क्रांति का समय 45
- भारत का हरित-ऊर्जा संक्रमण 46
- चुनाव के संरक्षक निकाय को मज़बूत करना 49
- दृष्टि एडिटोरियल अभ्यास प्रश्न 51

दृष्टि The Vision

नोट :

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को पुनर्जीवित करना

संदर्भ

समय के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System) में आया परिवर्तन उल्लेखनीय रहा है। अपरिपक्व, आदिम और प्रथागत कानूनी व्यवस्था से लेकर वर्तमान, आधुनिक जटिल न्यायिक ढाँचा तक की इसकी यात्रा अपराधों और प्रशासन की लगातार उभरती एवं बदलती प्रकृति का परिणाम रही है।

- उपर्युक्त कारकों के संश्लेषण ने भारतीय न्याय वितरण प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता बढ़ा दी है। यह वहनीय एवं प्रभावी विवाद समाधान तंत्रों और प्रौद्योगिकी-संचालित त्वरित परीक्षण (speedy trials) की मांगों को रेखांकित करती है, ताकि न्याय वितरण ढाँचे में सक्षम 'गेम-चेंजिंग' परिवर्तन के लिये भारत को तैयार किया जा सके।

भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली की संरचना

- भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली उन सरकारी एजेंसियों से मिलकर बनी है जो कानून का प्रवर्तन करती हैं, अपराधों का अधिनिर्णय करती हैं और आपराधिक व्यवहार में सुधार लाती हैं।
- इसमें चार उप-प्रणालियाँ शामिल हैं:
  - विधायिका (संसद)
  - प्रवर्तन (पुलिस तंत्र)
  - अधिनिर्णय (न्यायालय)
  - सुधार (कारावास, सामुदायिक सुविधाएँ)

भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली का विकास

- भारतीय इतिहास के पूरे कालक्रम में विभिन्न शासकों के अधीन विभिन्न भूभागों में विभिन्न आपराधिक न्याय प्रणालियों का विकास हुआ और उन्होंने प्रमुखता प्राप्त की।
- ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आपराधिक कानूनों को संहिताबद्ध किया गया था, जो अभी तक प्राय: अपरिवर्तित रूप में बनी हुई हैं।
- भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC) भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है जिसे वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत वर्ष 1834 में स्थापित पहले विधि आयोग की अनुशंसा के अनुरूप वर्ष 1860 में तैयार किया गया था।
- इसी क्रम में, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure- CrPC) भारत मंल आपराधिक कानून के प्रशासन हेतु प्रक्रियाएँ प्रदान करती है। इसे वर्ष 1973 में अधिनियमित किया गया था और यह 1 अप्रैल 1974 से प्रभावी हुआ।

भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित वर्तमान समस्याएँ

- **लंबित मामले:** वर्ष 2022 के आँकड़ों के अनुसार, न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर भारतीय न्यायालयों में 4.7 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। मुकदमेबाजी की बढ़ती प्रवृत्ति के बीच अधिकाधिक लोग और संगठन अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। लेकिन मुकदमों की संख्या में इस तेज़ वृद्धि के साथ इनकी सुनवाई के लिये उपलब्ध न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त कम है।
  - इसके अलावा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau- NCRB) के भारतीय कारावास आँकड़े (Prison Statistics India) के अनुसार भारतीय कारावास में बंद लोगों में से 67.2% विचाराधीन कैदी (trial prisoners) हैं।
- **औपनिवेशिक प्रकृति:** आपराधिक न्याय प्रणाली के सारभूत एवं प्रक्रियात्मक—दोनों ही पहलुओं को ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में देश पर शासन करने के उद्देश्य से अभिकल्पित किया गया था।
  - इस परिदृश्य में 19वीं सदी के इन कानूनों 21वीं सदी में प्रासंगिकता निश्चय ही बहस का विषय है।
- **न्यायिक आदेशों का सुस्त प्रवर्तन:** न्यायपालिका और पुलिस के बीच समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप न्यायालय के निर्णय प्राय: वास्तविक धरातल पर उतरने के बजाय कागजों पर ही बने रहते हैं।
  - उदाहरण के लिये, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act 2000) की धारा 66A कंप्यूटर या किसी अन्य संचार उपकरण के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने के लिये दंड का निर्धारण करती है।
    - लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 66A को निरस्त किये जाने के बाद भी पुलिस द्वारा इसके तहत गिरफ्तारियाँ की जाती रहीं। यह समन्वय की कमी और निर्णयों को धरातल पर लागू करने की विफलता को प्रकट करता है।
- **कारावास में अमानवीय व्यवहार:** वर्षों से आलोचकों द्वारा बंदियों के प्रति जेल कर्मचारियों के उदासीन और यहाँ तक कि अमानवीय व्यवहार के बारे में बार-बार शिकायत की जाती रही है। इसके साथ ही, हिरासत में बलात्कार और मौतों के विभिन्न मामले सामने आते रहे हैं जो कैदियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन की पुष्टि करते हैं।
- **भाषाई बाधाएँ:** वर्तमान संवैधानिक योजना के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिये आधिकारिक भाषा

अंग्रेज़ी है (जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे- अनुच्छेद 348(1))।

- विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों के लिये सांविधिक भाषा की जटिलता कानूनी व्यवस्था को समझना कठिन बना देती है।
- यह भाषाई अवरोध अपने अधिकारों के बारे में उनकी समझ को सीमित करता है, उनकी जागरूकता की कमी को सघन करता है और उन्हें न्याय तक पहुँच सकने से प्रभावी रूप से अवरुद्ध करता है।

आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिये हाल की प्रमुख पहलें

- न्याय वितरण और कानूनी सुधार के लिये राष्ट्रीय मिशन
- एआई-आधारित पोर्टल: SUPACE
- इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) प्रोजेक्ट
- सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग

आगे की राह

- **पुनर्स्थापनात्मक न्याय (Restorative Justice):** कानून में सुधार लाने के प्रयासों में अपराध पीड़ितों (crime victims) के अधिकारों की पहचान पर विशेष बल दिया जाना चाहिये। पीड़ित एवं साक्षी संरक्षण योजनाओं (victim and witness protection schemes) की शुरुआत करना, पीड़ित प्रभाव बयानों (victim impact statements) का उपयोग करना और पीड़ित के मुआवजे एवं बहाली के अधिकारों (victim compensation and restitution rights) को सुदृढ़ करना न्याय बहाल करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा।
  - वी.एस. मलीमथ समिति (वर्ष 2003) और 268वीं भारतीय विधि आयोग रिपोर्ट (वर्ष 2017) ने आरोपित को जमानत देने या जमानत रद्द करने में पीड़ित की भागीदारी के अधिकार का समर्थन किया और जमानत के मामलों में 'पीड़ित प्रभाव मूल्यांकन' रिपोर्ट का सुझाव दिया।
- **न्यायिक सेवा की शक्ति बढ़ाना:** इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (वर्ष 2020) ने उजागर किया है कि भारत में प्रत्येक 50,000 नागरिकों पर मात्र एक न्यायाधीश की सेवा उपलब्ध है। अधीनस्थ स्तर पर अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर न्यायिक सेवाओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करने की आवश्यकता है। सुधार की शुरुआत पिरामिड के निचले स्तर से होनी चाहिये।
  - अधीनस्थ न्यायपालिका को सुदृढ़ करने के एक उपाय के रूप में इसे दस्तावेजों के डिजिटलीकरण सहित तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान की जानी चाहिये ताकि जाँच एवं परीक्षण में तेज़ी लाने में मदद मिल सके।
  - इसके अलावा, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का संस्थानीकरण सही दिशा में बढ़ाया गया कदम हो सकता है।
- **पुलिस बल में सुधार:** एक प्रगतिशील, आधुनिक भारत में एक ऐसा पुलिस बल होना चाहिये जो लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की पूर्ति करे। इस क्रम में 21वीं सदी के साइबर एवं आर्थिक अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये पुलिस अधिनियम में सुधार लाने और हमारे पुलिस बल के कौशल को उन्नत करने की आवश्यकता है।
  - 'प्रताप सिंह बनाम भारत संघ' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस प्रणाली में सुधार का सुझाव देते हुए दिशानिर्देश जारी किये हैं, जिसमें विधि-व्यवस्था बनाए रखने और जाँच कार्य करने के पुलिस के दायित्वों को पृथक करने की भी बात कही गई है।
- **न्यायिक 'बैकलॉग' से निपटना:** त्वरित सुनवाई का अधिकार आपराधिक न्याय के लिये मूलभूत है। मामलों के बैकलॉग को दूर करने के लिये न्यायपालिका को अदालती प्रक्रिया में कई सुधारों को अपनाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही, यह मामूली अपराधों के मध्यस्थता (Mediation, Arbitration) जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र और उचित केस प्रबंधन के लिये प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग जैसे उपायों पर बल दे सकती है।
- **न्यायिक भाषा की समता (Judicial Language Parity):** न्याय का संचार उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि न्याय का निर्धारण। आम नागरिक के भरोसे को जीवंत करने के लिये कानूनी प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिये कि भाषाई अवरोधों को दूर करे ताकि गैर-अंग्रेज़ी भाषियों के लिये न्यायालयों में प्रवेश की प्रक्रिया कम बोझिल बने।
  - भाषाई अवरोधों को दूर करना देश की कानूनी व्यवस्था के 'भारतीयकरण' की दिशा में एक कदम होगा।
- **मृत्युदंड के मामले में मानकों को बढ़ाना:** सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया है कि मृत्युदंड का निर्णय लेते समय दोषी की सामाजिक पृष्ठभूमि, आयु, शैक्षिक स्तर आदि का भी ध्यान रखा जाना चाहिये।
  - हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने मृत्युदंड का निर्णय लेते समय संभावित शमनकारी परिस्थितियों (mitigating circumstances) पर विचार करने हेतु दिशानिर्देश तैयार करने पर भी बल दिया है।

नोट :

एमएसएमई क्षेत्र में सुधार

संदर्भ

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (Micro, Small and Medium Enterprises- MSMEs) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में व्यापक योगदान देता है। उल्लेखनीय है कि इसका विशाल नेटवर्क विनिर्माण उत्पादन में लगभग 45% की हिस्सेदारी रखता है।

- MSMEs लगभग 110 मिलियन रोज़गार अवसर प्रदान करते हैं जो भारत में कुल रोज़गार का 22-23% है। कृषि क्षेत्र के बाद यह दूसरा सबसे अधिक योगदान है। हालाँकि इस क्षेत्र के समक्ष अभी भी कई चुनौतियाँ मौजूद हैं। उद्यम (UDYAM) प्लेटफॉर्म पर महज 15% MSME इकाइयों ने स्वयं को पंजीकृत कराया है। इस क्षेत्र की विजातीयता, खंडीकरण और अनौपचारीकरण इसमें सुधारों की आवश्यकता को उजागर करते हैं।
- अवसंरचना विकास, प्रौद्योगिकी अंगीकरण और बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज के क्षेत्रों में लक्षित नीतियों के निर्माण से MSMEs को अपनी पूरी क्षमता को साकार करने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को उच्च विकास पथ पर ले जाने में मदद मिल सकती है।

भारत के लिये MSME क्षेत्र का क्या महत्त्व है?

- **ग्रामीण विकास के लिये वरदान:** वृहत स्तर की कंपनियों की तुलना में MSMEs ने न्यूनतम पूंजी लागत पर ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगीकरण में सहायता दी है। इस क्षेत्र ने देश के ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है और प्रमुख उद्योगों को भी पूरक सहायता प्रदान की है।
- **'मेक इन इंडिया' अभियान में अग्रणी योगदानकर्ता:** भारत का लक्ष्य है कि 'मेक इन इंडिया' के तहत निर्मित उत्पाद गुणवत्ता के वैश्विक मानकों का पालन करते हुए 'मेड फॉर द वर्ल्ड' के ध्येय को भी साकार करें। MSME इस अभियान में केंद्रीय भूमिका ग्रहण कर रहा है। इस स्वप्न को को साकार करने में MSMEs को 'रीढ़ की हड्डी' के रूप में देखा जाता है।
- **उद्यमों के लिये सरल प्रबंधन संरचना:** भारत की मध्यवर्गीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए MSME एक लचीलापन प्रदान करता है कि इसे निजी स्वामित्व व नियंत्रण में सीमित संसाधनों के साथ शुरू किया जा सकता है। इससे निर्णय लेना आसान और कुशल हो जाता है।
  - इसके विपरीत, एक बड़े निगम को प्रत्येक विभागीय कार्यकरण के लिये एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है क्योंकि इसकी एक जटिल संगठनात्मक संरचना होती है।
- **आर्थिक विकास और लेवेरेज निर्यात (Leverage Exports):** यह भारत में सबसे महत्त्वपूर्ण विकास प्रेरक है जो सकल घरेलू उत्पाद में 8% का योगदान करता है।
  - आजकल बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ छोटे उद्यमों से अर्द्ध-निर्मित और सहायक उत्पाद खरीद रही हैं। यह भारत के MSME आधार और बड़ी कंपनियों के बीच संबंध निर्माण की अपार संभावनाएँ प्रदान करता है।

भारत में MSME क्षेत्र के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ

- **वित्तीय बाधा:** भारतीय अर्थव्यवस्था में छोटी फर्मों और व्यवसायों के लिये वित्त तक पहुँच हमेशा से समस्याग्रस्त रहा है। यह व्यवसायों के साथ-साथ MSME क्षेत्र के लिये एक बड़ी बाधा है।
  - हालाँकि, इसके बारे में सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि केवल 16% SMEs को ही समय पर वित्त की सुविधा मिल पाती है, जिसके परिणामस्वरूप लघु और मध्यम फर्मों को अपने स्वयं के संसाधनों पर निर्भर रहने के लिये विवश होना पड़ता है।
- **नवाचार की कमी:** भारतीय MSMEs में नवाचार की कमी है और उनके द्वारा उत्पादित अधिकांश उत्पाद पुरानी प्रौद्योगिकियों पर आधारित हैं। इस क्षेत्र में उद्यमियों की भारी कमी है जिसने इसे नई प्रौद्योगिकियों और साधनों को अपना सकने से अवरुद्ध कर रखा है।
  - परिणामस्वरूप MSMEs को पुरानी पड़ चुकी प्रौद्योगिकी के साथ-साथ विशेष रूप से बड़ी फर्मों की तुलना में उत्पादकता के निम्न स्तर के साथ संघर्ष करना पड़ा है।
- **छोटी फर्मों का बहुमत:** MSMEs में सूक्ष्म और लघु व्यवसायों की हिस्सेदारी 80% से अधिक है। इस प्रकार, संवाद एवं जागरूकता की कमी के कारण वे सरकार के आपातकालीन 'लाइन ऑफ क्रेडिट', 'स्ट्रेस्ड एसेट रिलीफ', इक्विटी भागीदारी और 'फंड ऑफ फंड ऑपरेशन' का लाभ नहीं उठा पाते हैं।
- **MSMEs में औपचारिकता का अभाव:** MSMEs में औपचारिकता का अभाव है और यह क्रेडिट अंतराल में योगदान देता है।
  - देश में विनिर्माण क्षेत्र के लगभग 86% लगभग MSMEs पंजीकृत नहीं हैं। आज भी लगभग 1.1 करोड़ MSMEs ही वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) के तहत पंजीकृत हैं।

MSMEs से संबंधित हाल की प्रमुख सरकारी पहलें

- एमएसएमई प्रदर्शन को बेहतर करने और इसकी गति में तेज़ी लाने की योजना (Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP) Scheme)

नोट :

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड (Credit Guarantee Trust Fund for Micro & Small Enterprises- CGTMSE)
- ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (Interest Subsidy Eligibility Certificate- ISEC)
- नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता के संवर्द्धन के लिये योजना (A Scheme for Promoting Innovation, Rural Industry & Entrepreneurship- ASPIRE)
- प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी (Credit Linked Capital Subsidy for Technology Upgradation- CLCSS)

आगे की राह

- **विनियामक तंत्र (Regulatory Mechanism):** डेटा अर्थव्यवस्था के बढ़ते महत्त्व के साथ यह आवश्यक हो गया है कि सरकार MSMEs को सलाह एवं परामर्श देने के लिये एक स्वतंत्र निकाय का गठन करे और उन्हें आर्थिक आघात से बचाने हेतु नियामक उपाय करे।
- **आपूर्ति श्रृंखला वित्त (Supply Chain Finance):** यह MSMEs की तत्काल कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मदद कर सकता है। यह उन्हें जल्दी भुगतान करने या उन पर बकाया निधियों तक त्वरित पहुँच प्राप्त करने और उनकी विनिर्माण गतिविधि में शून्य दोष और शून्य प्रभाव (Zero Defect & Zero Effect- ZED) अभ्यासों को शामिल करने का अवसर दे सकता है।
  - लेनदेन को स्वचालित करने के लिये प्रौद्योगिकी-सक्षम प्लेटफ़ॉर्म बनाए जा सकते हैं जिससे MSMEs के लिये भुगतान को ट्रैक करना आसान हो जाएगा।
    - इस तरह के निर्बाध और त्वरित वित्तपोषण के साथ MSMEs आसानी से व्यापार विस्तार में निवेश कर सकते हैं, नए कच्चे माल की खरीद कर सकते हैं या अपनी सूची को अद्यतन कर सकते हैं।
- **सरकारी परियोजनाओं को स्थानीय MSMEs से जोड़ना:** सरकार प्रस्तावित सार्वजनिक खरीदों एवं परियोजनाओं का लाभ उठाकर घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के सृजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
  - उदाहरण के लिये, सागरमाला, भारतमाला और औद्योगिक गलियारों जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं को MSME क्षेत्र से जोड़ा जा सकता है।
- **'इंडस्ट्री-एकेडेमिया चैनल':** विनिर्माण क्षेत्र में उभरती आवश्यकताओं की पहचान करने और रोज़गार योग्य कार्यबल तैयार करने के लिये सरकारी उद्योग और शिक्षा जगत के बीच एक वृहत संबंध की आवश्यकता है, जो औद्योगिक क्रांति 4.0 में योगदान कर सकेगा।
- **समर्पित MSME पोर्टल:** MSME औपचारीकरण और पंजीकरण के लिये एक पोर्टल का निर्माण किया जा सकता है। यह न केवल पारदर्शिता लाएगा बल्कि धोखाधड़ी एवं डेटा दुरुपयोग को कम करने में भी मदद करेगा।
  - इसे MSMEs के लिये एक पूर्ण बाज़ार के रूप में भी विकसित किया जा सकता है जिसके माध्यम से विक्रेता फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज विकसित कर सकते हैं।
  - आधार या पैन का उपयोग सभी अनुपालन उद्देश्यों के लिये एक विशिष्ट पहचान पत्र के रूप में किया जा सकता है। इसके साथ ही, एक विक्रेता के रूप में वार्षिक पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिये या इसे इस पहचान पत्र के माध्यम से संपन्न किया जा सकता है।
- **विवाद समाधान के लिये ई-कोर्ट्स:** राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की कार्यवाही में प्रायः MSME क्षेत्र के लिये बहुमूल्य वित्तीय संसाधनों की निकासी होती है।
  - मामलों के त्वरित निपटान के लिये, ऋण समाधान हेतु वैकल्पिक तरीकों को अपनाकर (जैसे ई-कोर्ट्स के माध्यम से) NCLT ढाँचे को मज़बूत करने की आवश्यकता है।
- **क्षेत्र के अंदर डिजिटल अंगीकरण को प्रोत्साहित करना:** MSMEs क्षेत्र के अंदर डिजिटल अंगीकरण (विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसी विघटनकारी तकनीकों के अंगीकरण) को प्रोत्साहित करने से यह उद्योग एक प्रौद्योगिकीय उछाल प्राप्त कर सकता है।

श्वसन के अधिकार पर खतरा

संदर्भ

हाल के वर्षों में वायु प्रदूषण की समस्या में व्यापक वृद्धि हुई है और अधिकांश भारतीय शहरों की वायु गुणवत्ता सुरक्षित स्तरों के WHO दिशानिर्देशों की पूर्ति कर सकने में विफल रही है।

- 'द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ' (The Lancet Planetary Health) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में वायु प्रदूषण भारत में 16.7 लाख मौतों के लिये ज़िम्मेदार था (उस वर्ष देश में हुई सभी मौतों का 17.8%) और सिंधु-गंगा मैदान में वायु प्रदूषण की यह समस्या सबसे गंभीर थी। घरों में ईंधन के रूप में बायोमास का उपयोग भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों का सबसे

बड़ा कारण था, जिसके बाद दूसरे स्थान पर कोयले के दहन का योगदान था।

- 5 और PM10 के स्तर के साथ-साथ सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2) जैसे खतरनाक कैंसरकारक पदार्थों की सांद्रता अधिकांश भारतीय शहरों में खतरनाक स्तर तक पहुँच गई है, जिसने लोगों को श्वसन-संबंधी बीमारियों एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के अतिरिक्त जोखिम में डाल दिया गया है।
- देश में जिस दर से वायु प्रदूषण की वृद्धि हो रही है, तत्काल कार्रवाई एक परम आवश्यकता बन गई है। इस परिदृश्य में, इस समस्या पर नियंत्रण के लिये सरकार के प्रयासों को पुनर्जीवन देना आवश्यक हो गया है।

वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत

- **शहरीकरण (Urbanisation):** बढ़ता शहरीकरण और निर्माण जैसी मानव गतिविधियाँ वायु प्रदूषक उत्सर्जन और खराब वायु गुणवत्ता के प्रमुख कारण हैं।
  - अनुमान किया जाता है कि वर्ष 2030 तक वैश्विक आबादी का लगभग 50% शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहा होगा जो वायु प्रदूषण में और योगदान करेगा।
  - शहरीकरण के परिणामस्वरूप सड़कों पर वाहनों की उपस्थिति व्यापक रूप से बढ़ी है जो यातायात की भीड़ में योगदान करते हैं और इससे उस विशेष क्षेत्र की वायु गुणवत्ता काफी हद तक प्रभावित होती है।
- **जीवाश्म ईंधन का दहन:** जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन से वायु प्रदूषण होता है। इन ईंधनों में कोयला, तेल और गैसोलीन शामिल हैं जिनका उपयोग बिजली एवं परिवहन हेतु ऊर्जा उत्पादन के लिये किया जाता है।
  - जब जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है तो वे केवल CO_2 ही उत्सर्जित नहीं करते। उदाहरण के लिये, अकेले कोयला-संचालित बिजली स्टेशन ही भारत में हानिकारक पारा उत्सर्जन (mercury emissions) में 80% की हिस्सेदारी रखते हैं।
  - वातावरण में धूल (कणिका प्रदूषण) का एक बड़ा भाग जीवाश्म ईंधन दहन से उत्सर्जित होता है।
- **औद्योगिक उत्सर्जन:** पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एवं 10, NO_2, SO_2, और CO प्रमुख प्रदूषक हैं जो उन उद्योगों से उत्सर्जित होते हैं जो अपने माल के उत्पादन के लिये कोयले एवं लकड़ी को प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं।
- **कृषि और संबद्ध स्रोत:** कृषि उद्योग प्रदूषण के स्रोतों में से एक है जहाँ पशुधन खाद एवं उर्वरकों से उत्पन्न अमोनिया वातावरण को प्रदूषित करता है।
  - इसके अलावा, पराली दहन (stubble burning) भी उत्तरी भारत में, विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में से एक है।
- **घरेलू प्रदूषण:** घरों में जहरीले उत्पादों का उपयोग (जिन्हें वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (Volatile Organic Compounds- VOCs) के रूप में भी जाना जाता है), अपर्याप्त वेंटिलेशन, असमान तापमान और आर्द्रता का स्तर घरेलू या आंतरिक वायु प्रदूषण (indoor air pollution) का कारण बन सकता है।
  - वुड स्टोव या स्पेस हीटर का उपयोग आर्द्रता के स्तर को बढ़ाने में सक्षम है जो प्रत्यक्ष रूप से कुछ ही समय में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।
    - आंतरिक वायु प्रदूषण में मौजूद कैंसरकारक तत्वों एवं जहरीले पदार्थों से होने वाले फेफड़ों के कैंसर 17% मौतों का कारण बनते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन प्रेरित वनाग्नि:** ग्रीनहाउस प्रभाव (greenhouse effect) के कारण औसत तापमान में दिनानुदिन वृद्धि हो रही है। तापमान में वृद्धि वनाग्नि (Wildfire) की घटनाओं में वृद्धि कर रही है।
  - जलवायु परिवर्तन न केवल वनाग्नि की घटनाओं को बढ़ा रहा है बल्कि वायु प्रदूषण की भी वृद्धि कर रहा है। यह हवा में PM2.5 की वृद्धि का कारण बनता है जो रासायनिक गैस एवं पराग जैसे अन्य पदार्थों से संयुक्त हो धूम-कोहरा या 'स्मॉग' (smog) बनाता है।

भारत में वायु प्रदूषण से संबद्ध प्रमुख मुद्दे

- **ग्रामीण क्षेत्रों की अनदेखी:** भारत में वायु प्रदूषण को आमतौर पर शहरों की समस्या और शहरों द्वारा उत्पन्न समस्या के रूप में देखा जाता है। स्वाभाविक रूप से फिर समाधान भी शहरों को ही केंद्र में रखकर विचार किये गए हैं। खराब वायु गुणवत्ता में सुधार की पहल ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकट रूप अनुपस्थित रही है।
  - 96% वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन शहर की सीमाओं के भीतर अवस्थित हैं और आसपास के ग्रामीण बस्तियों को अपने दायरे में नहीं लेते हैं।
  - शहरी क्षेत्रों में भी टियर-2 और टियर-3 शहरों पर कम ध्यान दिया गया है। उदाहरण के लिये, भारत में राष्ट्रीय परिवेश निगरानी कार्यक्रम (National Ambient Monitoring Programme- NAMP) के तहत 804 मैनुअल मॉनिटरिंग स्टेशन के साथ ही 274 रीयल-टाइम मॉनिटरिंग स्टेशन (CAAQMS) मौजूद हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश टियर-1 शहरों में स्थित हैं और कुछ ही टियर-2 शहरों में हैं।

- इसके साथ ही, कई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ अपने सांविधिक कार्य दायित्व को पूरा करने में विफल रही हैं।

- **भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:** विश्व बैंक के 'भारत में चुनिंदा पर्यावरणीय चुनौतियों का निदानात्मक आकलन' (Diagnostic Assessment of Select Environmental Challenges in India) शीर्षक रिपोर्ट में कहा गया है कि वायु प्रदूषण की वार्षिक लागत, विशेष रूप से पार्टिकुलेट मैटर (जीवाश्म ईंधन दहन से उत्पन्न) से होने वाले प्रदूषण के कारण, देश के सकल घरेलू उत्पाद की 3% है। इसी प्रकार, बाह्य वायु प्रदूषण 1.7% और आंतरिक वायु प्रदूषण 1.3% की लागत लाता है।
  - स्पष्ट है कि वायु प्रदूषण भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक रूप से अपना प्रभाव डालता है।
- **स्वास्थ्य के लिये खतरा:** वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक (Air Quality Life Index- AQLI) दर्शाता है कि पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण संचारी रोगों की तुलना में जीवन प्रत्याशा को कम करने में कहीं अधिक योगदान करते हैं।
  - प्राकृतिक गैस और जीवाश्म ईंधन दहन से उत्पन्न प्रदूषकों से युक्त हवा के श्वसन से हृदय की पर्याप्त ऑक्सीजन पंप करने की क्षमता कम हो जाती है। इससे व्यक्ति विभिन्न श्वसन एवं हृदय संबंधी विकारों से पीड़ित होता है।
    - इसके अलावा, नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल वर्षा (acid rain) के लिये ज़िम्मेदार होते हैं जो त्वचा कैंसर की संभावना को बढ़ाती है।
    - केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव-जंतु भी वायु प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। यह उनके फेफड़ों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, अस्थमा उत्पन्न करता है और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी रोग का कारण बनता है।
- **महिलाओं पर असंगत प्रभाव:** अध्ययन से पुष्टि हुई है कि बायोमास दहन से होने वाले घरेलू वायु प्रदूषण से महिलाएँ अधिक प्रभावित होती हैं।
  - वायु प्रदूषण का संबंध गर्भपात, गर्भावस्था की जटिलताओं और मृत शिशु जन्म के उच्च दर से भी देखा गया है, जो महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।
- **पारिस्थितिक असंतुलन:** वायु प्रदूषण कई तरह से फसलों और पेड़ों को हानि पहुँचा सकता है। भूमि-तलीय ओज़ोन (Ground-level ozone) कृषि उत्पादकता एवं वाणिज्यिक वन उपज में कमी, वृक्ष नवांकुरों की वृद्धि एवं उत्तरजीविता में कमी और रोगों, कीटों एवं अन्य पर्यावरणीय तनावों (जैसे कठोर मौसम) के प्रति पादप संवेदनशीलता में वृद्धि का कारण बन सकता है।

वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु भारत की प्रमुख पहलें

- वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली (SAFAR) पोर्टल
- ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (दिल्ली के लिये)
- टर्बो हैप्पी सीडर और माइक्रोब पूसा (पराली दहन में कमी लाने के लिये)
- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (NAMP)

आगे की राह

- शून्य उत्सर्जन को मानवाधिकारों से संबद्ध करना: वायु प्रदूषण को महज एक पर्यावरणीय चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि मानव अधिकार के एक मुद्दे के रूप में अधिक मान्यता देने की आवश्यकता है। इसे मानवाधिकार के मुद्दे के रूप में वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के मिशन से संबद्ध किया जाना चाहिये।
  - संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने भी एक संकल्प पारित किया है जहाँ स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण के अधिकार को मानवाधिकार के रूप में चिह्नित किया है।
- **हरित-संक्रमण वित्त (Green-Transition Finance):** एक ऐसा वित्तीय ढाँचा तैयार करने की आवश्यकता है जो भारत में स्वच्छ वात समाधानों के लिये निजी वित्त जुटा सके। स्वच्छ ऊर्जा और ई-मोबिलिटी जैसे हरित क्षेत्र वायु गुणवत्ता में सुधार के लिये ठोस समाधान प्रदान करते हैं।
  - एक समर्पित हरित फोकस के साथ वित्त से संबंद्ध एक निवेश कोष विकास को उत्प्रेरित करने और इसके साथ ही वायु प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन की दोहरी समस्याओं को संबोधित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
  - एक आरंभ करते हुए सबसे पहले कम से कम केंद्र सरकार के उपयोग के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की खरीद को अनिवार्य कर देना चाहिये।
- **औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र के लिये दाम-दंड उपागम:** नीति आयोग ने वायु प्रदूषण के प्रति कई यूरोपीय देशों में अपनाए गए दाम-दंड नीति (carrot-and-stick policy) का प्रयोग करने का सुझाव दिया है।
  - दाम-दंड एक प्रेरक दृष्टिकोण है जिसमें 'दाम' (अच्छे व्यवहार के लिये पुरस्कृत करने) और 'दंड (खराब व्यवहार के लिये दंडित करने) की पेशकश शामिल होती है।

नोट :

- **निर्माण के लिये रेडीमेड कंक्रीट:** विस्तारित होते शहरों में हवा में प्रदूषकों के लिये निर्माण कार्यों से उत्पन्न धूल एक प्रमुख योगदानकर्ता है। इस स्थिति से निपटने के लिये नीति आयोग ने रेडीमेड कंक्रीट के उपयोग का सुझाव दिया है जो भवन निर्माण गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभावों को कम कर सकता है।
- **अकुशल बिजली संयंत्रों को बंद करना:** पुराने बिजली संयंत्र मुख्यत: कोयले का उपयोग करते हैं और वायु प्रदूषण में भारी योगदान करते हैं।
  - इन संयंत्रों को बंद कर दिया जाना चाहिये और इनके स्थान पर कुशल सुपर-थर्मल संयंत्र या अक्षय ऊर्जा पर आधारित बिजली जनरेटर स्थापित किया जाना चाहिये।
- **रूफ-टॉप सोलर पावर जनरेटर को बढ़ावा देना:** वायु प्रदूषण को कम करने के लिये सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना एक महत्त्वपूर्ण उपाय है जिसे अपनाने की आवश्यकता है।
  - सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये और इस क्रम में रूफ-टॉप सोलर पैनल पावर जनरेटर को बढ़ावा देना चाहिये।
  - इसके साथ ही, संचालन के लिये नियमों, विनियमों और लीजिंग नीति के सरलीकरण और बिजली वितरण सुधारों की आवश्यकता है।
- **एकीकृत निगरानी मंच:** भारत को स्वास्थ्य एवं जोखिम निगरानी के लिये एक एकीकृत निगरानी मंच की आवश्यकता है।
  - जैविक एवं पर्यावरणीय निगरानी के माध्यम से जनसंख्या जोखिम निगरानी (Population exposure surveillance) खराब वायु गुणवत्ता के जोखिम से अवगत करा सकती है।
- **उत्सर्जन में कमी से व्यय की बचत:** विश्व बैंक के हाल के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक पार्टिकुलेट उत्सर्जन में 30% की कमी से भारत को स्वास्थ्य संबंधी लागतों में 105 बिलियन डॉलर की बचत होगी।
  - भारत की राष्ट्रीय स्वच्छ वायु रणनीति (National Clean Air Strategy) का लक्ष्य वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन को 30% तक कम करना है।

नागरिक केंद्रित डिजिटलीकरण

संदर्भ

डिजिटल अवसंरचना का उभार नागरिकों के लिये बिजली, जल और सड़क जैसी पारंपरिक अवसंरचना आवश्यकताओं के समान या उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण अवसंरचना आवश्यकता के रूप में हुआ है। कोविड-19 महामारी ने न केवल वैश्विक व्यवस्था को बदल दिया है, बल्कि इसने लगातार बढ़ती डिजिटल अवसंरचना को भी गति प्रदान की है।

- किसी समाज के कार्यकरण और उसके नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता के लिये डिजिटल अवसंरचना अनिवार्य हो गई है। भारत में लगभग आधा बिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और बड़ी संख्या में स्वदेशी डिजिटल सेवाओं के साथ अनुमान है कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का व्यापक रूपांतरण होगा।
- किसी डिजिटल अर्थव्यवस्था की सफलता के लिये आवश्यक है कि यह महत्त्वपूर्ण सेवाओं के लिये सभी नागरिकों को एकसमान अवसर और पहुँच प्रदान करे। भारत को अपनी शक्ति की पहचान करनी होगी। उसे एक नागरिक केंद्रित डिजिटल अर्थव्यवस्था हेतु एक ढाँचे के निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।

भारत की डिजिटल क्रांति में नागरिक केंद्रीयता की वर्तमान स्थिति

- भारत सरकार का डिजिटल इंडिया कार्यक्रम देश के कोने-कोने तक हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। इसके अलावा, यह नागरिकों की सुविधा और शासन में सुधार के लिये विभिन्न प्रकार की डिजिटल सेवाओं की स्थापना का लक्ष्य रखता है।
- डिजिटल इंडिया के तहत शामिल कुछ प्रमुख परिवर्तनकारी डिजिटल प्लेटफार्म हैं:
  - **MyGov:** इसने एक साझा डिजिटल प्लेटफार्म प्रदान कर देश में नागरिक संलग्नता एवं भागीदारी शासन की सुदृढ़ नींव रखी है, जहाँ नागरिक सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के संबंध में अपने विचार साझा कर सकते हैं।
  - **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface- UPI):** यह मोबाइल फोन के माध्यम से अंतर-बैंक लेनदेन की सुविधा के लिये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India- NPCI) द्वारा विकसित एक तत्काल वास्तविक समय भुगतान प्रणाली (instant real-time payment system) है।
    - वर्ष 2021 में UPI के माध्यम से लगभग 39 बिलियन लेनदेन हुए (कुल राशि 940 बिलियन अमेरिकी डॉलर)। यह राशि भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 31% के बराबर है।
  - **डिजिटल लॉकर/डिजिलॉकर (DigiLocker):** यह उपयोगकर्त्ताओं को उनके दस्तावेज़ सत्यापन एवं भंडारण हेतु डिजिटल स्पेस प्रदान कर पेपरलेस शासन को सक्षम कर रहा है।

- **मेघराज (MeghRaj):** क्लाउड कंप्यूटिंग के उपयोग और इसके लाभों का दोहन करने के लिये सरकार ने जीआई क्लाउड (GI Cloud) की एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है जिसे मेघराज नाम दिया गया है।
  - इस पहल का मुख्य ध्येय सरकार के ICT व्यय को इष्टतम करते हुए देश में ई-सेवाओं के वितरण में तेज़ी लाना है।
- **स्वयं और स्वयंप्रभा:** स्वयं (SWAYAM) पोर्टल 2,000 से अधिक खुले पाठ्यक्रम प्रदान कर शिक्षा प्रणाली को रूपांतरित करने की ओर अग्रसर है। स्वयंप्रभा (SWAYAMPRABHA) उच्च गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिये समर्पित 32 DTH टीवी चैनलों का एक समूह है।

भारत में नागरिक-केंद्रित डिजिटलीकरण के मार्ग की प्रमुख बाधाएँ

- **डिजिटलीकरण प्रेरित केंद्रीकरण:** चूँकि डिजिटल प्रौद्योगिकी शासन को एकीकृत करती है और केंद्र सरकार अधिकांश डेटा धारण करती है, केंद्रीकरण (centralisation) केंद्र और राज्यों के बीच कलह का कारण बन सकता है।
  - यह तब और अधिक प्रासंगिक बन जाता है जब वित्तीय सहायता के लिये एक पूर्व शर्त के रूप में डेटा साझाकरण के लिये केंद्र सरकार द्वारा विशिष्ट मानक निर्धारित किये जाते हैं।
- **'डिजिटल डिवाइड':** डिजिटल निरक्षरता का उच्च स्तर प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन के मामले में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती और बाधा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में इंटरनेट साक्षरता के मामले में भारत को 120 देशों के बीच 73वें स्थान पर रखा गया था।
  - इसके अलावा, डिजिटल सेवाएँ स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं हैं, जो डिजिटल साक्षरता के लिये एक प्रमुख बाधा है।
- **भ्रामक सेवा रणनीतियाँ:** डिजिटल जगत में सेवाओं का 'फ्री' होना एक मिथक मात्र है। निजीकरण (Personalization) डेटा पर आधारित होता है। उपयोगकर्ताओं के लिये इसके लाभों के बावजूद, फर्मों द्वारा एकत्रित निजी डेटा का उपयोग लक्षित विज्ञापन एवं अन्य उत्पादों/सेवाओं की क्रॉस-सेलिंग के माध्यम से पैसा कमाने के लिये किया जाता है।
  - जब तक इन सेवाओं को विनियमित नहीं किया जाता, तब तक निष्पक्ष डिजिटलीकरण संभव नहीं होगा।
- **डिजिटलीकरण की विषमता:** शहरी और ग्रामीण भारत के बीच एक व्यापक डिजिटल अवसंरचनागत अंतराल मौजूद है। वित्तपोषण की समस्या अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना निर्माण की लागत को पूरा करने में सक्षम नहीं है।
  - निजी दूरसंचार उद्योग के तेज़ विकास के साथ सक्षम निजी क्षेत्र संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में टावरों के निर्माण से बचते हैं क्योंकि वे इसे व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाते हैं।
    - वर्तमान में 25,000 से अधिक गाँव मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित हैं क्योंकि इन स्थानों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करना व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं माना गया।
- **'बिग टेक' का प्रभुत्व:** बिग टेक कंपनियाँ उपभोक्ता निष्ठा अर्जित करने के बजाय उसकी खरीद के लिये प्रतिस्पर्द्धियों का अधिग्रहण कर लेती हैं। वे एक व्यवसाय में अपने बाजार प्रभुत्व का लाभ उठाते हुए दूसरे व्यवसायों में आधिपत्य प्राप्त कर लेते हैं जहाँ उपभोक्ताओं को अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पारितंत्र तक सीमित कर देते हैं।

आगे की राह

- **उभरती प्रौद्योगिकियों की खोज:** ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियों के साथ शासन को एकीकृत करने की आवश्यकता है जो भारत में डिजिटल क्रांति को सुदृढ़ करेगा और पारदर्शिता एवं सूचना विकेंद्रीकरण को बढ़ाएगा।
  - इसके साथ ही, क्वांटम टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक विनियमित तरीके से विस्तार भारत के लिये वास्तविक समय आधारित अर्थव्यवस्था (real-time based economy) के लिये नए अवसर के द्वार खोलेगा।
- **एकीकृत डिजिटल वातावरण:** हमारे नियामक तंत्र को डेटा प्राइवेसी के उभरते जोखिमों को समझने में सक्षम होना चाहिये और फर्मों का उचित सुरक्षा उपाय करने के संबंध में मार्गदर्शन करना चाहिये।
  - विनियमों को डिजिटल बाज़ार के लिये एक प्रतिस्पर्द्धी माहौल का निर्माण करना चाहिये और एक कुशल सहन क्षमता प्रदान की जानी चाहिये ताकि अवलंबी को असफल होने का भय न रखें (क्योंकि इस उद्योग में विफल होने वाले स्टार्टअप्स की संख्या सफल होने वाले स्टार्टअप्स से कहीं अधिक है)।
- **'बॉटम-अप डिजिटलाइजेशन':** नागरिकों को ई-सेवाएँ प्रदान करने के लिये पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) को डिजिटल एक्सेस प्वाइंट के रूप में पुनर्जीवित किया जा सकता है, जो सरकार और गामीण नागरिकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हुए सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता का सुधार करेंगे।

- **सहकारी और प्रतिस्पर्द्धी डिजिटल संघवाद:** चूँकि भारतीय राज्य ई-रेडीनेस के मामले में अलग-अलग स्तर रखते हैं, देश भर में ई-गवर्नेंस सुधारों को लागू करते समय इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिये।
  - इसके साथ ही, वर्तमान में देश में कई सफल परियोजनाएँ चल रही हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित हैं। सफल मॉडलों को पूरे देश में दोहराने तथा उन्हें और बेहतर बनाने की आवश्यकता है।
- **नवाचार और सुरक्षा का सह-अस्तित्व:** एक ऐसी डिजिटल दुनिया का सह-निर्माण एवं सह-स्वामित्व जिसमें नवाचार और सुरक्षा का सह-अस्तित्व हो, अनिवार्य है। इसे प्राप्त करने के लिये, प्रौद्योगिकी उद्योग एवं नियामकों/सरकारी निकायों को सार्थक रूप से सहयोग करने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही एक वृहत परिप्रेक्ष्य को साकार करने के लिये उन्हें अपने नियामक दृष्टिकोणों में सामंजस्य स्थापित करना होगा।
  - अभी जब भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है, वह इस पुन:अभिकल्पित डिजिटल अर्थव्यवस्था का वास्तुकार बन सकता है ताकि विश्व जब भी डिजिटल के बारे में सोचे तो उसे भारत की याद आए।

ओवर-द-टॉप की चुनौतियाँ

संदर्भ

फिल्म और टीवी शो हमेशा सिनेमा हॉल/थिएटर और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से देखे जाते रहे हैं। लेकिन आजकल उन्नत प्रौद्योगिकी ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग या ओवर-द-टॉप (OTT) सेवाओं के माध्यम से फिल्म/मूवी/शो देखना अधिक सुविधाजनक बना दिया है।

- वर्ष 2017 से 2022 के बीच भारतीय मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग के समग्र विकास में ओवर-द-टॉप (OTT) वीडियो स्ट्रीमिंग ने 46% हिस्सेदारी दर्ज की।
- इसके साथ ही टेलीकॉम कंपनियों (Telcos) और ओटीटी प्रदाताओं के बीच एक तीव्र बहस की शुरूआत हुई है। टेलीकॉम कंपनियों का आरोप है कि ओटीटी अपनी अवसंरचना पर 'फ्री राइड' ले रहे हैं और उन्हें एक 'एक्सेस चार्ज' (Access Charge) चुकाना चाहिये। इस परिदृश्य में, उभरते मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग के सुचारू कार्यकरण के लिये इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या हैं?

- ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑडियो एवं वीडियो होस्टिंग और स्ट्रीमिंग सेवाएँ हैं, जो कॉन्टेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू हुए, लेकिन फिर जल्द ही लघु फ़िल्मों, फीचर फिल्मों, वृत्तचित्रों और वेब-सीरीज़ के निर्माण एवं रिलीज से भी संलग्न हो गए।
  - नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेज़ॅन प्राइम, हुलु, प्लूटो टीवी आदि कुछ प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं।
- ये प्लेटफॉर्म कई प्रकार के कॉन्टेंट उपलब्ध कराते हैं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग कर प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की पूर्व की गतिविधियों के आधार पर उन्हें कॉन्टेंट के सुझाव देते हैं।
- भारत वर्तमान में विश्व का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ ओटीटी बाज़ार है और वर्ष 2024 तक विश्व के छठे सबसे बड़े बाज़ार के रूप में उभरने के लिये तैयार है।

भारत में ओटीटी के विकास के लिये उत्तरदायी कारक

- शहरीकरण और पश्चिमीकरण: बड़े शहरों की ओर प्रवास और मीडिया के उपभोग में सांस्कृतिक परिवर्तन ने ओटीटी के अनुकूलित (Customized) इंटरफेस को उपयोगकर्ताओं के लिये और अधिक आकर्षक बना दिया है।
- डिजिटल सेवाओं तक पहुँच: कम मूल्यों पर हाई-स्पीड मोबाइल इंटरनेट, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में दोगुनी वृद्धि, डिजिटल भुगतान के बढ़ते प्रयोग आदि ने ओटीटी को एक प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त प्रदान की है।
- मीडिया का लोकतंत्रीकरण: ओटीटी उद्योग भारत में बड़ी संख्या में ऐसे छोटे कॉन्टेंट निर्माताओं और कलाकारों को लाभान्वित करता है, जिन्होंने अपने शिल्प में महारत हासिल की है।
  - यह देश भर में और साथ ही साथ विश्व स्तर पर क्षेत्रीय फ़िल्मों तक पहुँच को भी सुगम बनाने में मदद करता है।
- सुविधाएँ: सीमित विज्ञापन, पॉज़ एंड प्ले विकल्प, किसी भी समय कहीं भी (जैसे यात्रा करते समय) मूवी स्ट्रीम कर सकने के अवसर आदि ने संयुक्त रूप से भारत में ओटीटी उद्योग के आकर्षक विकास को बढ़ावा दिया है।

ओटीटी प्लेटफॉर्म का विनियमन

- भारत सरकार ने ओटीटी सेवा प्रदाताओं और डिजिटल कॉन्टेंट प्रदाताओं को विनियमित करने हेतु नए नियमों की घोषणा की है।
  - इन नए नियमों को 'सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021' के रूप में जाना जाता है ।
    - नए नियमों के अनुसार ओटीटी प्लेटफॉर्मों को सामग्री को पाँच आयु-आधारित श्रेणियों में स्व-वर्गीकृत करना होगा: U (यूनिवर्सल/सभी के लिये), U/A (7 वर्ष से अधिक के दर्शकों के लिये), U/A (13 वर्ष से अधिक के दर्शकों के लिये), U/A (16 वर्ष से अधिक के दर्शकों के लिये) और A (वयस्क दर्शकों के लिये)।
    - ये नियम ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिये एक आचार संहिता और एक त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के साथ एक मृदु स्व-नियामक संचरना का भी निर्धारण करते हैं।

- प्रत्येक पब्लिशर को शिकायतें प्राप्त करने और 15 दिनों में उनका निवारण करने के लिये भारत में कार्यरत एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी।

- लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्री-स्क्रीन कॉन्टेंट को विनियमित करने के लिये फिलहाल कोई नियम या प्राधिकार मौजूद नहीं है। हालाँकि, सरकार के पास आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत कुछ सूचनाओं को सार्वजनिक पहुँच से प्रतिबंधित करने के लिये निर्देश जारी करने की शक्तियाँ मौजूद हैं।

भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म से संबद्ध प्रमुख मुद्दे

- **प्रत्यक्ष विनियमन का अभाव:** ओटीटी प्लेटफॉर्मों के विनियमन के लिये कोई अलग कानून या निकाय मौजूद नहीं है। वे केवल इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeITy) द्वारा शासित होते हैं ।
- **साइबर अपराध का खतरा:** ओटीटी प्लेटफॉर्म की सदस्यता लेने की प्रक्रिया में लोग अपनी गोपनीय जानकारी (जैसे बैंक विवरण, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि) साझा करते हैं जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है या जहाँ साइबर अपराध का खतरा मौजूद होता है।
- **दूरसंचार राजस्व स्ट्रीम पर प्रभाव:** वॉयस कॉल और एसएमएस संदेशों के लिये व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म एयरटेल एवं जियो जैसे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त नेटवर्क अवसंरचना का उपयोग करते हैं।
  - दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (Telecom Service Providers- TSPs) का आरोप है कि ये सुविधाएँ वॉयस कॉल, एसएमएस आदि के रूप में उनके राजस्व प्रवाह को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं।
- **समाज के नैतिक ताने-बाने के लिये जोखिम:** आलोचकों ने हमेशा इस ओर ध्यान दिलाया है कि इन प्लेटफॉर्मों पर मौजूद कॉन्टेंट में व्याप्त फूहड़ता एवं अश्लीलता युवाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है।
  - सेंसरशिप की कमी के कारण ओटीटी प्लेटफॉर्म के कॉन्टेंट सामाजिक सद्भाव और समाज के नैतिक ताने-बाने को प्रभावित कर सकते हैं।

आगे की राह

- **निष्पक्ष नियामक निकाय की तैनाती:** वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कॉन्टेंट को विनियमित करने के लिये एक निष्पक्ष नियामक निकाय की आवश्यकता है।
  - सरकार को उपभोक्ता हित और साइबर धोखाधड़ी के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ओटीटी पर कॉन्टेंट के सृजन के लिये सख्त दिशानिर्देश लागू करने चाहिये; साथ ही व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसी ओटीटी संचार सेवाओं के लिये हल्के विनियमनों (light-touch regulations) का प्रबंध करना चाहिये।
- **गुणवत्ता बनाए रखना, समानता को बढ़ावा देना:** सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को ओटीटी प्लेटफॉर्मों में उत्पादित होने वाले डिजिटल कॉन्टेंट की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिये, लोगों की भावनाओं को महत्त्व देना चाहिये और नई प्रतिभा एवं सामाजिक कॉन्टेंट को प्रोत्साहित करना चाहिये।
- **दर्शकों की ज़िम्मेदारी:** यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि घरों में बच्चे ओटीटी कॉन्टेंट तक अबाध पहुँच नहीं रखते हों, जब तक कि अंडरएज कॉन्टेंट तक पहुँच को सीमित करने के उद्देश्य से एक सख्त पहुँच एवं नियामक नीति स्थापित न हो गई हो।

वैश्विक ऊर्जा इक्विटी

संदर्भ

पिछले वर्ष ग्लासगो में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) के क्रम में कई विकसित देशों ने वर्ष 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (Net-Zero Emissions) का लक्ष्य प्राप्त करने की अपनी मंशा की घोषणा की थी। यद्यपि ये घोषणाएँ '1.5 डिग्री सेल्सियस को बनाए रखने' की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थीं।

- वैश्विक कार्बन बजट का 4/5 हिस्सा पहले ही उपयोग किया जा चुका है। विकसित देश वैश्विक CO_2 उत्सर्जन के आधे से अधिक भाग के लिये ज़िम्मेदार हैं। लेकिन वैश्विक ऊर्जा निर्धनता (global energy poverty) विकासशील देशों में संकेंद्रित है।
- इसके अतिरिक्त, 20 सबसे गरीब देशों की तुलना में 20 सबसे अमीर देशों का औसत प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग 85 गुना अधिक है।
- इस पृष्ठभूमि में, COP27 ऊर्जा तक पहुँच से संबंधित चिंताओं को चिह्नित करने और उनका समाधान करने तथा ऊर्जा असमानता पर अंकुश रखने के दृष्टिकोण से एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

ऊर्जा निर्धनता क्या है?

- विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum-WEF) के अनुसार ऊर्जा निर्धनता (Energy Poverty) सतत्/संवहनीय आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक पहुँच की कमी की स्थिति है।
  - यह उन सभी परिस्थितियों में पाया जा सकता है जहाँ विकास का समर्थन कर सकने के लिये पर्याप्त, सस्ती, विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त ऊर्जा सेवाओं की कमी है।

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency- IEA) का अनुमान है कि दुनिया भर में लगभग 2 बिलियन लोग ऊर्जा निर्धनता का सामना कर रहे हैं।

ऊर्जा असमानता का वैश्विक व्यवस्था से संबंधित:

- ऊर्जा असमानता (Energy Inequality) वैश्विक दक्षिण (Global South) पर असंगत रूप से अधिक बोझ रखती है।
- वैश्विक दक्षिण के ऊर्जा आयातक देशों के गरीब और कमज़ोर समुदाय इससे सबसे अधिक पीड़ित हैं।
    - एशिया और अफ्रीका के लगभग 90 मिलियन लोग, जिन्हें हाल ही में बिजली की सुविधा प्राप्त हुई, अपने ऊर्जा बिलों का भुगतान कर सकने में असमर्थ हैं।
    - वैश्विक असमानता की वास्तविकता कोविड-19 महामारी के दौरान स्पष्ट रूप से उजागर हुई। उत्तर-कोविड अवधि में अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देश गंभीर कृषि एवं औद्योगिक मंदी का सामना कर रहे हैं।
- एक ऐसे समय जब ऊर्जा निर्धनता और ऊर्जा सुरक्षा का विषय एक बार फिर वैश्विक उत्तर (Global North) की चर्चाओं में प्रवेश कर रहा है, यह उपयुक्त समय है कि दुनिया के कुछ सबसे गरीब क्षेत्रों को वैश्विक उत्तर द्वारा जीवाश्म ईंधन के उपयोग एवं उनके आयात पर दी जाती सलाह में निहित पाखंड को संबोधित किया जाए।

वैश्विक उत्तर का ऊर्जा पाखंड

- **डीकार्बोनाइज़ेशन के लिये प्रतिबद्धता:** मानवजनित ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को स्वीकार करने और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) में जलवायु परिवर्तन शमन हेतु प्रतिबद्धता जताने के 30 वर्षों बाद की वस्तुस्थिति यह है कि वैश्विक उत्तर में डीकार्बोनाइजेशन का स्तर अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है।
    - अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में ही प्राथमिक ऊर्जा का 81% जीवाश्म ईंधन से प्राप्त किया जाता है।
    - इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022 में अमेरिका और यूरोपीय संघ देशों में कोयले की खपत में भी क्रमशः 3% और 7% की वृद्धि होने का अनुमान किया गया है।
- **यूरोप के आरोप:** वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के एक भाग के रूप में, यूरोप ने भारत पर रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस से तेल प्राप्त करने के नाम पर युद्ध का वित्तपोषण ('funding war') का आरोप लगाया है।
    - यूरोप की ऊर्जा खपत: यूरोप में जीवाश्म ईंधन ऊर्जा खपत में 76% (कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस का योगदान क्रमशः 11%, 31% और 34%) की हिस्सेदारी रखता है।
        - नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन यूरोपीय संघ के देशों को रूस से आयात होने वाली कुल गैस के लगभग 35% की आपूर्ति करती है।
    - यूरोप के आरोप की प्रतिक्रिया में भारत सरकार ने निम्नलिखित तरीके से जवाब दिया:
        - यदि यूरोपीय देश ऊर्जा सौदों को इस तरह से प्रबंधित करते हैं जो उनकी अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है तो यह स्वतंत्रता या विकल्प अन्य देशों के लिये भी मौजूद हो।
        - भारत वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में तीव्र अस्थिरता के बीच अपने नागरिकों के लिये सबसे अच्छा सौदा पाने हेतु कार्यरत है और ''इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिये।''

भारत की ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ

- **आयात पर अत्यधिक निर्भरता:** आयातित तेल पर अपनी बढ़ती निर्भरता के साथ भारत की ऊर्जा सुरक्षा गंभीर दबाव की शिकार है और वर्तमान में अवरुद्ध वैश्विक आपूर्ति शृंखला इस समस्या को और गंभीर बना रही है।
- **विलंबित घरेलू उत्पादन:** कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस भारत में ऊर्जा के सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। अपर्याप्त घरेलू आपूर्ति का एक प्रमुख कारण नियामक और पर्यावरण मंज़ूरी से संबंधित देरी है (जिससे कोयले का खनन सबसे अधिक प्रभावित होता है)।
- **वहनीयता संबंधी चिंता:** तेल के लिये उच्च सब्सिडी के दावों के बावजूद भारत पेट्रोल की वहनीयता के मामले में निम्न रैंकिंग रखता है।
    - पेट्रोलियम उत्पादों के उच्च मूल्य प्रत्यक्ष रूप से उच्च खुदरा मुद्रास्फीति में योगदान करते हैं।
        - डीजल मूल्य भारत में माल ढुलाई लागत में 60-70% हिस्सेदारी रखते हैं। माल ढुलाई की उच्च लागत हर क्षेत्र में उत्पादों के मूल्य वृद्धि में योगदान करती है।

आगे की राह

- **नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर ध्यान केंद्रित करना:** नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न ऊर्जा स्वच्छ, हरित और अधिक संवहनीय है।
    - नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ निम्न-कार्बन विकास रणनीतियों में योगदान देने के अलावा भारतीय कार्यबल के लिये रोज़गार के अवसर पैदा कर सकती हैं।
- **ऊर्जा जागरूकता:** हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले ऊर्जा अभियान आयोजित करना और न्यूनतम संभव स्तर पर कुशल ऊर्जा खपत के बारे में जागरूकता बढ़ाना बेहद आवश्यक है।

नोट :

- **लक्ष्यों को कार्यान्वयन योग्य कार्रवाई में बदलना:** शून्य भूख, शून्य कुपोषण, शून्य गरीबी और सार्वभौमिक कल्याण जैसे सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये ऊर्जा सुरक्षा अत्यंत महत्त्वपूर्ण होगी।
    - ऊर्जा संवहनीयता को उपयुक्त प्रकार से कार्यान्वित करने के लिये ऊर्जा संसाधनों के प्रभावी उपयोग हेतु प्रौद्योगिकी विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिये।
    - इसके साथ ही, नीतियों के सही मायने में क्रियान्वयन की निगरानी के लिये स्थानीय स्तर पर एक निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
- **वैश्विक ऊर्जा समानता की ओर:** COP27 में सभी चर्चाओं के केंद्र में ऊर्जा पहुँच में असमानता के प्रश्न को गंभीरता से उठाया जाना चाहिये। COP27 का थीम/स्ट्रैपलाइन- 'कार्यान्वयन के लिये एक साथ' (Together for Implementation) विभिन्न देशों की संबंधित क्षमताओं के अनुरूप बोझ साझा करने और अलग-अलग लेकिन महत्त्वपूर्ण ज़िम्मेदारियों के साथ मिलकर कार्य करने का सुझाव देती है।
    - इसके साथ ही, ऊर्जा समता की दिशा में आगे बढ़ने के लिये न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा पहुँच और ऊर्जा न्याय पर समर्पित एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन की स्थापना की जानी चाहिये।

लैंगिक समानता और समान नागरिक संहिता

संदर्भ:

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है और इसका अर्थ यह है कि राज्य किसी धर्म विशेष का समर्थन नहीं करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जो धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद (अनुच्छेद 14-18) समता को और लैंगिक आधार पर गैर-भेदभाव को अनिवार्य बनाते हैं। हालाँकि, कई कानून मौजूद हैं जो स्पष्ट रूप से इन सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और विशेष रूप से कुछ समुदायों के पर्सनल लॉ (Personal laws) में बने रहे हैं, जहाँ ऐसे प्रावधान शामिल हैं जिन्हें महिलाओं के विरुद्ध अत्यधिक भेदभावपूर्ण माना जाता है।

भारतीय आबादी में लगभग आधी हिस्सेदारी के साथ महिलाएँ एक लैंगिक रूप से न्यायपूर्ण संहिता की माँग करती रही हैं ताकि वे भी समता और न्याय का उपभोग कर सकें, चाहे वे किसी भी समुदाय से संबंधित हों। लेकिन भारत में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- UCC) के आदर्श को अभी तक हासिल नहीं किया जा सका है।

चूँकि समान नागरिक संहिता राजनीतिक रूप से एक संवेदनशील विषय है, हमारे संविधान निर्माता भी एक समझौते की स्थिति में रहे और इसे उन्होंने अनुच्छेद 44 के अंदर राज्य नीति के एक निदेशक सिद्धांत के रूप में शामिल किया।

चूँकि भारत लैंगिक समता के लिये प्रयासरत है, देश के लिये UCC की प्रासंगिकता पर गहनता से विचार किया जाना आवश्यक है।

समान नागरिक संहिता क्या है ?

- राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (DPSP) के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि पूरे देश में नागरिकों के लिये समान नागरिक संहिता (UCC) सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है।
- इसका मुख्य उद्देश्य भारत में प्रत्येक प्रमुख धार्मिक समुदाय के धर्मग्रंथों और रीति-रिवाजों के आधार पर प्रचलित व्यक्तिगत कानूनों को प्रत्येक नागरिक को एकसमान रूप से नियंत्रित करने वाले नियमों के एक सामान्य समूह से प्रतिस्थापित करना है।
- UCC में 'यूनिफॉर्म' या समान का अर्थ है:
    - समुदायों के बीच कानूनों की एकरूपता/एकसमता।
    - समुदायों के भीतर कानूनों की एकरूपता ताकि पुरुषों एवं महिलाओं के अधिकारों के बीच समानता सुनिश्चित हो।

भारत में UCC की दिशा में किये गए प्रमुख प्रयास

- **विशेष विवाह अधिनियम, 1954:** वर्ष 1954 का विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act of 1954)किसी भी नागरिक के लिये, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, सिविल मैरेज का प्रावधान करता है; इस प्रकार, किसी भी भारतीय को किसी भी धार्मिक व्यक्तिगत कानून की सीमाओं के बाहर विवाह करने की अनुमति देता है।
- **शाह बानो केस, 1985:** इस मामले में शाह बानो के भरण-पोषण के दावे को ठुकरा दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 (जो पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के रखरखाव के संबंध में सभी नागरिकों पर लागू होता है) के तहत उसके पक्ष में निर्णय दिया था।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने यह अनुशंसा भी की थी कि लंबे समय से लंबित समान नागरिक संहिता को अंततः अधिनियमित किया जाना चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सरला मुद्गल मामले (1995) और पाउलो कॉटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ा वेलेंटीना परेरा मामले (2019) में भी सरकार से UCC लागू करने का आह्वान किया।

UCC के पक्ष में तर्क

- **युवाओं की आकांक्षाओं को समायोजित करना:** जैसे-जैसे दुनिया डिजिटल युग की ओर आगे बढ़ रही है, युवा आबादी की

सामाजिक दृष्टि और आकांक्षा समानता, मानवता एवं आधुनिकता के सार्वभौमिक एवं वैश्विक सिद्धांतों से प्रेरित होकर आकार ग्रहण कर रही है।

- इस प्रकार, समान नागरिक संहिता के अधिनियमन से राष्ट्र निर्माण की दिशा में उनकी पूरी क्षमता को साकार कर सकने में मदद मिलेगी।

- **राष्ट्रीय एकता का समर्थन:** संविधान सभी नागरिकों को विधि न्यायालयों के समक्ष समान व्यवहार की गारंटी प्रदान करता है चाहे वह आपराधिक कानून हो या अन्य नागरिक कानून (व्यक्तिगत कानूनों को छोड़कर)।
  - इस प्रकार, समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन सभी के लिये समान व्यक्तिगत कानून प्रदान करेगा, जिसके परिणामस्वरूप भेदभाव या रियायतों के मुद्दों का राजनीतिकरण समाप्त हो जाएगा। यह समुदाय विशेष द्वारा उनके विशिष्ट धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर उपभोग किये जाते असाधारण लाभ की स्थिति को भी समाप्त कर देगा।
- **पितृसत्तात्मक मानसिकता से ऊपर उठना:** अधिकांश धर्मों के मौजूदा व्यक्तिगत कानून समाज के उच्चवर्गीय पितृसत्तात्मक अवधारणाओं पर आधारित हैं। इस प्रकार, समान नागरिक संहिता का संहिताकरण एवं कार्यान्वयन पितृसत्तात्मक रूढ़िवादिता की पवित्रता या स्वीकृति को नष्ट कर सकेगा।
  - इस प्रकार, समान नागरिक संहिता लैंगिक समानता को बढ़ावा देगी और पुरुषों एवं महिलाओं दोनों को बराबरी के स्तर पर लाएगी।
- **न्यायिक प्रक्रिया के लिये सुविधाजनक:** देश में हिंदू संहिता, शरिया कानून आदि कई व्यक्तिगत कानून मौजूद हैं। इतने सारे कानूनों की उपस्थिति व्यक्तिगत मामलों के निर्णय में भ्रम, जटिलता और विसंगतियाँ उत्पन्न करती है, जिसके परिणामस्वरूप विलंबन या अपूर्ण न्याय की स्थिति भी बनती है।
  - UCC न्यायपालिका को कुशलतापूर्वक और उचित समय सीमा के भीतर न्याय कर सकने में सक्षम करेगी।

UCC के विरुद्ध तर्क

- **21वीं विधि आयोग की रिपोर्ट:** भारत के विधि आयोग का मत है कि देश में किसी समान नागरिक संहिता का होना व्यक्तिगत/पारिवारिक कानूनों में निहित संघर्षों को सुलझाने के लिये न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय।
  - आयोग ने कहा है कि कई देश अब विभिन्न समूहों में अंतर या विविधता को स्वीकार करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और केवल अंतर का अस्तित्व में होना भेदभावपरक नहीं माना जा सकता, बल्कि यह तो एक मज़बूत लोकतंत्र का संकेतक है।
  - इसलिये, आयोग ने व्यक्तिगत कानूनों में व्याप्त भेदभाव एवं असमानता से निपटने के लिये मौजूदा पारिवारिक कानूनों में संशोधन का सुझाव दिया है, न कि उनके बीच अंतरों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए।
- **सांस्कृतिक रूप से विविध भारत के प्रतिकूल:** भारत में धर्मों, संप्रदायों, जातियों, राज्यों आदि में व्यापक विविधतपूर्ण संस्कृति के कारण विवाह जैसे व्यक्तिगत मुद्दों के लिये समान नियमों का एक समूह लागू कर सकता कठिन है और इसमें कई व्यावहारिक जटिलताएँ सामने आएँगी।
- **धार्मिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। समान नागरिक संहिता को कई समुदायों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा अपनी धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25) के लिये एक खतरे के रूप में देखा जाता है ।
  - वे मानते हैं कि समान नागरिक संहिता उनकी परंपराओं की उपेक्षा करेगी और ऐसे नियम लागू करेगी जो मुख्य रूप से बहुसंख्यक धार्मिक समुदायों से प्रभावित होंगे।
- **जनजातियों के स्वदेशी अधिकारों के विरुद्ध:** नगा समुदाय ने दावा किया है कि UCC के कार्यान्वयन से उनकी संस्कृति और गरिमा के लिये स्पष्ट अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं।
  - यह संभावित रूप से सामाजिक अव्यवस्था का कारण बन सकता है, क्योंकि जनजातियों का व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन देश के अन्य लोगों से व्यापक रूप से अलग है।

निष्कर्ष

- UCC के लक्ष्य को आदर्श रूप से एक सर्वव्यापक दृष्टिकोण के बजाय एक परत -दर-परत दृष्टिकोण के माध्यम से खंडों में प्राप्त किया जाना चाहिये। समान संहिता कोड की तुलना में एक न्यायसंगत संहिता का होना कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है।
- समान नागरिक संहिता का खाका तैयार करते समय UCC की सामाजिक अनुकूलन क्षमता पर भी विचार करने की आवश्यकता है। चाहे सभी धर्मों के लिये एक ही कानून बनाया जाए या अलग-अलग धर्मों/समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों में सुधार किया जाए, वे लैंगिक न्याय पर आधारित होने चाहिये और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि हमारे संविधान में निहित समता का सिद्धांत बरकरार रहे।
- सार यह है कि सरकार और समाज को एक समान नागरिक समाज की ओर आगे बढ़ने के लिये भरोसे का निर्माण करने की आवश्यकता है जहाँ मानवाधिकारों के प्रति का सम्मान हो और लैंगिक समानता को प्रोत्साहन दिया जाता हो। इस स्थिति का निर्माण किसी समान नागरिक संहिता से अधिक महत्त्वपूर्ण है।

सौर ऊर्जा और भारत का शुद्ध-शून्य लक्ष्य

संदर्भ:

विश्व एक 'सौर क्रांति' (Solar Revolution) की कगार पर है। सौर ऊर्जा न केवल विश्व का सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, इसकी व्यापक स्वीकृति के साथ यह अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई के क्रियान्वयन के लिये सामान्य ऊर्जा अनिवार्यता भी बन गई है।

कई देश सौर ऊर्जा को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस दिशा में अपने अग्रणी प्रयासों के साथ भारत वह वृहतता और वहनीयता प्रदान करता है जो वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिये आवश्यक है। सौर ऊर्जा न केवल विकासशील देशों में ऊर्जा पहुँच और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, बल्कि विकसित देशों में भी ऊर्जा संक्रमण को सुगम बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान कर रही है।

अन्य ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर प्रौद्योगिकीय श्रेष्ठता के बावजूद सौर ऊर्जा को एक प्रमुख चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि वैश्विक फोटोवोल्टिक (PV) विनिर्माण आपूर्ति शृंखला कुछ ही देशों में संकेंद्रित है, जिसके परिणामस्वरूप हाल में कीमतों में वृद्धि की स्थिति बनी क्योंकि मौजूदा सीमित आपूर्ति शृंखलाएँ इसकी पूर्ति में अक्षम थीं।

सौर ऊर्जा भारत में विकास को कैसे सुगम बना सकती है?

- **रोज़गार सृजन:** सौर क्षेत्र में नए रोज़गार अवसर सृजित करने की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं। सौर विनिर्माण प्रतिष्ठान का 1 गीगावाट लगभग 4000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार अवसर उत्पन्न करता है।
  - इसके अलावा सौर परिनियोजन, संचालन और रखरखाव इस क्षेत्र में अतिरिक्त आवर्ती रोज़गार का सृजन कर सकते हैं।
- **पर्यावरण विकास:** भारत की ऊर्जा मांग वृहत रूप से ऊर्जा के गैर-नवीकरणीय स्रोतों द्वारा पूरी की जाती हैं।
  - इन जीवाश्म संसाधनों की कमी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता पर बल देती है। सौर ऊर्जा की प्रचुरता भारत की स्वच्छ ऊर्जा मांगों को पूरा कर सकती है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** एक विकासशील अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत को औद्योगिक विकास और कृषि के लिये पर्याप्त मात्रा में बिजली की आवश्यकता है।
  - बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता एवं न्यूनतम लागत की स्थिति प्राप्त करने और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने में सौर ऊर्जा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- **सामाजिक विकास:** पावर कट और बिजली की अनुपलब्धता की समस्या, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अनुपयुक्त मानव विकास की ओर ले जाती है।
  - सौर ऊर्जा का उपयोग भारत के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी सामाजिक विकास को सक्षम बना सकता है।

भारत में सौर ऊर्जा से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ

- **आयात पर अत्यधिक निर्भरता:** भारत अभी भी सोलर मॉड्यूल के लिये चीन जैसे अन्य देशों पर व्यापक रूप से निर्भर है।
  - सौर मूल्य शृंखला में बैकवर्ड एकीकरण का अभाव है क्योंकि भारत के पास सोलर वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन के निर्माण की क्षमता मौजूद नहीं है।
  - वर्ष 2021-22 में भारत ने अकेले चीन से ही लगभग 76.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के सौर सेल एवं मॉड्यूल आयात किये, जो उस वर्ष भारत के कुल आयात का 78.6% था।
- **भूमि की कमी:** भूमि-आधारित सौर परियोजनाओं को स्थापित करने के लिये एक विशाल भूक्षेत्र की आवश्यकता होती है। भारत में प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता बहुत कम है और भूमि एक दुर्लभ संसाधन है।
  - सबस्टेशनों के पास सौर सेल स्थापित करने से भूमि के एक छोटे से क्षेत्र के लिये अन्य भूमि-आधारित आवश्यकताओं के साथ प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति बन सकती है।
- **लागत और T&D (Transmission and Distribution) में हानि:** सौर ऊर्जा को लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता और अन्य ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकियों से प्रतिस्पर्द्धा जैसी स्थितियों का भी सामना करना पड़ रहा है।
  - T&D हानि की लागत लगभग 40% है, जो सौर ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन को अत्यधिक अव्यवहार्य बना देता है।
- **सौर अपशिष्ट प्रबंधन नीति का अभाव:** महत्त्वाकांक्षी सौर स्थापना लक्ष्यों के बावजूद, भारत के पास अपने सौर अपशिष्ट के प्रबंधन के लिये कोई नीति नहीं है। सौर अपशिष्ट में त्यागे गए सौर पैनल जैसे अपशिष्ट शामिल हैं। अगले दस वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़ जाने का अनुमान है।
- **स्वीकार्यता संबंधी चिंता:** इस तथ्य के बावजूद कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन तकनीकों में सुधार किया गया है, इसका अभी तक व्यावसायीकरण नहीं किया गया है।
  - स्थलाकृतिक रूप से और जलवायु की दृष्टि से सूर्य की किरणें पूरे वर्ष किसी स्थान विशेष पर समान रूप से उपलब्ध नहीं होती हैं और लोगों (विशेषकर किसानों) को अभी तक

इसके लाभों एवं उपयोगों के बारे में शिक्षित नहीं किया गया है।

- **निम्न लागत-लाभ अनुपात:** स्थापित सौर क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, देश के बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान उसी गति से नहीं बढ़ा है।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 2019-20 में सौर ऊर्जा ने भारत के कुल 1390 बिलियन यूनिट (BU) बिजली उत्पादन में मात्र6% (50 BU) का योगदान किया।

भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने हेतु संबंधित सरकारी योजनाएँ:

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance- ISA)
- राष्ट्रीय सौर मिशन (National Solar Mission)
- किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM)
- वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (OSOWOG)

आगे की राह

- **सौर आत्मनिर्भरता (Solar Self Reliance):** भारत को आत्मानिर्भर भारत के विज़न का समर्थन करते हुए एक सुदृढ़ घरेलू सौर ऊर्जा बाज़ार विकसित करने की ज़रूरत है।
  - सौर पीवी निर्माण परियोजनाओं के विकास का समर्थन करने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि अपस्ट्रीम अभिकर्त्ताओं का प्रत्यक्ष समर्थन किया जाए। उदाहरण के लिये, उन्हें डिज़ाइन एवं उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (Design and Production Linked Incentives) के माध्यम से सहयोग दिया जा सकता है।
- **बायो सोलर सेल (Bio Solar Cells):** भारत सूक्ष्मजीवी प्रकाश संश्लेषक एवं श्वसन प्रक्रियाओं से बिजली पैदा कर बायो सोलर सेल के अन्वेषण की दिशा में आगे बढ़ सकता है।
- **ग्लोबल सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब:** अपनी भौगोलिक स्थिति और संसाधनों की प्रचुरता के कारण भारत ग्लोबल सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर सकता है।
  - सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के प्रयास अन्य विकासशील देशों के लिये महत्त्वपूर्ण सबक प्रदान करते रहेंगे जो स्वच्छ ऊर्जा की ओर आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं।
    - भारतीय नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) 110 सदस्यों और हस्ताक्षरकर्त्ता देशों के साथ इस बदलाव को लाने के लिये प्रयासरत है।
  - भविष्य में प्रौद्योगिकी साझाकरण और वित्त भी ISA के महत्त्वपूर्ण पहलू बन सकते हैं, जिससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न देशों के बीच सार्थक सहयोग का अवसर प्राप्त होगा।
- **शुद्ध शून्य लक्ष्य को उत्प्रेरण:** सोलर मिनी ग्रिड और सामुदायिक रूफटॉप सोलर इंस्टालेशन भारत में सौर रूपांतरण को सक्षम कर सकते हैं। स्थानीयकृत सौर ऊर्जा उस शुद्ध-शून्य भारत की आधारशिला बन सकती है जिसे हम 2070 में प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं।
- **T&D हानि को कम करना:** भारत T&D हानि को कम करने हेतु अभिनव समाधान खोजने के लिये अनुसंधान केंद्रों की स्थापना और वित्तपोषण के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकता है। यह सौर ऊर्जा क्षेत्र के खिलाड़ियों को कुछ राहत प्रदान करेगा।
  - इसके साथ ही, T&D हानि को कम करने के लिये सबस्टेशनों एवं T&D लाइनों के उन्नयन हेतु भारत विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग स्थापित कर सकता है।

विकलांगता को समाप्त करना

संदर्भ:

भारत का संविधान दिव्यांगजनों सहित सभी व्यक्तियों की समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है तथा सभी के लिये एक समावेशी समाज को अनिवार्य करता है। हालाँकि, दिव्यांगता को मापना एक जटिल परिघटना है क्योंकि अलग-अलग दृष्टिकोणों के कारण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगता की परिभाषाएँ व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न हैं।

भारत दिव्यांगजनों के अधिकारों पर अभिसमय (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) का हस्ताक्षरकर्त्ता है। हालाँकि वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने संकेत दिया कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों द्वारा 44% संकेतकों का पालन नहीं किया जाता है।

इसे भारत के संदर्भ में देखें तो न्याय तक पहुँच और समावेशी होने का अधिकार एक चुनौती है क्योंकि भारत में 'दिव्यांग' के रूप में वर्गीकृत होने के लिये कठोर शर्तें आरोपित हैं, जिन्हें संबोधित किये जाने की आवश्यकता है।

संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगता को कैसे देखता है ?

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंगीकृत दिव्यांगजनों के अधिकारों पर अभिसमय (CRPD), 2006 की प्रस्तावना में दिव्यांगता को इस रूप में वर्णित किया गया है:

- "दिव्यांगता दिव्यांगजनों और व्यवहारगत एवं पर्यावरणीय बाधाओं के बीच अंत:क्रिया उत्पन्न होती है जो अन्य व्यक्तियों के साथ समान आधार पर समाज में उनकी पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी को अवरुद्ध करती है।"

- संयुक्त राष्ट्र की यह अभिव्यक्ति दिव्यांगता के चिकित्सा मॉडल से सामाजिक मॉडल की ओर एक संक्रमण को दर्शाती है।

भारत में दिव्यांगता के संबंध में संवैधानिक प्रावधान

- **समता और गरिमा का मूल अधिकार:** भारत के संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत सभी मूल अधिकारों के पीछे व्यक्ति की समानता और गरिमा एक मौलिक धारणा है, जो दिव्यांगजनों के अधिकारों की भी रक्षा करती है।
- **राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत:** भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में घोषणा की गई है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और नि:शक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।
  - अनुच्छेद 46 राज्य के लिये यह दायित्व निर्धारित करता है कि वह कमज़ोर वर्गों के लोगों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की विशेष देखभाल करेगा और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।
- **विधायी शक्ति:** भारतीय संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण करते हुए दिव्यांगता के विषय को राज्य सूची में रखा है।

भारत में दिव्यांगजनों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

- **चिह्नित नहीं करना, विकास से वंचित करना:** भारत में दिव्यांगता को चिह्नित करने की जटिलता न केवल हमें मानव विकास के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर पीछे रखती है, बल्कि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य देखभाल एवं कल्याण तक उनकी पहुँच को सुनिश्चित करने के लिये न्यायपालिका और नौकरशाही तक पहुँच सकने से अवरुद्ध भी करती है।
  - इसके साथ ही, प्रमाणीकरण की एक परत दिव्यांगजनों (PwD), विशेष रूप से मानसिक दिव्यांगजनों को कल्याण के गलियारों तक पहुँचने से वंचित कर देती है क्योंकि उन्हें प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया जाता है।
- **अवसंरचनात्मक पहुँच का अभाव:** दिव्यांगजनों द्वारा स्वच्छता, सीढ़ी, रैंप, कैंटीन एवं मनोरंजन कक्ष, अलग वॉश रूम, उद्यान क्षेत्र जैसे बुनियादी ढाँचों के अभाव का सामना करना पड़ता है।
  - इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवा प्रतिभाशाली दिव्यांगजनों को रोज़गार अवसरों से वंचित रहना पड़ता है क्योंकि रोज़गार के अवसर प्राय: शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उन्हें कभी-कभी नौकरी छोड़नी भी पड़ती है क्योंकि परिवहन सुविधाएँ उपयुक्त नहीं होती हैं।
    - राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की रिपोर्ट के अनुसार, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगता अधिक मौजूद है।
- **समानुभूति के बजाय सहानुभूति का व्यवहार:** सहपाठियों/सहकर्मियों और शिक्षकों की असंवेदनशीलता, समावेशी शिक्षा तक पहुँच, अधिकारों का संस्थानीकरण आदि कुछ प्रमुख चिंताएँ हैं जो प्राय: दिव्यांग उम्मीदवारों द्वारा व्यक्त की जाती हैं, जिन्हें किसी तरह स्वीकार तो किया जाता है लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। नतीजतन,दिव्यांगजनों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- **समयबद्ध सर्वेक्षण का अभाव और नीति विलंबन:** विकलांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 दिव्यांग बच्चों की पहचान करने, उनकी विशेष ज़रूरतों और उनकी पूर्ति की स्थिति का पता लगाने के लिये प्रत्येक पाँच वर्ष पर स्कूल जाने वाले बच्चों के सर्वेक्षण का प्रावधान करता है।
  - लेकिन चूँकि प्राथमिक सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया गया है, इसलिये अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु नीति निर्माण अभी भी पाइपलाइन में है।
- **समावेशी शिक्षा का अभाव:** कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान कई दिव्यांग बच्चों को महामारी के प्रकोप का सामना करना पड़ा। जनभागीदारी शून्य होने के कारण, उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिये स्क्राइब, सांकेतिक भाषा के दुभाषिए आदि खोजने में संघर्ष करना पड़ा।
  - भले ही स्कूली पाठ्यक्रम को त्वरित रूप से ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित कर दिया गया था, समावेशी शिक्षण को हानि उठानी पड़ी। इसने मौजूदा समस्याओं को और कष्टजनक बनाया।
- **रोज़गार सुरक्षा का अभाव:** बेरोज़गारी प्रमुख कारकों में से एक है क्योंकि ऐसे प्रतिकूल समय में दिव्यांगजन नौकरी से निकाल दिए जाने के लिये सबसे पहले बलि का बकरा बनाए जाते हैं।
  - कंपनियों द्वारा लागत में कटौती के तरीके अपनाए जाने पर सबसे पहले उन्हें ही उनकी सेवाओं से मुक्त कर दिया जाता है।

आगे की राह

- **बजट निर्माण और योजना में पारदर्शिता:** दिव्यांगता प्रतिक्रिया योजना (Disability Response Planning) सभी मंत्रालयों के बजट का अंग हो।

- तदनुसार, शासन का नीतिगत प्रतिमान वंचित परिस्थितियों में रह रहे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने और उन्हें विकास के हर क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने की दिशा में सक्रिय हो।

- **भारतीय सांकेतिक भाषा को चिह्नित करना:** ऐसे सभी आधिकारिक संचार में ISL (Indian Sign Language) दुभाषिए को अनिवार्य किया जाना चाहिये जहाँ दिव्यांग संलग्न हों।
  - इसके अलावा,भौतिक डिज़ाइन के साथ-साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) में दिव्यांगों के लिये सुलभ कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- **अधिगम के लिये सार्वभौमिक डिज़ाइन:** स्कूलों में पाठ के योजना निर्माण और उसके वितरण में बच्चे के तंत्रिका-मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक एवं भावनात्मक प्रोफाइल आदि सभी स्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिये।
  - यूनेस्को ने दिव्यांग शिक्षार्थियों पर कोविड-19 के प्रभाव को समझने के संबंध में अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि:
    - 'अधिगम के लिये सार्वभौमिक डिज़ाइन' (Universal Design for Learning) दृष्टिकोण का उपयोग इन स्थितियों को संबोधित करने, अधिगम सामग्री विकसित करने और दूरस्थ शिक्षा की समावेशिता को बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है।
- **सामाजिक दिव्यांगता से निपटना:** दिव्यांगता को समाज में एक सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। नि:शक्तता और कुछ नहीं बल्कि अंगों से क्षीण होने के बजाय लोगों के मन की अक्षमता है।
  - समस्या तब उत्पन्न होती है जब समाज दिव्यांगजनों को एक दायित्व या 'चैरिटी' के एक मामले के रूप में देखता है।
  - 'स्पेशल किड्स' शब्द की पूरी अवधारणा ही त्रुटिपूर्ण है। कोई भी दिव्यांग व्यक्ति असाधारण रूप से व्यवहार किये जाने की इच्छा नहीं रखता है। हमें बस उनकी बुनियादी ज़रूरतों के प्रति संवेदनशीलता के निर्माण की आवश्यकता है।
  - इस प्रकार, उनके अधिकार को एक अनिवार्य कदम के रूप में मान्यता दी जानी चाहिये न कि वह दूसरों की सद्भावना पर निर्भर हो।
- **एक पार-विषयक दृष्टिकोण (Transdisciplinary Approach) अपनाना:** हमें विभिन्न स्तरों पर जागरूकता और क्षमता निर्माण करने की आवश्यकता है।
  - पारिवारिक स्तर पर जागरूकता, सामुदायिक स्तर पर संवेदनशीलता और सरकारी फ्रंटलाइन कार्यकर्त्ताओं एवं पेशेवरों के स्तर पर क्षमता की आवश्यकता है।
    - भारत पोलियो और कुष्ठ से लड़ने में सक्षम हुआ क्योंकि हमने ट्रांसडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण अपनाया। दिव्यांगता से संबद्ध कलंक को मिटाने के लिये भी इसी तरह के एक 'ट्रांसडिसिप्लिनरी मॉडल' की आवश्यकता है।

ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना

संदर्भ

भारत मुख्य रूप से एक ग्रामीण देश है जिसकी दो तिहाई आबादी और 70% कार्यबल ग्रामीण क्षेत्रों में वास करती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय में 46% का योगदान करती है। इस प्रकार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं जनसंख्या की प्रगति एवं विकास देश की समग्र प्रगति और समावेशी विकास की कुंजी है।

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता होने की आम धारणा के विपरीत वर्तमान में ग्रामीण आय की लगभग दो तिहाई गैर-कृषि गतिविधियों में सृजित होती है।
- हालाँकि ग्रामीण भारत में गैर-कृषि क्षेत्र के प्रभावशाली विकास ने महत्त्वपूर्ण रोजगार लाभ या श्रमिक उत्पादकता में विद्यमान असमानता में कमी लाने जैसे परिणाम उत्पन्न नहीं किये हैं। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संक्रमण को निर्देशित करने हेतु एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

भारत में ग्रामीण विकास से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत:** संविधान के अनुच्छेद 40 में सन्निहित राज्य नीति के एक निदेशक सिद्धांत में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिये कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक हों।
- **73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम:** 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं का गठन ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण के लिये किया गया और इन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया।
- **संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची:** इसमें कृषि विस्तार, भूमि विकास, भूमि सुधारों के कार्यान्वयन जैसे 29 कार्यों को पंचायती राज निकायों के दायरे में रखा गया है।
  - पंचायतों को ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित विषयों सहित पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर कानून द्वारा सौंपे गए विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिये योजना तैयार करने की शक्ति दी गई है।

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख मुद्दे

- **शैक्षिक जागरूकता का अभाव:** ग्रामीण भारत में स्कूली शिक्षा मुख्यत: सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों पर निर्भर है। ग्रामीण भारत के लिये शिक्षा का सफर आसान नहीं रहा है।
  - ग्रामीण स्कूलों के छात्रों की डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर शिक्षा और गैर-शैक्षणिक पुस्तकों जैसे उन्नत शिक्षण साधनों तक पहुँच नहीं है अथवा बेहद सीमित पहुँच है।
  - इसके साथ ही, ग्रामीण परिवार विभिन्न कारणों से हमेशा आर्थिक बोझ में दबे रहते हैं। उनके लिये अपने बच्चों की शिक्षा दूसरी प्राथमिकता बन जाती है; उन्हें अपने अस्तित्व के लिये आय सृजन गतिविधियों में भाग लेने के लिये विवश होना पड़ता है।
- **प्रभावी प्रशासन का अभाव:** भारत में सफल ग्रामीण विकास की राह में सबसे बड़ी समस्या है प्रशासनिक प्रणाली में पारदर्शिता की कमी।
  - इन क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता की कमी के कारण भ्रष्टाचार पनपता है। विशेष प्रयोजन एजेंसियों और पंचायतों के बीच जवाबदेही की असंगतता भी इस समस्या में योगदान देती है।
- **ग्रामीण-शहरी जल विवाद:** तीव्र शहरीकरण के परिणामस्वरूप शहरों का तेज़ी से विस्तार हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवासियों की एक बड़ी आमद ने शहरों में जल के प्रति व्यक्ति उपभोग में वृद्धि कर दी है। इसने शहरी क्षेत्रों में जल की कमी की पूर्ति के लिये ग्रामीण जल स्रोतों से जल के स्थानांतरण को गति दी है जिससे स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आवश्यकताओं की पूर्ति के एक जोखिम उत्पन्न हुआ है।
- **ग्रामीण मुद्रास्फीति:** अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का दबाव शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण भारत को अधिक प्रभावित कर रहा है।
  - राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के आँकड़ों से पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (CPI) की अधिक उच्च दर से वृद्धि हुई है।
  - उदाहरण के लिये, ग्रामीण क्षेत्रों में अनाजों की मुद्रास्फीति दर अगस्त 2022 के दौरान बढ़कर 10.08% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिये यह 8.65% थी।
- **अनियोजित प्रवासन:** अनियोजित ग्राम-से-शहर प्रवासन (विशेष रूप से बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में) शहरी सुविधाओं पर गंभीर दबाव डाल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आए कम मज़दूरी पर कार्य करने वाले प्रवासियों को अस्वच्छ एवं वंचित परिस्थितियों में रहने के लिये विवश कर रहा है।
  - यह भारत में कृषि के नारीकरण (feminisation of agriculture) की स्थिति भी उत्पन्न कर रहा है।
- **वित्तीय स्वायत्तता का अभाव:** पंचायतों को बहुत कम वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। कर दरों और राजस्व आधार के निर्धारण में ग्राम पंचायतों के पास बेहद सीमित शक्तियाँ हैं, क्योंकि इस तरह के अभ्यासों के लिये व्यापक मानदंड राज्य सरकार द्वारा तय किये जाते हैं।
  - परिणामस्वरूप, लंबवत अंतराल की सीमा और सशर्त अनुदान की मात्रा बहुत अधिक है।
    - यह ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता को कम करता है और उनके लिये उधार लेने एवं विकास करने का सीमित अवसर ही प्रदान करता है।

ग्रामीण सशक्तीकरण से संबंधित प्रमुख सरकारी पहलें

- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
- प्रधानमंत्री आवास योजना

आगे की राह

- **सशक्त महिला-सशक्त राष्ट्र:** ग्रामीण महिलाएँ 'नए भारत' के लिये सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय परिवर्तन की पथप्रदर्शक हैं।
  - कृषि क्षेत्र में ग्रामीण महिला कार्यबल का सशक्तीकरण और उन्हें मुख्यधारा में लाना ग्रामीण आर्थिक विकास की दिशा में एक आदर्श बदलाव ला सकता है।
    - यह खाद्य एवं पोषण सुरक्षा की संवृद्धि करेगा और वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये एक सर्वविजय रणनीति प्रदान करेगा।
- **'फार्म-फैक्ट्री अप्रोच':** ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिये और प्रसंस्करण को कुशल मूल्य श्रृंखलाओं के माध्यम से परिवहन से जोड़ा जाना चाहिये।
  - इसके अलावा, अनुबंध खेती और प्रत्यक्ष फार्म-फैक्ट्री कनेक्शन ग्रामीण आय सुरक्षा के लिये व्यापक संभावनाएँ प्रदान करते हैं।
- **डिजीटलीकृत ग्रामीण क्षेत्र:** ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटलीकरण और स्थानीय ई-गवर्नेंस 650,000 गाँवों और 80 करोड़ नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये महत्त्वपूर्ण होगा।

- सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सक्रिय सहयोग के माध्यम से एक ग्रामीण ज्ञान मंच का निर्माण किया जा सकता है जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को गाँवों तक लाएगा और रोज़गार सृजित करेगा।
  - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग स्मार्ट और परिशुद्ध कृषि को सुगम बनाने के लिये किया जा सकता है।
- **वित्तीय विवेक की ओर:** पंचायतों के पास अपने वित्त और विकास संबंधी मामलों के प्रबंधन के लिये अधिक वित्तीय स्वायत्तता होनी चाहिये। इसके साथ ही, ग्रामीण विकास मॉडल को वित्तपोषित करने के लिये संसाधन जुटाने हेतु 'आत्मनिर्भर ग्राम बॉण्ड' जारी किये जा सकते हैं।
- **डा. कलाम के दृष्टिकोण को अपनाना:** पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 'ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान' (Provision of Urban Amenities to Rural Areas- PURA) की अवधारणा प्रस्तुत की थी जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में केवल आर्थिक अवसंरचना और रोजगार अवसरों के निर्माण तक सीमित नहीं था।
  - इस प्रतिमान को आगे बढ़ाने के लिये आवास से संबद्ध सुविधाओं सहित अच्छे आवास तक पहुँच को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक करना

संदर्भ

अनौपचारिक क्षेत्र (Informal Sector) का प्रभुत्व भारत में श्रम बाज़ार परिदृश्य की केंद्रीय विशेषताओं में से एक बन गया है। जबकि अनौपचारिक क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग आधे भाग का योगदान करता है, रोज़गार के मोर्चे पर इसका प्रभुत्व ऐसा है कि कुल कार्यबल का 90% से अधिक भाग अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से संलग्न है।

- सरकार ने अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने के कई प्रयास किये हैं। वस्तु एवं सेवा कर (GST) का आरंभ, डिजिटल भुगतान प्रणाली और ई-श्रम (e-Shram) जैसे विभिन्न सरकारी पोर्टलों पर अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों का नामांकन— ये सभी अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये हैं।
- उपर्युक्त सभी प्रयास औपचारीकरण के 'राजकोषीय परिप्रेक्ष्य' (fiscal perspective) पर आधारित हैं। इसके बावजूद, औपचारिक क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र की तुलना में अधिक उत्पादक है और औपचारिक क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच है। इस प्रकार, भारतीय अनौपचारिक कार्यबल को औपचारिक बनाने के बहुआयामी पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है।

औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के बीच क्या अंतर है?

- **औपचारिक क्षेत्र (Formal Sector):** औपचारिक क्षेत्र में नियोक्ता और नियुक्त यानी कर्मचारी के बीच एक औपचारिक अनुबंध होता है जहाँ पूर्व-निर्धारित कार्य शर्तें होती हैं। इस क्षेत्र में एक ही वातावरण में काम करने वाले लोगों का संगठित समूह शामिल होता है और वे कानूनी एवं सामाजिक रूप से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं।
- **अनौपचारिक क्षेत्र (Informal Sector):** अनौपचारिक क्षेत्र में व्यक्तियों या परिवारों के स्वामित्व में संचालित सभी अनिगमित निजी उद्यम शामिल होते हैं, जो स्वामित्व या साझेदारी के आधार पर वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री से संलग्न होते हैं।

अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित हाल की प्रमुख सरकारी पहलें

- ई- श्रम पोर्टल
- श्रम संहिता
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन
- पीएम स्वनिधि: स्ट्रीट वेंडर्स के लिये सूक्ष्म ऋण योजना
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
- भारत के अनौपचारिक कामगार वर्ग को विश्व बैंक का समर्थन

श्रम पोर्टल के अनुसार अनौपचारिक कामगारों का वर्तमान परिदृश्य

- **सामाजिक एवं आर्थिक विश्लेषण:** श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 27.69 करोड़ अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों में से 94% से अधिक की मासिक आय 10,000 रुपये या उससे कम है।
  - यहाँ नामांकित कार्यबल का 74% से अधिक अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित है।
- **आयु-वार विश्लेषण:** पोर्टल पर पंजीकृत 61.72 प्रतिशत कामगार 18-40 आयु वर्ग के हैं, जबकि 22.12 प्रतिशत 40-50 आयु वर्ग के हैं।
- **लिंग-वार विश्लेषण:** पंजीकृत कामगारों में 52.81% महिलाएँ हैं और 47.19% पुरुष हैं।
- **व्यवसाय-वार विश्लेषण:** कृषि क्षेत्र शीर्ष पर है जहाँ नामांकित 52.11% कामगार कृषि क्षेत्र से संलग्न हैं; इसके बाद घरेलू एवं पारिवारिक कामगारों और निर्माण श्रमिकों का स्थान है जो नामांकन में क्रमश: 9.93% और 9.13% हिस्सेदारी रखते हैं।

भारत में अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ

- **लैंगिक असमानता:** महिलाएँ अनौपचारिक प्रतिभागियों में से बहुसंख्यक का गठन करती हैं, लेकिन उन्हें न्यूनतम लाभ प्राप्त होता है जहाँ कम भुगतान, आय में अस्थिरता और एक सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा जाल की कमी जैसी स्थितियाँ मौजूद होती है।
  - इसने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को भी उल्लेखनीय रूप से बाधित किया है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आँकड़ों से पता चलता है कि मार्च 2021 में महिला श्रम बल की भागीदारी दर घटकर 21.2% हो गई जो एक वर्ष पूर्व 21.9% रही थी।
- **आर्थिक शोषण:** परिभाषा के अनुसार अनौपचारिक रोज़गार में कोई लिखित अनुबंध, सवैतनिक अवकाश नहीं होता और इसलिये कोई न्यूनतम मज़दूरी नहीं निर्धारित होती है, न ही कार्य की शर्तों पर ध्यान दिया जाता है।
  - अनौपचारिक क्षेत्र के लिये वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages 2019) अभी भी दायरे और प्रभावकारिता में सीमित है। अनौपचारिक कामगार आमतौर पर दायरे में सबसे कम शामिल होते हैं क्योंकि:
    - यदि कोई राज्य सरकार किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशिष्ट नौकरी को शामिल करने से इनकार करती है तो यह न्यूनतम मजदूरी मानदंड के अंतर्गत नहीं आती है।
- **कराधान की कमी:** चूँकि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के व्यवसाय प्रत्यक्ष रूप से विनियमित नहीं होते हैं, वे आम तौर पर नियामक ढाँचे से आय एवं व्यय छुपाकर एक या एक से अधिक करों से बचने का प्रयास करते हैं।
  - यह सरकार के लिये एक चुनौती है क्योंकि अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कर के दायरे से बाहर रह जाता है।
- **पृथक आँकड़ों का अभाव:** अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति का प्रतिनिधित्व करने वाले आधिकारिक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जिससे सरकार के लिये विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र हेतु और सामान्य रूप से पूरी अर्थव्यवस्था के लिये नीतियों का निर्माण करना कठिन हो जाता है।
- **कोई निश्चित कार्य समय नहीं:** असंगठित क्षेत्र में भारत में लागू श्रम मानकों से परे लंबे समय तक कार्य कराना आम स्थिति है। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में काम करने का कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है क्योंकि ऐसे कानून मौजूद नहीं हैं जो कृषि श्रमिकों की कार्य परिस्थितियों के लिये दिशानिर्देश के रूप में कार्य कर सकें।
- **गरीबी का भँवरजाल:** असंगठित क्षेत्र के कामगारों में व्याप्त गरीबी दर संगठित क्षेत्र के उनके समकक्षों की तुलना में बहुत अधिक है।
  - कम मज़दूरी के कारण कम पोषण ग्रहण और उत्पन्न स्वास्थ्य कठिनाइयाँ उनके जीवन के लिये जोखिम उत्पन्न करती हैं।
- **आपदा के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील:** बाढ़, सूखा, अकाल, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का अनौपचारिक क्षेत्रों पर असंगत रूप से अधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ता है।
  - सामाजिक सुरक्षा के अभाव में यह समस्या और भी विकराल हो जाती है।

आगे की राह

- **पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाना:** अनौपचारिक व्यावसायिक आचरण के लिये नियमों को सरल बनाने की आवश्यकता है जो अनौपचारिक उद्यमों और उनके श्रमिकों को औपचारिकता के दायरे में लाएँगे।
  - एक स्व-सहायता समूह पहल जो अनौपचारिक श्रमिकों को संगठित करे, आत्मनिर्भरता के निर्माण में योगदान दे सकती है और उनकी कार्य स्थितियों से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकती है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र का व्यापक डेटा:** राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों पर एक व्यापक सांख्यिकीय आधार का निर्माण करना आवश्यक है, ताकि नीति निर्माता सूचना-संपन्न निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।
- **'वेंडिंग राइट्स':** वेंडर्स को उनके स्थानों पर उपलब्ध वेंडिंग राइट्स स्थान और उनके आसपास के वातावरण के प्रति उनकी जवाबदेही में वृद्धि कर सकेंगे।
  - शुल्कों के भुगतान के लिये वेंडर्स (स्थान और समय विशिष्ट) को लाइसेंस देने से भी स्थानीय प्राधिकरणों के राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है।
    - इस राजस्व का एक हिस्सा पेयजल सुविधाओं, शौचालयों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा संग्रह आदि के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है
- **शिकायत निवारण तंत्र:** अनौपचारिक कामगारों की शिकायतों को समय-समय पर एक सुलभ एवं आधिकारिक निगरानी तंत्र के माध्यम से सुना जाना चाहिये और उनका निवारण किया जाना चाहिये।
- **लैंगिक आधार पर वेतन समता:** राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत समान कार्य के लिये समान वेतन का निर्देश देते हैं (अनुच्छेद 39D)। महिला खेतिहर मज़दूरों को आमतौर पर उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में कम मज़दूरी दी जाती है।
  - सरकार को प्रासंगिक विधायी समर्थन के माध्यम से राज्य नीति के इस निदेशक सिद्धांत को सशक्त बनाते हुए कार्यान्वित करना चाहिये।

नोट :

राज्यपाल और राज्य विधानमंडल

संदर्भ

राज्यपाल के पद का हमारी राजनीतिक व्यवस्था में अत्यधिक महत्त्व है। राज्यपाल केंद्र और राज्यों के बीच एक सेतु का कार्य करता है। इसे सहकारी शासन के प्रमुख अंगों में से एक माना जाता है जिस पर हमारा लोकतंत्र गर्व करता है।

- लेकिन लंबे समय से विभिन्न राज्यों में राज्यपाल के कार्यालय की भूमिका, शक्तियों और विवेकाधिकार पर राजनीतिक, संवैधानिक और विधिक क्षेत्र में गर्मागर्म बहसें होती रही हैं।
- हाल के समय में राज्यपाल-राज्य संघर्ष में एक वृद्धि नज़र आई है। नौकरशाहों की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल (लेफ्टिनेंट गवर्नर) के बीच शक्ति संघर्ष तथा तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु के राज्यपाल के बीच राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) छूट विधेयक पर गतिरोध इसके कुछ उदाहरण हैं।
- सहकारी संघवाद (cooperative federalism) की ओर आगे बढ़ने के लिये अलग-अलग दृष्टिकोण से अलग-अलग पहलुओं पर विचार करते हुए इस विषय पर सूक्ष्मता से विचार करने की ज़रूरत है।

राज्यपाल का पद

- **स्वतंत्रता से पहले:** वर्ष 1858 से 'गवर्नर' का पद अत्यंत महत्त्वपूर्ण होने लगा था जब भारत ब्रिटिश क्राउन द्वारा शासित किया जाने लगा। प्रांतीय गवर्नर क्राउन के एजेंट होते थे जो गवर्नर-जनरल की देखरेख में कार्य करते थे।
  - भारत सरकार अधिनियम, 1935 के बाद गवर्नर को अब प्रांत के विधायिका के मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करना था, लेकिन फिर भी विशेष उत्तरदायित्व और विवेकाधीन शक्ति उसी में निहित रही।
- **स्वतंत्रता के बाद:** संविधान सभा में राज्यपाल के पद पर व्यापक रूप से बहस चली थी, जिसने ब्रिटिश काल में उसकी भूमिका को रूपांतरित करते हुए इस पद को बनाए रखने का निर्णय लिया।
  - वर्तमान में भारत द्वारा अपनाई गई संसदीय एवं कैबिनेट शासन प्रणाली के तहत राज्यपाल को राज्य के संवैधानिक प्रमुख की तरह देखा गया है।

राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा। किसी व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है।
  - राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा (अनुच्छेद 155 और 156)।
- अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल के पास क्षमादान की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति है।
  - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि किसी बंदी को क्षमा करने की राज्यपाल की संप्रभु शक्ति वास्तव में राज्य सरकार के साथ सर्वसम्मति से प्रयोग की जाती है, न कि राज्यपाल द्वारा स्वायत्त रूप से।
    - सरकार की सलाह राज्य प्रमुख (राज्यपाल) पर बंधनकारी है।
- अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि कुछ शर्तों के अधीन राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिये एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा।
  - राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों में शामिल हैं:
    - मुख्यमंत्री की नियुक्ति, जब राज्य विधान सभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो
    - अविश्वास प्रस्ताव के समय
    - राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में (अनुच्छेद 356)
- अनुच्छेद 200 राज्यपाल को विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक की अनुमति देने, अनुमति रोकने अथवा उसे राष्ट्रपति के विचार के लिये आरक्षित रखने की शक्ति सौंपता है।
- अनुच्छेद 361 में कहा गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिये या उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने द्वारा किये गए या किये जाने के लिये तात्पर्यित किसी कार्य के लिये किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

भारत में राज्यपाल के पद से संबंधित प्रमुख मुद्दे

- **संबद्धता आधारित नियुक्ति:** बहुत से मामलों में सत्ताधारी दल से जुड़े राजनेताओं और पूर्व नौकरशाहों को राज्यपालों के रूप में नियुक्त किया गया है।
  - इससे इस पद की निष्पक्षता और गैर-पक्षपात के बारे में सवाल उठते रहे हैं। इसके साथ ही, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श करने की परंपरा की भी प्राय: अनदेखी होती रही है।
  - केंद्र के प्रतिनिधि से लेकर केंद्र के एजेंट तक: वर्तमान दौर में आलोचक राज्यपालों को 'केंद्र के एजेंट' के रूप में संदर्भित करते हैं।

- वर्ष 2001 में राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग (National Commission to Review the Working of the Constitution) ने यह माना कि राज्यपाल अपनी नियुक्ति के लिये और पद पर बने रहने के लिये केंद्र पर निर्भर है। इस परिदृश्य में यह आशंका बनी रहती है कि वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करेगा।
  - यह बात संवैधानिक रूप से निर्दिष्ट एक निरपेक्ष या तटस्थ पद के विरुद्ध है और इसके परिणामस्वरूप पक्षपात एवं पूर्वाग्रह की स्थिति बनती है।
- **विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग:** कई दृष्टांतों में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है।
  - उदाहरण के लिये, आलोचकों द्वारा आरोप लगाया गया है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिये राज्यपाल की अनुशंसा सदैव 'वस्तुस्थिति' ('objective material) पर आधारित नहीं होती है, बल्कि राजनीतिक सनक या कल्पना पर आधारित होती है।
- **राज्यपालों को हटाना:** राज्यपालों को हटाने के किसी कोई लिखित प्रावधान या प्रक्रिया के अभाव में कई बार राज्यपालों को मनमाने ढंग से हटाने के उदाहरण सामने आए हैं।
- **संवैधानिक एवं सांविधिक भूमिका के बीच स्पष्ट अंतर का अभाव:** मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के संवैधानिक अधिदेश को चांसलर के रूप में कार्य करने के सांविधिक प्राधिकार से स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच संघर्षों की स्थिति बनती रही है।
  - उदाहरण के लिये, अभी हाल ही में केरल के राज्यपाल द्वारा सरकार के नामांकन को दरकिनार कर एक विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति की गई।
- **संवैधानिक खामियाँ:** संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने या विधानसभा भंग करने के मामले में राज्यपाल की शक्तियों के प्रयोग के संबंध में कोई दिशानिर्देश नहीं है।
  - इसके अलावा, इस बात की भी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति को कितने समय तक रोक सकता है।
  - नतीजतन, राज्यपाल और संबंधित राज्य सरकारों के बीच संघर्ष उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है।

विभिन्न आयोगों द्वारा प्रस्तावित सुधार

- **पुंछी आयोग:** राष्ट्रपति के लिये निर्धारित महाभियोग प्रक्रिया को राज्यपालों पर भी महाभियोग चलाने के लिये अनुरूप बनाया जा सकता है।
  - राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में और अन्य वैधानिक पदों पर कार्य करने की परंपरा को समाप्त कर दिया जाना चाहिये क्योंकि यह उसके पद के लिये विवादों और सार्वजनिक आलोचना के द्वार खोलता है।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग:** अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) को दिशानिर्देश तैयार करना चाहिये कि राज्यपालों को विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करना है।
- **राजमन्नार समिति:** राजमन्नार समिति ने इस बात पर बल दिया कि राज्य के राज्यपाल को स्वयं को केंद्र के एजेंट के रूप में नहीं देखना चाहिये, बल्कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिये।
- **सरकारिया आयोग:** अपनी रिपोर्ट में सरकारिया आयोग ने अनुशंसा की कि अनुच्छेद 356 का उपयोग केवल अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही किया जाना चाहिये जब किसी राज्य के भीतर संवैधानिक तंत्र के विघटन को रोकना असंभव हो।
- **वेंकटचलैया आयोग:** इसने राज्यपालों के लिये सामान्य रूप से पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने की अनुमति देने की सिफ़ारिश की।
  - केंद्र सरकार को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उसे हटाने के संबंध में मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिये।

आगे की राह

- **नियुक्ति प्रक्रिया पर पुनर्विचार:** राज्यपाल की नियुक्ति के लिये एक समिति का गठन करना उपयुक्त होगा जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हों।
- **तटस्थ संवैधानिक रुख:** राज्यपाल को एक स्वतंत्र, गैर-पक्षपाती व्यक्ति होना चाहिये। वह राज्य के हितों को ध्यान में रखे और यह सुनिश्चित करे कि राज्य एवं केंद्र के बीच की कड़ी सुचारू रूप से बनी रहे।
- **आचार संहिता तैयार करना:** एक 'आचार संहिता' (Code of Conduct) तैयार करने की आवश्यकता है जो राज्यपाल के विवेक एवं संवैधानिक अधिदेश को निर्देशित करने के लिये कुछ 'मानदंडों एवं सिद्धांतों' को परिभाषित करे।
  - राज्यपाल का 'विवेक' (Discretion) एक ऐसा विकल्प होना चाहिये जो तर्क द्वारा निर्धारित हो, सद्भाव से संचालित हो और सतर्कता से संयमित हो।

भूजल संरक्षण: बेशकीमती संसाधन

संदर्भ

भारत वैश्विक आबादी के 17% भाग का घर है, लेकिन उसके पास विश्व के ताज़े जल संसाधनों का मात्र 4% ही उपलब्ध है। भारत में न केवल जल की कमी है, बल्कि दशकों से भूजल का दोहन बढ़ता ही जा रहा है।

- 1960 के दशक से ही जब खाद्य सुरक्षा के लिये सरकार ने 'हरित क्रांति' (Green revolution) को समर्थन देना शुरू किया, कृषि गतिविधियों के लिये भूजल की मांग में वृद्धि आती गई।
- भूजल प्रदूषण (Groundwater pollution) और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों (शुष्क क्षेत्रों में अनियमित वर्षा सहित) भूजल संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव का निर्माण किया है। भूजल के अतिदोहन दर (Overexploitation rates) ने आजीविका, खाद्य सुरक्षा, जलवायु-प्रेरित प्रवासन और मानव विकास के लिये खतरा उत्पन्न किया है।
- इस परिदृश्य में यह आवश्यक है कि जलभृतों को फिर से भरने और भूजल के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये एक तंत्र का निर्माण किया जाए।

भारत में भूजल निष्कर्षण की वर्तमान स्थिति

- भारत भूजल का विश्व का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है, जहाँ भूजल देश के सिंचाई संसाधनों में 60% से अधिक का योगदान देता है।
  - भूजल का यह अति-निष्कर्षण गैर-नवीकरणीय है क्योंकि पुनर्भरण दर निष्कर्षण दर से कम है और इस संसाधन के पुनर्भरण में हज़ारों वर्ष लग सकते हैं।
- जल संसाधन मंत्रालय के वर्ष 2022 के एक आकलन से पता चलता है कि भूजल निकासी का स्तर वर्तमान में वर्ष 2004 के बाद सबसे कम है।
  - भूजल निकासी में कमी बेहतर जल प्रबंधन का संकेत हो सकती है, हालाँकि 'भारत के गतिशील भूजल संसाधनों पर राष्ट्रीय संकलन' (National Compilation on Dynamic Ground Water Resources of India) शीर्षक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह सुधार मामूली या 'सीमांत' (marginal) है।

भूजल प्रबंधन से संबंधित वर्तमान सरकारी पहलें

- राष्ट्रीय जल नीति, 2012
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- जल शक्ति अभियान - कैच द रेन कैंपेन
- अटल भूजल योजना

भूजल में कमी से संबंधित प्रमुख मुद्दे

- **अनियमित निकासी:** भूजल की कमी से प्रभावित कई राज्य सिंचित कृषि के लिये भूजल निकासी हेतु मुफ़्त या भारी सब्सिडी-युक्त बिजली सुविधा (सौर पंप सहित) प्रदान करते हैं। यह दुर्लभ भूजल संसाधनों के अतिदोहन और उनके स्तर में कमी को प्रेरित करता है।
- **जल-गहन फसलों की खेती:** गेहूँ और चावल के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ने गेहूँ और धान जैसी जल-गहन फसलों (जो अपने विकास के लिये भूजल पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं) के पक्ष में अत्यधिक विषम प्रोत्साहन संरचनाओं का निर्माण किया है। यह भूजल को इन फसलों की खेती के लिये एक अत्यंत आवश्यक संसाधन बनाता है।
- **भूजल संबंधी विनियमन का अभाव:** भारत सरकार उच्च अतिदोहित ब्लॉकों की 'अधिसूचना' के माध्यम से जल संकट वाले राज्यों में भूजल दोहन को नियंत्रित करती है।
  - हालाँकि, वर्तमान में देश में लगभग 14% अतिदोहित ब्लॉकों को ही अधिसूचित किया गया है।
- **बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण:** बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण ने घरेलू एवं औद्योगिक आवश्यकताओं के लिये जल की मांग में वृद्धि की है। यहाँ फिर सीमित सतही जल संसाधनों के कारण भूजल संसाधनों के अतिदोहन की स्थिति बनी है।
- **जलवायु परिवर्तन:** जल तालिका का गिरता स्तर: सूखा, फ्लैश फ्लड और अनियमित मानसून जलवायु परिवर्तन घटनाओं के हाल के उदाहरण हैं जो भारत के भूजल संसाधनों पर दबाव डाल रहे हैं।
  - भूजल संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता और निरंतर खपत के कारण उन पर दबाव में वृद्धि हो रही और कुएँ, तालाब, जलाशय आदि सूखते जा रहे हैं। इससे जल संकट और गहरा होता जा रहा है।

आगे की राह

- **नदी जलग्रहण प्रबंधन:** हरित गलियारों (green corridors) का निर्माण, बाढ़ जल के संग्रहण के लिये सक्षम पुनर्भरण क्षेत्रों (recharge zones) हेतु चैनलों का मानचित्रण और शहरी क्षेत्रों (जहाँ भूजल सतह से पाँच-छह मीटर नीचे है) में कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का सृजन भूजल की कमी को कम करने में योगदान कर सकेंगे।
  - स्वच्छ वर्षा जल के साथ भूजल पुनर्भरण के लिये निष्क्रिय पड़े बोरवेलों का उपयोग भी एक अच्छा विकल्प होगा।
- **भूतल जल निकाय प्रबंधन:** तालाबों, झीलों और अन्य पारंपरिक जल संसाधन संरचनाओं का जीर्णोद्धार शहरी एवं ग्रामीण विकास

नोट :

परियोजनाओं का एक अभिन्न अंग होना चाहिये, जिससे भूजल क्षमता का पर्याप्त विकास होगा।

- **अपशिष्ट जल प्रबंधन:** गंदले जल (greywater and blackwater) के लिये दोहरी सीवेज प्रणाली और कृषि एवं बागवानी में पुनर्नवीनीकृत जल के पुन: उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - उद्योगों को भी जल उपयोग दक्षता, अपशिष्ट उपचार और शून्य तरल निर्वहन की वृद्धि के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- **जल कुशल कृषि (Water Efficient Agriculture):** गंगा बेसिन में अकेले कृषि ही 80% से अधिक भूजल की खपत करती है।
  - जल कुशल सिंचाई प्रणाली (जैसे ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन) को अनिवार्य बनाया जाना चाहिये। इसके साथ ही, जल-गहन फसलों की संतुलित खेती और उपचारित अपशिष्ट जल का सिंचाई के लिये उपयोग जैसे अभ्यास अपनाये जाने चाहिये।
- **भूजल सुरक्षा योजना:** विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सतत भूजल प्रबंधन किया जाना चाहिये जिसमें वर्षा जल संचयन के लिये उपयुक्त कार्रवाई शुरू करना भी शामिल है।
  - इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा समुदायों/हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से तैयार की गई ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर की भूजल सुरक्षा योजना के आधार पर सतह जल एवं भूजल के संयुक्त उपयोग की अवधारणा को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- **भूजल का सामाजिक विनियमन:** एक परिभाषित जलभृत क्षेत्र में समुदायों को सशक्त बनाने के लिये एक सहभागी भूजल प्रबंधन दृष्टिकोण का पालन किया जाना चाहिये। इसके लिये शासनिक अधिकार, सामुदायिक जागरूकता, क्षमता विकास के साथ ही भूजल के सामाजिक विनियमन हेतु ज्ञान एवं प्रेरणा प्रदान करने तथा समन्वित कार्रवाइयों को प्रवर्तित करने की आवश्यकता है।

जनजातियों को मुख्यधारा में लाना

संदर्भ

जनजातियाँ (Tribes) भारतीय समाज में एक महत्त्वपूर्ण तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं जो हमारी सभ्यता की सांस्कृतिक पच्चीकारी (Cultural Mosaic) के साथ एकीकृत है। जनजातियाँ भारतीय आबादी में 8.6% की हिस्सेदारी रखती हैं।

- जातीय आदिवासी उप-राष्ट्रवाद (Ethnic tribal sub nationalism) जनजातीय समुदायों की प्रगति के लिये एक गंभीर चुनौती है। जनजातियों को उनके हाल पर छोड़ देना मुख्यधारा और जनजातियों के बीच विकासात्मक विभाजन को और गहरा करेगा।
- दूसरी ओर, नए खनन और अवसंरचना परियोजनाओं के लिये जनजातीय भूमियों का तेज़ी से अधिग्रहण किया जा रहा है। इन नीतियों को प्राय: जनजातीय लोगों को पराभूत करने और उन संसाधनों के क्षरण के कारण के रूप में देखा जाता है जिन पर वे निर्भर होते हैं।
- इसलिये यह आवश्यक है कि इस मुद्दे को एक बहुदीर्घ परिप्रेक्ष्य से देखा जाए और एक सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण भारतीय समाज में अभिभावी होने योग्य समाधान खोजे जाएँ।

जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- भारत का संविधान 'जनजाति' (Tribe) शब्द को परिभाषित करने का प्रयास नहीं करता है, हालाँकि अनुच्छेद 342 के माध्यम से संविधान में अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) शब्द को शामिल किया गया।
- संविधान की पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में 'जनजाति सलाहकार परिषद' की स्थापना का प्रावधान करती है।
- **शैक्षिक एवं सांस्कृतिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 15(4):** सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों (इसमें अनुसूचित जनजाति भी शामिल हैं) की उन्नति के लिये विशेष उपबंध किया जा सकता है।
  - **अनुच्छेद 29:** अल्पसंख्यक वर्गों (इसमें अनुसूचित जनजाति भी शामिल हैं) के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के लिये विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार।
  - **अनुच्छेद 46:** राज्य, लोगों के दुर्बल वर्गों के, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।
  - **अनुच्छेद 350:** भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिये विशेष अधिकारी की नियुक्ति।
- **राजनीतिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 330:** अनुसूचित जनजातियों के लिये लोकसभा में सीटों का आरक्षण
  - **अनुच्छेद 332:** राज्य विधायिकाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटों का आरक्षण

- **अनुच्छेद 243:** अनुसूचित जनजातियों के लिये पंचायतों में सीटों का आरक्षण।

- **प्रशासनिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 275:** यह अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को विशेष धन देने का प्रावधान करता है।

जनजातियों से संबंधित हाल की सरकारी पहलें

- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय
- ट्राइफेड (TRIFED)
- जनजातीय विद्यालयों का डिजिटल रूपांतरण
- विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) का विकास
- प्रधानमंत्री वन धन योजना

भारत में जनजाति समुदायों के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ

- **शैक्षिक असमानता:** भौगोलिक स्थिति, विरल आबादी और आदिवासी गाँवों की दुर्गमता जैसे कई कारक हैं जो जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालय तक पहुँच को कठिन बनाते हैं।
  - विद्यालय की सुविधा उपलब्ध होने के बाद भी कार्यबल में बच्चों की समयपूर्व भागीदारी, घोर गरीबी, घरों में शिक्षा समर्थक संस्कृति का अभाव आदि के परिणामस्वरूप जल्द ही विद्यालय छोड़ देने (early dropout) की उच्च दर बनी हुई है।
  - इसके साथ ही, प्रवासी आबादी में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदायों के लोग शामिल हैं। बच्चे भी अपने माता-पिता के साथ जाते हैं, वे स्कूल छोड़ देते हैं और कार्य स्थलों पर कठोर श्रम से संलग्न होने के लिये विवश होते हैं।
- **महिलाओं की स्थिति में गिरावट:** प्रकृति का क्षरण (विशेष रूप से जंगलों के विनाश और सिकुड़ते संसाधनों के रूप में) आदिवासी महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिये खतरा उत्पन्न कर रहा है जो आहार ग्रहण के मामले में सबसे बाद में आती हैं।
  - इसके अलावा, खनन एवं उद्योगों के लिये आदिवासी क्षेत्रों के खुलने के साथ आदिवासी महिलाएँ आय अर्जन के लिये क्रूर संचालनों के अधीन गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके वस्तुकरण (Commodification) की स्थिति बनी है।
- **बड़े पैमाने पर विस्थापन:** बिजली परियोजनाएँ, उद्योग और बड़े बांध आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थापित हो रहे हैं। इन परियोजनाओं के लिये सरकार द्वारा जनजातीय भूमि के अधिग्रहण से जनजातीय आबादी का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है और अपर्याप्त पुनर्वास ने समस्या को बढ़ा दिया है।
  - छोटानागपुर क्षेत्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के जनजाति समुदाय सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं।
  - राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और इको-पार्कों का विकास उनके पर्यावास पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है और उनकी जीविका को विस्थापित कर रहा है, जिससे उनमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।
    - वर्ष 2014 में कान्हा टाइगर रिज़र्व से मूल निवासी बैगा और गोंड समुदायों के लगभग 450 परिवारों को बाहर कर दिया गया था।
- **मूल निवासी पहचान का क्षरण:** पारंपरिक जनजातीय संस्थाओं और कानूनों का आधुनिक संस्थानों से टकराव बढ़ रहा है, जिससे समुदाय के लोग अपनी मूल पहचान बनाए रखने के बारे में चिंतित हुए हैं।
  - चिंता का एक अन्य कारण जनजातीय बोलियों और भाषाओं का लुप्त होना है।
- **सामाजिक एवं मानसिक समस्याएँ:** जनजातीय लोग सामाजिक और संस्थागत स्तरों पर भेदभाव के परिणामस्वरूप सामाजिक बहिष्करण का अनुभव करते हैं, जो उन्हें फिर अलगाव की ओर और आगे आत्म-बहिष्करण (self-exclusion) की ओर प्रेरित करता है।
  - आदिवासी लोगों के लिये, विकास गतिविधि उनके घर में घुसपैठ की तरह महसूस होती है। नतीजतन, उन्हें अन्य क्षेत्रों में पलायन करना पड़ता है, और यह उनके लिये मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण बनता है क्योंकि वे अन्य जीवन शैली और मूल्यों को अच्छी तरह से समायोजित करने में सक्षम नहीं हैं।
- **स्वास्थ्य और पोषण की समस्याएँ:** आर्थिक पिछड़ेपन और असुरक्षित आजीविका के कारण आदिवासी आबादी मलेरिया, हैजा, डायरिया और पीलिया जैसी बीमारियों से ग्रस्त है।
  - यह कुपोषण से जुड़ी समस्याओं से भी ग्रस्त है, जैसे आयरन की कमी एवं एनीमिया, उच्च शिशु मृत्यु दर आदि।

आगे की राह

- **आदिवासियों को वन उद्यमी के रूप में देखना:** वनों के वाणिज्यीकरण को संरचनागत रूप देने के लिये वन विकास निगमों (FDCs) के पुनरुद्धार की और लघु वनोपजों की खोज, निष्कर्षण और संवृद्धि में आदिवासी समुदायों को 'वन उद्यमियों' के रूप में संलग्न करने की आवश्यकता है।

- **शैक्षिक और डिजिटल समता:** एकलव्य मॉडल स्कूल पहल को शिक्षा के डिजिटलीकरण और जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना के विस्तार का कार्य भी सौंपा जाना चाहिये ताकि भारत में कोई भी क्षेत्र डिजिटल रूप से अलग-थलग न रहे।
- **जनजातीय महिलाओं का सशक्तीकरण:** आदिवासी महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिये प्रभावी उपाय किये जाने चाहिये। इसके लिये:
  - संयुक्त वन प्रबंधन एवं पंचायती राज संस्थाओं में उन्हें नेतृत्वकारी भूमिका सौंपी जाए।
  - महिलाओं के उत्पीड़न पर रोक के लिये कानूनी एवं प्रशासनिक उपाय किये जाएँ; इसके साथ ही अधिमानत: महिला संगठनों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता एवं पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिये अभियान चलाए जाएँ।
- **जनजातियों को मुख्यधारा में लाना:** देश की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने और भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाने के लिये गैर-जनजाति आबादी को जनजातीय लोगों की क्षमता एवं उनकी गरिमा के संबंध में शिक्षित किया जाना चाहिये।
- **वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल:** सरकार वनों से औषधीय पौधों की पहचान एवं उनके संग्रहण के लिये आदिवासी समूहों के साथ सहयोग कर सकती है। इसके अलावा, जनजातियों के स्व-उपभोग के साथ-साथ स्थानीय राज्यों में बिक्री के लिये उपयुक्त पादप प्रजातियों की खेती को भी बढ़ावा दिया जा सकता है।
  - भारतीय औषध निर्यात को भी इसका लाभ प्राप्त हो सकता है।

जनजातियों को मुख्यधारा में लाना

संदर्भ

जनजातियाँ (Tribes) भारतीय समाज में एक महत्त्वपूर्ण तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं जो हमारी सभ्यता की सांस्कृतिक पच्चीकारी (Cultural Mosaic) के साथ एकीकृत है। जनजातियाँ भारतीय आबादी में 8.6% की हिस्सेदारी रखती हैं।

- जातीय आदिवासी उप-राष्ट्रवाद (Ethnic tribal sub nationalism) जनजातीय समुदायों की प्रगति के लिये एक गंभीर चुनौती है। जनजातियों को उनके हाल पर छोड़ देना मुख्यधारा और जनजातियों के बीच विकासात्मक विभाजन को और गहरा करेगा।
- दूसरी ओर, नए खनन और अवसंरचना परियोजनाओं के लिये जनजातीय भूमियों का तेज़ी से अधिग्रहण किया जा रहा है। इन नीतियों को प्राय: जनजातीय लोगों को पराभूत करने और उन संसाधनों के क्षरण के कारण के रूप में देखा जाता है जिन पर वे निर्भर होते हैं।
- इसलिये यह आवश्यक है कि इस मुद्दे को एक बहुदीर्घ परिप्रेक्ष्य से देखा जाए और एक सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण भारतीय समाज में अभिभावी होने योग्य समाधान खोजे जाएँ।

जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- भारत का संविधान 'जनजाति' (Tribe) शब्द को परिभाषित करने का प्रयास नहीं करता है, हालाँकि अनुच्छेद 342 के माध्यम से संविधान में अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) शब्द को शामिल किया गया।
- संविधान की पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में 'जनजाति सलाहकार परिषद' की स्थापना का प्रावधान करती है।
- **शैक्षिक एवं सांस्कृतिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 15(4):** सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों (इसमें अनुसूचित जनजाति भी शामिल हैं) की उन्नति के लिये विशेष उपबंध किया जा सकता है।
  - **अनुच्छेद 29:** अल्पसंख्यक वर्गों (इसमें अनुसूचित जनजाति भी शामिल हैं) के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के लिये विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार।
  - **अनुच्छेद 46:** राज्य, लोगों के दुर्बल वर्गों के, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।
  - **अनुच्छेद 350:** भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिये विशेष अधिकारी की नियुक्ति।
- **राजनीतिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 330:** अनुसूचित जनजातियों के लिये लोकसभा में सीटों का आरक्षण
  - **अनुच्छेद 332:** राज्य विधायिकाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटों का आरक्षण
  - **अनुच्छेद 243:** अनुसूचित जनजातियों के लिये पंचायतों में सीटों का आरक्षण।
- **प्रशासनिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 275:** यह अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को विशेष धन देने का प्रावधान करता है।

जनजातियों से संबंधित हाल की सरकारी पहलें

- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय
- ट्राइफेड (TRIFED)
- जनजातीय विद्यालयों का डिजिटल रूपांतरण
- विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) का विकास
- प्रधानमंत्री वन धन योजना

भारत में जनजाति समुदायों के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ

- **शैक्षिक असमानता:** भौगोलिक स्थिति, विरल आबादी और आदिवासी गाँवों की दुर्गमता जैसे कई कारक हैं जो जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालय तक पहुँच को कठिन बनाते हैं।
  - विद्यालय की सुविधा उपलब्ध होने के बाद भी कार्यबल में बच्चों की समयपूर्व भागीदारी, घोर गरीबी, घरों में शिक्षा समर्थक संस्कृति का अभाव आदि के परिणामस्वरूप जल्द ही विद्यालय छोड़ देने (early dropout) की उच्च दर बनी हुई है।
  - इसके साथ ही, प्रवासी आबादी में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदायों के लोग शामिल हैं। बच्चे भी अपने माता-पिता के साथ जाते हैं, वे स्कूल छोड़ देते हैं और कार्य स्थलों पर कठोर श्रम से संलग्न होने के लिये विवश होते हैं।
- **महिलाओं की स्थिति में गिरावट:** प्रकृति का क्षरण (विशेष रूप से जंगलों के विनाश और सिकुड़ते संसाधनों के रूप में) आदिवासी महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिये खतरा उत्पन्न कर रहा है जो आहार ग्रहण के मामले में सबसे बाद में आती हैं।
  - इसके अलावा, खनन एवं उद्योगों के लिये आदिवासी क्षेत्रों के खुलने के साथ आदिवासी महिलाएँ आय अर्जन के लिये क्रूर संचालनों के अधीन गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके वस्तुकरण (Commodification) की स्थिति बनी है।
- **बड़े पैमाने पर विस्थापन:** बिजली परियोजनाएँ, उद्योग और बड़े बांध आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थापित हो रहे हैं। इन परियोजनाओं के लिये सरकार द्वारा जनजातीय भूमि के अधिग्रहण से जनजातीय आबादी का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है और अपर्याप्त पुनर्वास ने समस्या को बढ़ा दिया है।
  - छोटानागपुर क्षेत्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के जनजाति समुदाय सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं।
  - राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और इको-पार्कों का विकास उनके पर्यावास पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है और उनकी जीविका को विस्थापित कर रहा है, जिससे उनमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।
    - वर्ष 2014 में कान्हा टाइगर रिज़र्व से मूल निवासी बैगा और गोंड समुदायों के लगभग 450 परिवारों को बाहर कर दिया गया था।
- **मूल निवासी पहचान का क्षरण:** पारंपरिक जनजातीय संस्थाओं और कानूनों का आधुनिक संस्थानों से टकराव बढ़ रहा है, जिससे समुदाय के लोग अपनी मूल पहचान बनाए रखने के बारे में चिंतित हुए हैं।
  - चिंता का एक अन्य कारण जनजातीय बोलियों और भाषाओं का लुप्त होना है।
- **सामाजिक एवं मानसिक समस्याएँ:** जनजातीय लोग सामाजिक और संस्थागत स्तरों पर भेदभाव के परिणामस्वरूप सामाजिक बहिष्करण का अनुभव करते हैं, जो उन्हें फिर अलगाव की ओर और आगे आत्म-बहिष्करण (self-exclusion) की ओर प्रेरित करता है।
  - आदिवासी लोगों के लिये, विकास गतिविधि उनके घर में घुसपैठ की तरह महसूस होती है। नतीजतन, उन्हें अन्य क्षेत्रों में पलायन करना पड़ता है, और यह उनके लिये मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण बनता है क्योंकि वे अन्य जीवन शैली और मूल्यों को अच्छी तरह से समायोजित करने में सक्षम नहीं हैं।
- **स्वास्थ्य और पोषण की समस्याएँ:** आर्थिक पिछड़ेपन और असुरक्षित आजीविका के कारण आदिवासी आबादी मलेरिया, हैजा, डायरिया और पीलिया जैसी बीमारियों से ग्रस्त है।
  - यह कुपोषण से जुड़ी समस्याओं से भी ग्रस्त है, जैसे आयरन की कमी एवं एनीमिया, उच्च शिशु मृत्यु दर आदि।

आगे की राह

- **आदिवासियों को वन उद्यमी के रूप में देखना:** वनों के वाणिज्यीकरण को संरचनागत रूप देने के लिये वन विकास निगमों (FDCs) के पुनरुद्धार की और लघु वनोपजों की खोज, निष्कर्षण और संवृद्धि में आदिवासी समुदायों को 'वन उद्यमियों' के रूप में संलग्न करने की आवश्यकता है।
- **शैक्षिक और डिजिटल समता:** एकलव्य मॉडल स्कूल पहल को शिक्षा के डिजिटलीकरण और जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना के विस्तार का कार्य भी सौंपा जाना चाहिये ताकि भारत में कोई भी क्षेत्र डिजिटल रूप से अलग-थलग न रहे।
- **जनजातीय महिलाओं का सशक्तीकरण:** आदिवासी महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिये प्रभावी उपाय किये जाने चाहिये। इसके लिये:

नोट :

- संयुक्त वन प्रबंधन एवं पंचायती राज संस्थाओं में उन्हें नेतृत्वकारी भूमिका सौंपी जाए।
- महिलाओं के उत्पीड़न पर रोक के लिये कानूनी एवं प्रशासनिक उपाय किये जाएँ; इसके साथ ही अधिमानतः महिला संगठनों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता एवं पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिये अभियान चलाए जाएँ।

- **जनजातियों को मुख्यधारा में लाना:** देश की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने और भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाने के लिये गैर-जनजाति आबादी को जनजातीय लोगों की क्षमता एवं उनकी गरिमा के संबंध में शिक्षित किया जाना चाहिये।
- **वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल:** सरकार वनों से औषधीय पौधों की पहचान एवं उनके संग्रहण के लिये आदिवासी समूहों के साथ सहयोग कर सकती है। इसके अलावा, जनजातियों के स्व-उपभोग के साथ-साथ स्थानीय राज्यों में बिक्री के लिये उपयुक्त पादप प्रजातियों की खेती को भी बढ़ावा दिया जा सकता है।
  - भारतीय औषध निर्यात को भी इसका लाभ प्राप्त हो सकता है।

आतंकवाद के खतरे पर अंकुश

आज पूरी दुनिया में आतंकवाद का खतरा मंडरा रहा है। अस्पष्ट रूप एवं चरित्रों के विभिन्न आतंकवादी समूह, नए किस्म का साइबर आतंकवाद, बढ़ते 'लोन वुल्फ' हमले—ये सभी हिंसा के अशुभ खतरों को बढ़ा रहे हैं। भारत ने आतंकवाद का आघात झेला है और पिछले कुछ दशकों में कई बड़े शहरों में विवेकहीन हिंसक विस्फोटों में जान-माल की गंभीर हानि देखी है।

प्रौद्योगिकी और संचार में परिवर्तनों एवं प्रगति के साथ जैसे-जैसे दुनिया सिकुड़ती जा रही है, आतंकवादियों, हथियारों और धन का राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार जाना भी सरल होता जा रहा है। इस परिदृश्य में विभिन्न देशों के कानून प्रवर्तन प्राधिकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना ऐसी सीमा पार चुनौतियों का मुकाबला करने के लिये अनिवार्य हो गया है।

आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये भारत की प्रमुख पहलें

- 26/11 आतंकवादी हमले के बाद भारत ने आतंकवाद को लेकर एक बेहद गंभीर रुख अपनाया है। जनवरी 2009 में आतंकी अपराधों से निपटने के लिये राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency- NIA) की स्थापना की गई थी।
- भारत में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन अधिनियम (Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act- UAPA) प्राथमिक आतंकवाद विरोधी कानून है।
- सुरक्षा से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिये नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) की स्थापना की गई है।
- आतंकवादी हमलों पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (National Security Guard-NSG) हेतु एक 'ऑपरेशनल हब' का सृजन किया गया है ।

आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पहलें

- संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी कार्यालय (UNOCT)
- ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNDOC) की आतंकवाद निरोधक शाखा (TPB)
- वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF)
- आतंकवाद के विरुद्ध भारत का वार्षिक संकल्प (India's Annual Resolution on Counter-Terror)

भारत में आतंकवाद से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ

- **आतंकवाद की कोई वैश्विक परिभाषा नहीं:** आतंकवाद के संघटन के संदर्भ में इसकी कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है, इसलिये किसी गतिविधि/कृत्य विशेष को आतंकवादी कृत्य के रूप में वर्गीकृत करना कठिन है, जो फिर आतंकवादियों को एक बढ़त प्रदान करती है और कुछ देशों को चुप रहने तथा वैश्विक संस्थाओं के पटल पर किसी भी कार्रवाई को वीटो करने का अवसर देती है।
- **आतंकवाद का बढ़ता जाल:** इंटरनेट एक अपेक्षाकृत अनियमित एवं अप्रतिबंधित स्थान प्रदान करता है जहाँ आतंकवादी वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों की असीमित संख्या के माध्यम से अपना प्रचार-प्रसार कर सकते हैं। वे इनके इस्तेमाल से अपने संगठन में शामिल होने और उनकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिये हज़ारों संभावित नए रंगरूटों को लक्षित कर सकते हैं।
- **आतंकवाद का वित्तपोषण:** अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक के अनुसार अपराधियों द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुमानित रूप से दो से चार ट्रिलियन डॉलर की मनी-लौन्डरिंग की जाती है। आतंकवादियों द्वारा धन के लेनदेन को दान और वैकल्पिक प्रेषण प्रणालियों की आड़ में भी अंजाम दिया जाता है।
  - यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को कलंकित करता है और प्रणाली की अखंडता में जनता के भरोसे का क्षरण करता है।
  - इसके अलावा, क्रिप्टोकरेंसी के विनियमन की कमी इसे आतंकवादियों के लिये अनुकूल 'ब्रीडिंग ग्राउंड' बना सकती है।
- **जैव-आतंकवाद:** जैव प्रौद्योगिकी मानव जाति के लिये वरदान है, लेकिन यह एक बड़ा खतरा भी है क्योंकि जैविक एजेंटों की छोटी मात्रा को आसानी से छिपाया जा सकता है, इसका परिवहन किया जा सकता है और इसे कमज़ोर आबादी पर छोड़ा जा सकता है।

- विश्व भर में खाद्य सुरक्षा को बाधित करने के लिये उष्णकटिबंधीय कृषि रोगजनकों या कीटों को भी एंटीक्रॉप एजेंटों के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

- **साइबर हमला:** दुनिया एक डिजिटल गाँव की ओर आगे बढ़ रही है जहाँ डेटा को 'न्यू ऑइल' के रूप में देखा जा रहा है। आतंकवादी किसी देश के साइबरस्पेस, नेटवर्क पर अवैध हमले करते हैं और अपने राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये किसी सरकार या उसके लोगों को डराने-धमकाने के लिये सूचना का उपयोग करते हैं।

आगे की राह

- **साइबर-रक्षा तंत्र का विकास:** साइबर आतंकवाद से निपटने के लिये एक समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है, चाहे वह साइबर सर्च अभियान के संचालन के संबंध में हो या साइबर हमलों के विरुद्ध प्रतिउपायों के दायरे का विस्तार करने के संबंध में हो।
  - साइबर सुरक्षा पर एक स्पष्ट सार्वजनिक रुख सरकार में नागरिकों के भरोसे को बढ़ावा देगा और इस प्रकार एक अधिक संलग्नकारी, स्थिर और सुरक्षित साइबर पारितंत्र को सक्षम करेगा।
- **वैश्विक आतंकवाद विरोधी उपाय:** आतंकवाद की इसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में निंदा की जानी चाहिये। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर आतंकवाद की चुनौती को परास्त करना चाहिये।
  - आतंकवाद की एक सार्वभौमिक परिभाषा को स्वीकार करना और आतंकवाद के प्रायोजक राष्ट्रों पर वैश्विक प्रतिबंध लगाना शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
- **क्षमता निर्माण:** भारत को सीमा पार आतंकवाद से लड़ने के लिये सेना की विशेषज्ञता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिये ताकि आतंकी गतिविधियों की घुसपैठ को रोकने के लिये खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।
  - इसके साथ ही, त्वरित परीक्षण (speedy trials) करने के लिये भारत को अपनी राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणाली को उन्नत करने और आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कानूनी प्रोटोकॉल लागू करने की भी आवश्यकता है।
- **आतंकी वित्तपोषण पर नियंत्रण:** आतंकवाद के वित्तपोषण पर अंकुश लगाने के लिये कानूनों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जहाँ बैंकों के लिये आवश्यक हो कि वे अपने ग्राहकों के संबंध में सम्यक तत्परता रखें और किसी भी संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करें। इसके अलावा, भारत को क्रिप्टोकरेंसी के विनियमन की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिये।
  - भारत द्वारा दिल्ली में 'नो मनी फॉर टेरर' सम्मेलन की मेजबानी करना इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।
- **युवाओं को आतंकवाद के चंगुल में फँसने से रोकना:** अहिंसा, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और सहिष्णुता के मूल्यों को बढ़ावा देने में शैक्षिक प्रतिष्ठानों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए कट्टरपंथ विरोधी कार्यक्रमों में इन्हें प्रमुखता से शामिल किया जाना चाहिये।
  - इसके साथ ही, आर्थिक और सामाजिक असमानताओं से निपटने के लिये नीतियों के निर्माण से असंतुष्ट युवाओं को आतंकवाद की ओर आकर्षित होने से रोकने में मदद मिलेगी।

भारत की आसियान से मित्रता

संदर्भ

हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific region) में बहुआयामी विकास और हस्तक्षेप की पृष्ठभूमि में पिछले कुछ दशकों में भारत की विदेश नीति में व्यापक परिवर्तन आया है।

1990 के दशक में 'लुक ईस्ट पॉलिसी' के साथ शुरुआत करते हुए भारत ने वर्ष 2014 में 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के रूप में अपनी नीति को आगे बढ़ाया है जहाँ वह दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) के साथ अपनी साझेदारी को एक कदम और आगे ले जा रहा है, जिसने भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में संभावनाओं की तलाश करने का एक अवसर प्रदान किया है।

चूँकि कई भू-राजनीतिक चुनौतियाँ मौजूद हैं जो सुचारू भारत-आसियान पारगमन को अवरुद्ध करती हैं, इसलिये यह प्रदर्शित करना महत्त्वपूर्ण है कि भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' आसियान की संभावनाओं से कैसे संगत होती है और भारत-आसियान संबंधों में विद्यमान चुनौतियों पर कैसे काबू पाती है।

आसियान (ASEAN) क्या है ?

- आसियान 10 देशों का समूह है जिसे दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक माना जाता है।
  - इसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, फिलीपींस, सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया और म्यांमार शामिल हैं।
- आसियान देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र के रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण मिलन-बिंदुओं पर स्थित हैं जो आसियान को क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों, दोनों के लिये एक केंद्र बिंदु बनाता है।

भारत और आसियान के बीच सहयोग के क्षेत्र

- **आर्थिक सहयोग:** आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत ने आसियान के साथ वर्ष 2009 में वस्तुओं पर और वर्ष 2014 में सेवाओं एवं निवेश पर एक मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement- FTA) पर हस्ताक्षर किये।
  - भारत और आसियान ने एक संयुक्त वक्तव्य भी अंगीकार किया है जहाँ मौजूदा रणनीतिक भागीदारी को व्यापक रणनीतिक भागीदारी (Strategic Partnership to Comprehensive Strategic Partnership) में उन्नत करने की घोषणा की गई है।
- **शांति और सुरक्षा:** दोनों पक्षों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समुद्री सुरक्षा और हवाई क्षेत्र से उड़ान भर सकने की स्वतंत्रता को बनाए रखने तथा उसे बढ़ावा देने के महत्त्व की पुष्टि की है।

वित्तीय सहायता: भारत आसियान-भारत सहयोग कोष (ASEAN-India Cooperation Fund) और आसियान-भारत ग्रीन फंड जैसे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से भारत आसियान देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

- **कनेक्टिविटी/संपर्क:** भारत इस क्षेत्र में भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय (IMT) राजमार्ग और कलादान मल्टीमॉडल परियोजना जैसी कई कनेक्टिविटी परियोजनाएँ कार्यान्वित कर रहा है।
  - भारत और आसियान देशों ने हाल ही में कंबोडिया में आयोजित 19वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में एक व्यापक रणनीतिक भागीदारी (comprehensive strategic partnership) स्थापित कर अपने संबंधों को एक नई ऊर्जा प्रदान की है।

आसियान से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ

- **प्रादेशिक विवाद:** आसियान सदस्य देश लंबे समय से इच्छुक शक्तियों के साथ क्षेत्रीय विवादों में उलझे हुए हैं। उदाहरण के लिये, दक्षिण चीन सागर में विभिन्न क्षेत्रों पर चीन के दावों के विरुद्ध ब्रुनेई दारुस्सलाम, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के भी अलग-अलग प्रतिस्पर्द्धी दावे मौजूद हैं।
- **हिंद-प्रशांत प्रतिद्वंद्विता:** लंबे समय से चीन को प्राथमिक आर्थिक भागीदार और अमेरिका को प्राथमिक सुरक्षा गारंटर के रूप में देखना आसियान संतुलन के केंद्र में रहा है।
  - लेकिन वर्तमान में वह संतुलन बिगड़ रहा है और रूस-यूक्रेन युद्ध ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता के तेज़ होने से उस अंतर्निहित स्थिरता को खतरा पहुँच रहा है, जिस पर क्षेत्रीय विकास और समृद्धि टिकी हुई है।
- **अस्थिर भू-अर्थशास्त्र:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव भू-आर्थिक परिणाम उत्पन्न कर रहा है जहाँ व्यापार एवं प्रौद्योगिकीय सहयोग के साथ-साथ आपूर्ति शृंखला प्रत्यास्थता के मुद्दे चरम पर हैं।
  - यह परिदृश्य ऐसे समय बन रहा है जब आसियान इन चुनौतियों के प्रबंधन के संबंध में एक आंतरिक रूप से विभाजित संगठन बना हुआ है।
- **भारत-आसियान चुनौती:** आसियान देशों के साथ विभिन्न द्विपक्षीय सौदों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, जिससे आर्थिक संबंधों के विभिन्न पहलू अवरुद्ध बने हुए हैं।
  - भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी विभिन्न कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिये भारत की प्रतिबद्धता के बावजूद, वे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। इसके विपरीत, चीन का 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' विभिन्न आसियान देशों का भरोसा प्राप्त कर रहा है।

आगे की राह

- **प्रत्यास्थी आपूर्ति शृंखला का निर्माण:** आसियान और भारत के बीच मूल्य शृंखलाओं के संबंध में वर्तमान संलग्नता पर्याप्त नहीं है। आसियान और भारत उभरते हुए परिदृश्य का लाभ उठा सकते हैं तथा नई एवं प्रत्यास्थी आपूर्ति शृंखलाओं के निर्माण के लिये एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं।
  - हालाँकि, इस अवसर का लाभ उठा सकने के लिये आसियान और भारत को अपनी लॉजिस्टिक्स सेवाओं का उन्नयन करना होगा और परिवहन अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना होगा।
- **हिंद-प्रशांत में समुद्री सुरक्षा:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा भारत के साथ-साथ आसियान के हितों की सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण है।

नोट :

- दोनों पक्षों को समुद्री पर्यावरण को क्षति पहुँचाए बिना संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करने की ज़रूरत है। महासागर की क्षमता का संवहनीय तरीके से दोहन करने के लिये उन्हें प्रबल एवं ज़िम्मेदार पहल करने की आवश्यकता है।
- इसके साथ ही, आसियान को दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में मौजूद विवादों को हल करने के लिये संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UN Convention for the Law of the Sea-UNCLOS) के सिद्धांतों पर बल देना चाहिये।

- **क्षेत्रीय पर्यटन:** भारत और आसियान को क्षेत्रीय पर्यटन तथा लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिये जहाँ पहले से ही एक सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंध मौजूद है।
- **'एक्ट-ईस्ट पॉलिसी' का क्रियान्वयन:** साझा चिंताओं पर पारस्परिकता एवं आपसी समझ आसियान और भारत दोनों को कुछ चुनौतियों से उबरने में मदद करेगी।
    - डिजिटलीकरण, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, शिक्षा और हरित विकास के क्षेत्र में समन्वय के माध्यम से भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की क्षमताएँ साकार हो सकेंगी।

भारत के मुक्त व्यापार समझौतों में संशोधन

संदर्भ

भारत वित्त वर्ष 2023 तक 450-500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के महत्त्वाकांक्षी निर्यात शिपमेंट लक्ष्य के साथ निर्यात-उन्मुख घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये पिछले दो वर्षों से कई भागीदारों – द्विपक्षीय और क्षेत्रीय दोनों – के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (Free Trade Agreements- FTAs) पर वार्ता कर रहा है।

- वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का निर्यात 418 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया जो वित्त वर्ष 2018-19 में महामारी-पूर्व के स्तर 331 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। यद्यपि व्यापार में ये उपलब्धियाँ प्रशंसनीय हैं, फिर भी भारत में अभी भी व्यापक संभावनाएँ मौजूद हैं जिन्हें साकार किया जाना चाहिये।
- यदि हम भारत के ट्रेड पोर्टल (India's Trade Portal) के अनुमानों पर गौर करें तो कई क्षेत्रों—विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, रत्न एवं आभूषण और रसायनों में भारत की निर्यात क्षमता और वास्तविक निर्यात में व्यापक अंतर दिखाई देता है। इसलिये, यह उपयुक्त समय होगा कि क्षेत्र-विशिष्ट और बाज़ार-विशिष्ट समस्याओं का समाधान किया जाए ताकि हम सभी क्षेत्रों में निर्यात की पूर्ण क्षमता को साकार कर सकें।

मुक्त व्यापार समझौता (FTA) क्या है?

- FTA विभिन्न देशों या क्षेत्रीय ब्लॉकों के बीच एक समझौता होता है जो व्यापार बढ़ाने के दृष्टिकोण से आपसी बातचीत के माध्यम से व्यापार बाधाओं (Trade Barriers) को कम करने या उन्हें समाप्त करने का लक्ष्य रखता है।
    - इसमें माल, सेवाएँ, निवेश, बौद्धिक संपदा, प्रतिस्पर्द्धा, सरकारी खरीद और अन्य क्षेत्र शामिल हैं।
- मुक्त व्यापार की यह अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद (Trade Protectionism) या आर्थिक अलगाववाद (Economic Isolationism) का विलोम है।
- FTAs को अधिमान्य व्यापार समझौते (Preferential Trade Agreement- PTA), व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (Comprehensive Economic Cooperation Agreement- CECA) और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement- CEPA) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

FTAs का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- FTAs स्थानीय उत्पादन को विदेशी व्यापार के साथ संयुक्त कर अर्थव्यवस्थाओं में विकास को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं।
    - चूँकि FTAs के कारण प्रत्येक देश द्वारा कम लागत पर चयनित वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन और खपत में वृद्धि लाता है।
- सीमारहित व्यापार (Borderless Trade) को सुविधाजनक बनाने के अलावा, FTAs अधिकाधिक व्यवसायों के लिये सीमा पार व्यापार को आसान बनाकर आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाने में मदद करते हैं।

भारत के मुक्त व्यापार समझौतों की वर्तमान स्थिति

- भारत वर्तमान में 12 FTAs का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें भारत-यूएई CEPA नवीनतम है।
- नवंबर 2019 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) से भारत के बाहर आने के बाद 15 सदस्यीय FTA समूह (जिसमें जापान, चीन और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं) में भारत के लिये मुक्त व्यापार समझौते ठंडे बस्ते में चले गए थे।
- लेकिन अब संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ भारत के द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत जारी है।

- **भारत के प्रमुख व्यापार समझौते**
  - व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement- CECPA)
  - दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (South Asian Free Trade Area- SAFTA)
  - एशिया प्रशांत व्यापार समझौता (Asia Pacific Trade Agreement- APTA)
  - दक्षिण एशिया अधिमान्य व्यापार समझौता (South Asia Preferential Trading Agreement- SAPTA)

भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित प्रमुख समस्याएँ

- पारदर्शिता और संवीक्षा की कमी: भारत अधिकांश FTAs पर बंद दरवाज़ों के पीछे बातचीत करता है, जहाँ उद्देश्यों और प्रक्रियाओं के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध होती है और उनकी नगण्य संवीक्षा की जाती है।
  - इसके अलावा, कोई संस्थागत तंत्र मौजूद नहीं है जो FTAs पर हस्ताक्षर के दौरान और उसके बाद कार्यकारी के कृत्यों की संवीक्षा में सक्षम हो।
- ऋणात्मक व्यापार संतुलन: पिछले एक दशक में भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान), दक्षिण कोरिया, जापान और मलेशिया के साथ FTAs पर हस्ताक्षर किये हैं। लेकिन निर्यात में वृद्धि के बावजूद भारत आसियान और जापान जैसे देशों के साथ ऋणात्मक व्यापार संतुलन (Negative Balance of Trade) की स्थिति रखता है।
  - भारत ने वर्ष 2020-21 में आसियान देशों के साथ 15.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा दर्ज किया। वित्त वर्ष 2020-21 में जापान के साथ भारत का व्यापार घाटा 6.49 बिलियन डॉलर का रहा।
- आयात पर अत्यधिक निर्भरता: जबकि भारत अपनी तेल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आयात पर 85% निर्भरता रखता है, एक घरेलू कोयला संकट भी बिजली की मांग की पूर्ति के लिये शुष्क ईंधन की विदेशी आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिये उसे विवश कर रहा है।
  - इसके अतिरिक्त, जारी रूस-यूक्रेन युद्ध सहित विभिन्न भू-राजनीतिक घटनाक्रमों ने वैश्विक तेल एवं कमोडिटी की कीमतों में भारी वृद्धि की है और वैश्विक आपूर्ति शृंखला में व्यवधान उत्पन्न किया है।
- आत्मनिर्भरता को भ्रमित रूप से संरक्षणवाद समझा जाना: 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान ने इस भ्रम को बढ़ाया है कि भारत तेज़ी से एक संरक्षणवादी बंद बाज़ार अर्थव्यवस्था में परिणत होता जा रहा है।

आगे की राह

- **खुली और प्रतिस्पर्द्धी अर्थव्यवस्था की ओर:** भारत के व्यापार नीति ढाँचे को आर्थिक सुधार का सहयोग प्रदान किया जाना चाहिये, जिसके परिणामस्वरूप एक खुली, प्रतिस्पर्द्धी और प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा।
  - इसलिये, भारत को वैश्विक आर्थिक नेटवर्क में उद्यमियों को शामिल करने पर ध्यान देना चाहिये जो उन्हें अधिक वित्तीय सुरक्षा प्राप्त कर सकने का अवसर देगा।
- **MSME क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना:** सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 29% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 40% के योगदान के साथ MSMEs महत्त्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रमुख खिलाड़ी होने की भूमिका रखते हैं।
  - भारत के लिये विशेष आर्थिक क्षेत्रों (Special Economic Zones- SEZs) को MSME क्षेत्र से जोड़ना और छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करना महत्त्वपूर्ण है।
- **घरेलू आधार का विस्तार करना:** भारत को इंजीनियरिंग वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और कृषि मशीनरी जैसे मूल्यवर्द्धित उत्पादों में अपने घरेलू विनिर्माण आधार को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिसका उपयोग फिर निर्यात को बढ़ावा देने के लिये किया जा सकता है।
- **अवसंरचनात्मक विकास:** एक सुदृढ़ आधारभूत संरचना नेटवर्क—जिसमें गोदाम, बंदरगाह, परीक्षण प्रयोगशाला, प्रमाणन केंद्र आदि शामिल हैं, भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा कर सकने में सक्षम बनाएगा।
  - भारत को आधुनिक व्यापार अभ्यासों को भी अपनाने की आवश्यकता है जिन्हें निर्यात प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से लागू किया जा सकता है। इससे समय और लागत दोनों की बचत होगी।
  - **FTAs की संवीक्षा:** वाणिज्य समिति FTAs की संवीक्षा करने, समझौतों एवं वार्ताओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने और इस प्रकार विधायिका के लिये कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा जाना चाहिये।

स्पॉटलाइटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश

संदर्भ

आधारभूत संरचना या अवसंरचना क्षेत्र (Infrastructure sector) भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये एक प्रमुख चालक है। यह क्षेत्र भारत के समग्र विकास को आगे ले जाने के लिये प्रमुख रूप से उत्तरदायी है और सरकार द्वारा इस पर गहन ध्यान दिया जाता है। देश

भर में आधारभूत संरचना परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिये केंद्र के साथ-साथ राज्य स्तर पर कई पहल की गई है।

- लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट, अत्याधुनिक आधारभूत संरचना निर्माण के मार्ग में अभी भी कई बाधाएँ हैं। सतत उच्च विकास और एक प्रतिस्पर्द्धी विनिर्माण क्षेत्र की ओर भारत की राह सुदृढ़ और विश्वसनीय राष्ट्रीय आधारभूत ढाँचे से होकर ही गुज़रेगी।

भारत में अवसंरचना का वर्तमान परिदृश्य

- **'इंफ्रा-डेफिसिट इंडिया':** भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा (ब्राजील के बाद) अवसंरचनागत घाटा रखने वाला देश है क्योंकि इसने 1990 के दशक की शुरुआत से ही 6% से अधिक की तीव्र गति से विकास किया है लेकिन आपूर्ति में अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है।
    - विश्व बैंक की 'भारत की शहरी अवसंरचना आवश्यकताओं का वित्तपोषण' (Financing India's Urban Infrastructure Needs) शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2036 तक 600 मिलियन लोग भारत के शहरी क्षेत्रों में रह रहे होंगे, जो जनसंख्या के 40% भाग का प्रतिनिधित्व करेंगे।
        - इससे भारतीय शहरों की पहले से ही तनी हुई शहरी अवसंरचना और सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की संभावना है।
    - वर्तमान में भारतीय शहरों की अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं का महज 5% ही निजी स्रोतों के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा है।
- **अवसंरचना क्षेत्र का महत्त्व:**
    - अवसंरचना क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास के लिये एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है क्योंकि यह टाउनशिप, हाउसिंग, बिल्ट-अप इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण विकास परियोजनाओं जैसे संबद्ध क्षेत्रों के विकास को संचालित करता है।
    - वैश्विक निवेशकों ने आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिये भारत को अपने शीर्ष गंतव्य स्थलों में से एक के रूप में देखना शुरू कर दिया है। भारत अपने युवा उभार, मध्यम वर्ग के उदय और विशाल घरेलू बाज़ार के दम पर अवसंरचनात्मक परियोजनाओं पर उच्च प्रतिफल या रिटर्न दर की की पेशकश करता है।
- **संबंधित पहलें:**
    - सरकार ने वित्त वर्ष 2020-25 की अवधि के लिये अवसंरचना विकास को समर्थन देने हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) शुरू की है, जहाँ शहरी अवसंरचना प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है।
    - सरकार ने लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिये आधारभूत संरचना परियोजनाओं की समन्वित योजना और निष्पादन के उद्देश्य से महत्त्वाकांक्षी गति शक्ति योजना भी शुरू की है।
    - राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (National Investment and Infrastructure Fund-NIIF) एक सरकार समर्थित इकाई है, जो देश के अवसंरचना क्षेत्र को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने के लिये स्थापित की गई है। इसे दिसंबर 2015 में श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में स्थापित किया गया था।
    - नवंबर 2021 में भारत, इज़राइल, अमेरिका और यूएई (I2U2) ने क्षेत्र में अवसंरचना विकास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने तथा द्विपक्षीय सहयोग को मज़बूत करने के लिये एक नया चतुर्भुज आर्थिक मंच स्थापित किया।
    - मार्च 2021 में भारत में अवसंरचना परियोजनाओं को निधि देने के लिये राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (National Bank for Financing Infrastructure and Development-NaBFID) की स्थापना के लिये संसद में इस आशय का एक विधेयक पारित किया गया।

संबंधित चुनौतियाँ

- भारत की सबसे बड़ी चुनौती विशाल अवसंरचनागत वित्तीय अंतराल है, जिसके जीडीपी के 5% से अधिक होने का अनुमान है।
- भूमि अधिग्रहण, आक्रामक बोली लगाना और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ अवसंरचनात्मक PPPs (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) के लिये प्रमुख चुनौतियाँ हैं ।
- भारत तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के उच्च स्तर का सामना कर रह है और अर्थव्यवस्था के भविष्य के विकास के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिये ऋण वृद्धि को आधार के रूप मंष बहाल करने की आवश्यकता है।
    - बैंकों में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के साथ-साथ बैंकों की छोटी पूंजी के कारण इन परिसंपत्तियों पर अतिरिक्त और संभावित रूप से गंभीर क्षति की स्थिति बन सकती है।
- इसके अलावा, क्रेडिट ब्याज दरों की स्थिरता की कमी से क्षेत्र में निवेश के लिये एक उल्लेखनीय जोखिम उत्पन्न हुआ है।
    - यह तथ्य कि भारत में अवसंरचना निवेश आम तौर पर USD पर अपेक्षित प्रतिफल/रिटर्न पर आधारित होता है न कि उपयोगकर्त्ता शुल्क पर, एक असंतुलन का सृजन करता है और देश में विदेशी अवसंरचना निवेश के कुल प्रवाह को प्रभावित करता है।

अवसंरचना क्षेत्र को सशक्त करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **नीति/नियामक ढाँचे में निरंतरता सुनिश्चित करना:** निविदा प्रक्रिया में एक बेहतर नियामक वातावरण और निरंतरता की आवश्यकता है। विभिन्न सरकारी विभागों में निरंतरता और नीतिगत सामंजस्य की कमी को प्राथमिकता से संबोधित किया जाना चाहिये।
  - तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की समस्या से निपटने के लिये सरकार और RBI के मध्य एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिये। गैर-निष्पादित संपत्तियों, PSUs के पुनरुद्धार के लिये सभी क्षेत्रों में एक समर्पित नीति का निर्माण करने की आवश्यकता है।
- **उचित उपयोगकर्त्ता शुल्क:** अवसंरचन वित्तपोषण, अवसंरचना सेवा प्रदाताओं की वित्तीय व्यवहार्यता और पर्यावरण एवं संसाधन उपयोग संवहनीयता को बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है।
  - उपयोगकर्त्ता शुल्क महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि देश भर के कई क्षेत्रों में आंशिक रूप से शून्य या बहुत कम उपयोगकर्त्ता शुल्क के कारण कीमती संसाधनों (जैसे भूजल) का अत्यधिक उपयोग एवं अपव्यय होता है।
  - उचित उपयोगकर्त्ता मूल्यों से प्रेरित पर्यावरणीय संवहनीयता एवं संसाधन उपयोग दक्षता के अलावा इस नीति प्राथमिकता में अपार संसाधन सृजन क्षमता भी है।
- **अवसंरचना का स्वायत्त विनियमन:** चूँकि भारत और विश्व निजी भागीदारी के लिये अधिकाधिक क्षेत्रों को खोल रहे हैं, निजी क्षेत्र अनिवार्य रूप से स्वायत्त अवसंरचना विनियमन की मांग करेगा।
  - विश्वव्यापी प्रवृत्ति बहु-क्षेत्रीय नियामकों की ओर है क्योंकि आधारभूत संरचना क्षेत्रों में नियामक भूमिका आम है और ऐसे संस्थान नियामक क्षमता का निर्माण करते हैं, संसाधनों का संरक्षण करते हैं और नियामक कब्जे को रोकते हैं।
- **संपत्ति पुनर्चक्रण (AR) और BAM:** BAM (Brownfield Asset Monetisation) का मूल विचार ब्राउनफील्ड AR के माध्यम से अवसंरचनागत संसाधनों को बढ़ाना है ताकि डी-रिस्क्ड ब्राउनफील्ड सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों में बंधी धनराशि को मुक्त करके त्वरित ग्रीनफील्ड निवेश किया जा सके।
  - इन परिसंपत्तियों को एक ट्रस्ट (InvITs) या एक कॉर्पोरेट संरचना (TOT मॉडल) में स्थानांतरित किया जा सकता है, जो कैपिटल कंसिडरेशन (जो इन अंतर्निहित परिसंपत्तियों से भविष्य के नकदी प्रवाह के मूल्य पर कब्जा करता है) के बजाय संस्थागत निवेशकों से निवेश प्राप्त करता है।
  - भारत के पास अवसंरचना क्षेत्रों में ब्राउनफील्ड संपत्तियों का एक बड़ा भंडार है।
- **घरेलू फंड का उपयोग:** भारतीय पेंशन फंड जैसे घरेलू स्रोत जो निष्क्रिय पड़े हुए हैं, यदि कुशलता से उपयोग किये जाएँ तो इस क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा मिल सकता है।
  - भारत अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने के लिये घरेलू धन के कुशल उपयोग पर कनाडा, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एवं ऐसे अन्य देशों के अभ्यासों का अनुकरण कर सकता है।
- **वैश्विक नेतृत्व का लाभ उठाना:** भारत दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर रहा है। विभिन्न G20 देशों ने अपनी अध्यक्षता में अवसंरचना के लिये एजेंडा निर्धारित किया है, जैसे कि परिसंपत्ति वर्ग के रूप में अवसंरचना के लिये रोडमैप (अर्जेंटीना, 2018), गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना निवेश के सिद्धांत (जापान, 2019), इंफ्राटेक (सऊदी अरब, 2020) और प्रतिफल/रिकवरी के लिये संवहनीय अवसंरचना का वित्तपोषण (इटली, 2021)।
  - G20 की अध्यक्षता भारत के लिये एक अवसर है कि वह स्वयं के लिये और विश्व के लिये अवसंरचना एजेंडे को निर्धारित करे।

सतत् शहरी नियोजन की ओर

संदर्भ

भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से विकास करती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसका या विकास इसके शहरों से प्रेरित है। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि वर्ष 2030 तक भारतीय शहर देश के सकल घरेलू उत्पाद में 70% योगदान कर रहे होंगे। विश्व बैंक के अनुसार, भारत को अपनी तेज़ी से बढ़ती शहरी आबादी की मांगों की पूर्ति करने के लिये अगले 15 वर्षों में 840 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की आवश्यकता होगी।

- ऐसे निष्कर्ष शहरीकरण (urbanisation) की उस घातीय दर में परिलक्षित भी होते हैं जिनसे देश गुज़र रहा है। जबकि यह वृहत आर्थिक विकास की दिशा में एक उल्लेखनीय मोड़ है, यह जीवनक्षमता (liveability) के संबंध में चुनौतियों का एक समूह भी लेकर आता है। उन चुनौतियों में गहराई से उतरने पर शहरीकरण के ढाँचे के भीतर एक अंतर्निहित सीमा का भी पता चलता है।
- शहरीकरण अपने आप में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अरक्षणीय और अनियोजित शहरीकरण सामाजिक-आर्थिक समस्याएँ पैदा करने के लिये बाध्य है। इन समस्याओं से योजनाबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से मुक़ाबला करने की ज़रूरत है।

भारत शहरी क्षेत्र को एक विकास इकाई के रूप में कैसे चिह्नित करता है?

- भारत का अखिल भारतीय शहरी दृष्टिकोण सर्वप्रथम 1980 के दशक में राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग (वर्ष 1988) के गठन के रूप में व्यक्त हुआ था।
- राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों और 74वें संशोधन अधिनियम, 1992के माध्यम से भारतीय संविधान भारत के शहरी क्षेत्र में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (नगर निकाय के रूप में) के लिये एक स्पष्ट अधिदेश लागू करता है।
- इसके साथ ही, स्थानीय निकायों पर 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट ने भी शहरी शासन संरचनाओं और उनके वित्तीय सशक्तिकरण की आवश्यकता पर बल दिया।

शहरी विकास से संबंधित हाल की प्रमुख पहलें

- शहरी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (Atal Mission for Urban Rejuvenation and Urban Transformation- AMRUT)
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)
- जलवायु स्मार्ट शहर आकलन रूपरेखा 2.0 (Climate Smart Cities Assessment Framework 2.0)
- द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम- ट्यूलिप (TULIP)

भारत के शहरी क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ

- **कुशल परिवहन का अभाव:** लोग सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर निजी परिवहन का उपयोग करना अधिक पसंद करते हैं। कारों पर निर्भरता के परिणामस्वरूप सड़कों पर भीड़भाड़, प्रदूषण और शहरों में यात्रा समय में वृद्धि की स्थिति बनी है।
    - इसके साथ ही, भारतीय शहरों में वाहनों की बढ़ती संख्या को जलवायु परिवर्तन के आवश्यक चालक के रूप में देखा जाता है क्योंकि ये वाहन दहन ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता रखते हैं।
- **मलिन बस्तियाँ और अवैध बस्तियाँ:** शहरी क्षेत्रों में रहना महँगा होता है, लेकिन अधिकांश लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जाते हैं, वे इस तरह के जीवनयापन को वहन कर सकने की क्षमता नहीं रखते। यह स्थिति फिर प्रवासियों के लिये सुरक्षित आश्रय के रूप में मलिन बस्तियों के विस्तार की ओर ले जाती है।
    - विश्व बैंक के अनुसार भारत में मलिन बस्तियों में रहने वाली आबादी कुल शहरी आबादी का लगभग 35.2% थी।
    - मुंबई की धारावी को एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती माना जाता है।
- **पर्यावरणीय गुणवत्ता में गिरावट:** शहरीकरण पर्यावरणीय क्षरण के प्रमुख कारकों में से एक है। सीमित स्थानों में लोगों की भीड़ हवा की गुणवत्ता को कम करती है और जल को दूषित करती है।
    - भवनों और कारखानों के निर्माण के लिये जंगलों एवं कृषि भूमि का विनाश भूमि की गुणवत्ता का क्षरण करता है।
    - घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट जो सीधे नदियों में प्रवाहित कर दिये जाते हैं, जल की गुणवत्ता को कम करते हैं।
        - इसके साथ ही, शहरी क्षेत्र के बाहर कूड़ों के बड़े ढेर भारत के किसी भी महानगरीय शहर की पहचान ही बन गए हैं।
- **सीवेज की समस्या:** तीव्र शहरीकरण शहरों के अनियोजित और अव्यवस्थित विकास की ओर ले जाता है और इनमें से अधिकांश शहर अक्षम सीवेज सुविधाओं से त्रस्त हैं।
    - अधिकांश शहरों में सीवेज कचरे के उपचार की उपयुक्त व्यवस्था मौजूद नहीं है। भारत सरकार के अनुसार, भारत में उत्पन्न सीवेज का लगभग 78% अनुपचारित ही रहता है जिसे इसे नदियों, झीलों या समुद्र में बहा दिया जाता है।

- **अर्बन हीट आइलैंड:** शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ, इमारतों और अन्य सतहों की सघन सांद्रता के साथ प्राकृतिक भूमि आवरण कम हो जाता है जो फिर ऊष्मा के अवशोषण और उसे बनाए रखने के साथ 'अर्बन हीट आइलैंड' (Urban Heat Island) का निर्माण करता है।
    - यह ऊर्जा लागत (जैसे, एयर कंडीशनिंग के लिये), वायु प्रदूषण के स्तर और गर्मी संबंधी बीमारियों एवं मृत्यु का कारण बनता है।
- **शहरी बाढ़:** शहर के केंद्रीय क्षेत्रों में भूमि की कीमतों में वृद्धि और उपलब्ध भूमि की कमी के कारण भारतीय शहरों और कस्बों में नए विस्तार एवं विकास उनके निचले इलाकों में हो रहे हैं जिनके लिये प्राय: झीलों, आर्द्रभूमियों और नदियों की भूमि का अतिक्रमण भी किया जाता है।
    - नतीजतन, प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था की प्रभाविता कम हो गई है, जिससे शहरी बाढ़ (Urban Flooding) की समस्या उत्पन्न हुई है।
    - इसके अलावा बदतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अत्यधिक वर्षा जल की निकासी में रुकावट उत्पन्न करता है, जिससे जलजमाव और बाढ़ की स्थिति बनती है।
- **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की अप्रभावी कार्यप्रणाली:** यद्यपि संविधान द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिये कार्यों की एक विस्तृत शृंखला रेखांकित की गई है, उन कार्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक राजस्व के लिये वे केंद्र और राज्य पर निर्भर होते हैं।
    - ULBs को सौंपी गई शक्तियों, ज़िम्मेदारियों और धन के बीच असंतुलन तथा समयबद्ध ऑडिट की कमी के परिणामस्वरूप उनके अप्रभावी कार्यकरण की स्थिति बनती है।

आगे की राह

- **सुव्यवस्थित शहरी नियोजन:** हमारे प्रयासों को शहरी समस्याओं के संवहनीय एवं प्रभावी समाधान की दिशा में संरेखित करने की आवश्यकता है जिसमें हरित अवसंरचना, सार्वजनिक स्थानों का मिश्रित उपयोग और सौर एवं पवन जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना शामिल हो सकता है।
    - सुव्यवस्थित शहरी नियोजन शहरी क्षेत्रों और पास-पड़ोस को स्वास्थ्यप्रद एवं अधिक कुशल क्षेत्रों में बदलते हुए निवासियों के कल्याण में सुधार लाने में मदद कर सकता है।
    - वहनीय और बेहतर शहर प्रबंधन के लिये अधिकाधिक नवोन्मेषी विचारों का उभार होना चाहिये। इस संबंध में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को भी अवसर दिया जाना चाहिये।
- **शहरी रोज़गार गारंटी:** शहरी गरीबों को एक आधारभूत जीवन स्तर प्रदान करने के लिये शहरी क्षेत्रों में मनरेगा योजना जैसी किसी योजना के कार्यान्वयन की आवश्यकता है।
    - राजस्थान में शुरू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना इस दिशा में एक अच्छा कदम है।
- **हरित परिवहन:** सार्वजनिक परिवहन पर पुनर्विचार करने और इनका पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है। इसके तहत ई-बसों को अपनाना, बस कॉरिडोर बनाना, और बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उपयोग करना शामिल है जो भारत के शहरी क्षेत्र में हरित गतिशीलता (Green Mobility) को सक्षम करेगा।
- **अनौपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण:** प्रवासी श्रमिकों के हित में प्रवासियों के डेटा को संकलित करने और शहर की विकास गतिविधियों में इनका उपयोग करने की आवश्यकता है।
    - इसके अलावा, श्रम मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित असंगठित कामगार सूचकांक नंबर कार्ड (UWIN Card) भी कार्यबल को औपचारिक बनाने में मदद करेगा।
- **सतत् विकास का लोकतंत्रीकरण:** शहर के विकास के संबंध में प्रचलित 'आर्थिक' दृष्टिकोण को एक 'संवहनीय' दृष्टिकोण से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये, जिसमें पारिस्थितिक और सामाजिक दृष्टिकोण से विचार किया जाना भी शामिल होगा।
    - तदनुसार, शासन में नागरिकों की भागीदारी से भारत में स्थानीय स्तर पर सतत् विकास का लोकतंत्रीकरण किया जाना चाहिये, जैसे कि हर शहर में सहभागी बजट का उपयोग किया जाना चाहिये, स्थानीय रूप से सबसे उपयुक्त साधनों का चयन करना चाहिये और सबसे तात्कालिक मुद्दों को लक्षित किया जाना चाहिये।
        - किसी भी विकासात्मक गतिविधि के संबंध में स्थानीय स्तर पर संवहनीयता प्रभाव आकलन (Sustainability Impact Assessments- SIA) को अनिवार्य बनाया जाना चाहिये।

भारत में स्टार्ट-अप को बढ़ावा

संदर्भ

भारत को स्टार्टअप्स (Startups) के लिये इसकी विशाल वाणिज्यिक क्षमता के लिये प्राय: 'उभरते बाज़ारों के पोस्टर चाइल्ड' के रूप में वर्णित किया जाता है। दुनिया के कई अन्य भागों की तरह भारत में भी स्टार्टअप्स पर हाल के वर्षों में अधिक ध्यान दिया गया है। उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और उन्हें व्यापक रूप से विकास एवं रोज़गार सृजन के महत्त्वपूर्ण इंजन के रूप में चिह्नित किया जा रहा है।

- हालाँकि दूरंदेशी नीतियों और वित्तीय बाधाओं की कमी के कारण, भारत के स्टार्टअप पारितंत्र को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस परिदृश्य में प्रभावशाली स्टार्टअप समाधान उत्पन्न करने के लिये नवाचार (Innovation) और उभरती हुई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस प्रकार यह भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास और परिवर्तन के लिये एक वाहन के रूप में अपनी भूमिका निभा सकता है।

भारत में स्टार्ट-अप पारितंत्र की वर्तमान स्थिति

- वर्ष 2021 में भारतीय स्टार्टअप्स ने 1000 से अधिक सौदों के माध्यम से 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए और 33 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न (Unicorns) के रूप में उभरे। वर्ष 2022 में अभी तक यूनिकॉर्न क्लब में 13 और भारतीय स्टार्टअप शामिल हो चुके हैं।
  - स्टार्टअप पारितंत्र के मामले में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है।
- बेन एंड कंपनी (Bain and Company) द्वारा प्रकाशित इंडिया वेंचर कैपिटल रिपोर्ट, 2021 के अनुसार भारत में संचयी स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2012 से 17% के चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (CAGR) से बढ़ी है और 1,12,000 की संख्या को पार कर गई है।

स्टार्टअप से संबंधित सरकार की प्रमुख पहलें

- **स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS):** यह योजना स्टार्टअप्स को उनकी अवधारणा को प्रमाणित करने, प्रोटोटाइप विकसित करने, उत्पादों का परीक्षण करने और बाज़ार में प्रवेश हेतु मदद करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार:** यह कार्यक्रम नवाचार और प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देकर आर्थिक गतिशीलता में योगदान करने वाले उत्कृष्ट स्टार्टअप और पारिस्थितिक तंत्र को चिह्नित करता है और उन्हें पुरस्कृत करता है।
- **SCO स्टार्टअप फोरम:** शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य देशों में स्टार्टअप पारितंत्र के विकास और सुधार के साधन के रूप में अक्टूबर 2020 में स्थापित SCO स्टार्टअप फोरम अपनी तरह का पहला प्रयास है।
- **प्रारंभ (Prarambh):** 'प्रारंभ' शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर के स्टार्टअप्स और युवा प्रतिभाओं को नए विचार, नवाचार और आविष्कार के साथ आने के लिये एक मंच प्रदान करना है।
- **नवाचारों के विकास और दोहन के लिये राष्ट्रीय पहल (National Initiative for Developing and Harnessing Innovations -NIDHI):** यह स्टार्टअप्स के लिये एक एंड-टू-एंड (End to End) योजना है जिसका लक्ष्य पाँच वर्ष की अवधि में इनक्यूबेटरों और स्टार्टअप्स की संख्या को दोगुना करना है।
- **स्टार्टअप पारितंत्र के समर्थन स्तर पर राज्यों की रैंकिंग (Ranking of States on Support to Startup Ecosystems- RSSSE):** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) वर्ष 2018 से राज्यों द्वारा स्टार्टअप पारितंत्र को दिये जाते समर्थन स्तर के आधार पर उनकी रैंकिंग कर रहा है।

भारत में स्टार्टअप से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ

- **नवाचार पर ज़ोर देने की कमी:** भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक प्रशिक्षण और 'इंडस्ट्री एक्सपोज़र' का अभाव है जो छात्रों को नवाचार उन्मुख होने से वंचित रखता है। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली अनुसंधान एवं विकास के मामले में पीछे रह जाती है।
  - इसके कारण युवा प्रतिभाएँ विदेशों में अनुसंधान और व्यापार के लिये भारत से पलायन कर रही हैं, जिसकी देश को भारी कीमत चुकानी पड़ती है।
- **पहचान की कमी:** लगभग 70% भारतीय आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है जो अभी भी विश्वसनीय इंटरनेट पहुँच से वंचित हैं। इसके कारण, ग्राम-आधारित कई स्टार्टअप चिह्नित नहीं हो पाते और सरकारी वित्तपोषण पहल के लाभ से वंचित रह जाते हैं।
- **'बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप':** स्टार्टअप के कार्यान्वयन के लिये उल्लेखनीय मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। भारत में कई स्टार्टअप, विशेष रूप से अपने आरंभिक चरणों में 'बूटस्ट्रैपिंग' (Bootstrapping) के लिये बाध्य होते हैं, यानी संस्थापकों की अपनी बचत के माध्यम से स्व-वित्तपोषित होते हैं क्योंकि उपलब्ध घरेलू वित्तपोषण सीमित है।
  - इसके परिणामस्वरूप, भारत में अधिकांश स्टार्टअप पहले पाँच वर्षों के अंदर ही विफल हो जाते हैं और इसका सबसे आम कारण है औपचारिक धन की कमी।
- **'स्केलेबिलिटी' संबंधी चिंता:** भारत में छोटे स्टार्टअप के पास ग्राहकों की सीमित समझ होती है और वे केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होते हैं, जहाँ वे स्थानीय भाषा और स्थानीय लोगों की समझ रखते हैं।
  - इस भाषाई बाधा और कनेक्टेड आपूर्ति शृंखलाओं की कमी के कारण स्टार्टअप्स के लिये अपने उत्पादों को देश भर के ग्राहकों तक पहुँचाना कठिन हो जाता है।
- **अंतरिक्ष क्षेत्र में अत्यंत सीमित पैठ:** फिनटेक और ई-कॉमर्स क्षेत्र में भारतीय स्टार्टअप बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप पिछड़े बने रहे हैं।

नोट :

- वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था लगभग 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है, जिसमें भारत की बाज़ार हिस्सेदारी 2% से भी कम है।
  - इसका कारण है- अंतरिक्ष क्षेत्र में स्वतंत्र निजी भागीदारी का अभाव।

आगे की राह

- **स्कूल-उद्यमिता गलियारा (School-Entrepreneurship Corridor):** राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 स्कूल स्तर पर उद्योग और नवाचार के साथ साझेदारी में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर छात्र उद्यमियों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है।
  - यदि नई शिक्षा नीति के तहत उद्यम कौशल को शिक्षा पाठ्यक्रम के साथ एकीकृत किया जाए तो इसका भारत में स्टार्टअप पारितंत्र पर अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- **उद्यमशीलता का संपोषण:** उद्यमशीलता के संपोषण के लिये नीति-स्तरीय निर्णयों के अलावा आवश्यक होगा कि भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र उद्यमशीलता को बढ़ावा दें और सतत एवं संसाधन-कुशल विकास के लिये सहक्रियाओं का निर्माण करें।
  - भारत में कंपनियों को स्टार्टअप्स के साथ सहयोग करने और विभिन्न कॉर्पोरेट-विशिष्ट संसाधनों के साथ उनका समर्थन करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह संलग्नता परस्पर लाभकारी बन सकती है।
- **भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन:** भारत की वृहतता और इसके संसाधनों की कमी को देखते हुए कम लागत और उच्च प्रभाव वाले समाधानों की आवश्यकता है। भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने के लिये विशेष रूप से सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में टेक स्टार्टअप्स (Technology startups) को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - भारत में 'डिजिटल डिवाइड' (Digital Divide) को कम करने के लिये अभिनव उपाय प्रदान करने के लिये भी उभरते हुए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- **स्टार्टअप्स की सामाजिक स्वीकार्यता:** भारत के विभिन्न यूनिकॉर्न के साथ सहयोग के माध्यम से सरकार को उद्यमी करियर की सामाजिक स्वीकृति की दिशा में काम करने और युवाओं को सही दिशा में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि वे आसानी से करियर चुन सकें।
- **'मेड इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड':** भारतीय स्टार्टअप्स में न केवल भारतीय समस्याओं को संबोधित कर सकने की क्षमता है बल्कि ये विदेशी बाज़ारों के लिये अनुकूलित समाधान पेश कर सकते हैं। इससे निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत के विज़न को बल मिलेगा और इसके साथ ही भारत को दुनिया भर में 'एंटरप्रेन्योरशिप हब' बनाने में भी मदद मिलेगी।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की विकासात्मक आवश्यकताएँ

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (ANI) हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित 572 द्वीपों का एक समूह है। ये द्वीप इंडोनेशिया और थाईलैंड के निकट स्थित हैं।

सुरक्षात्मक और आर्थिक दृष्टिकोण से ANI के रणनीतिक महत्त्व को भारत द्वारा पूरी तरह से चिह्नित नहीं किया है और वर्तमान में ANI में पर्यावरणीय क्षरण चिंता का एक प्रमुख विषय है। इस परिदृश्य में, द्वीप की अर्थव्यवस्था के संवर्द्धन के साथ-साथ भारत की समुद्री क्षमता को सशक्त बनाने के लिये सतत् विकास पर वृहत ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारत के लिये ANI का महत्त्व:

- **मूल्यवान जनजाति क्षेत्र:** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 5 विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों— ग्रेट अंडमानी (Great Andamanese), जरवा (Jarwas), ओंज (Onges), शोम्पेन (Shompens) और उत्तरी सेंटिनली (North Sentinelese) का निवास है।
- **समुद्री भागीदारों के लिये गतिविधि क्षेत्र:** भारत के प्रमुख समुद्री भागीदार, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्राँस; अंडमान और निकोबार की रणनीतिक अवस्थिति को चिह्नित करते हैं और इसे महत्त्वपूर्ण मानते हैं।
  - ये द्वीप न केवल भारत को एक महत्त्वपूर्ण समुद्री अवसर प्रदान करते हैं बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र की सामरिक और सैन्य गतिशीलता को आकार देने की भी उल्लेखनीय क्षमता रखते हैं।
- **ANI के लिये हाल की विकास योजनाएँ:**
  - **जापान द्वारा विदेशी विकास सहायता:** जापान ने वर्ष 2021 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विकास परियोजनाओं के लिये 265 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता को मंज़ूरी दी है।
  - **ग्रेट निकोबार के लिये नीति आयोग की परियोजना:** इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक हवाई अड्डा, एक बिजली संयंत्र और एक टाउनशिप शामिल है।
  - **लिटिल अंडमान के लिये नीति आयोग का प्रस्ताव:** इस योजना में एक नए ग्रीनफील्ड तटीय शहर 1(greenfield

coastal city) के विकास का प्रस्ताव किया गया है जो सिंगापुर और हांगकांग के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सके।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ

- **अवैध प्रवासन और तस्करी:** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को गैर-पारंपरिक खतरों के रूप में आंतरिक सुरक्षा के संबंध में लिये वृहत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन खतरों में बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों से अवैध प्रवासन, समुद्री एवं वन संसाधनों का अवैध दोहन, निर्जन द्वीपों के माध्यम से हथियारों एवं नशीले पदार्थों की तस्करी और प्राकृतिक आपदाएँ प्रमुख हैं।
- **असंवहनीय/असतत् विकास:** अंडमान और निकोबार एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण क्षेत्र के रूप में उभरा है और इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में कई विकास परियोजनाएँ शुरू की जा रही हैं। ये परियोजनाएँ एक ओर इन द्वीपों को व्यापक रूप से रूपांतरित कर देंगी तो दूसरी ओर इससे पारिस्थितिक स्थिरता को भी हानि पहुँचेगी।
  - विकास गतिविधियाँ इस क्षेत्र की प्रवाल भित्तियों को भी प्रभावित कर रही हैं जो पहले ही गर्म होते महासागरों के कारण खतरे में हैं। उल्लेखनीय है कि प्रवाल भित्तियाँ अत्यधिक पारिस्थितिक महत्त्व रखती हैं।
  - पर्यावरणविदों ने विकास परियोजना के परिणामस्वरूप द्वीप के मैंग्रोव की क्षति पर भी चिंता जताई है।
- **भूगर्भीय अस्थिरता:** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भूकंप के दृष्टिकोण से अत्यधिक सक्रिय क्षेत्र में स्थित हैं। इसके कारण यह क्षेत्र कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 2004 में यहाँ आये एक भूकंप और उसके साथ आई सुनामी ने इस द्वीप शृंखला के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था।
    - निकोबार और कार निकोबार (निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप) ने अपनी आबादी का लगभग पाँचवाँ हिस्सा और लगभग 90% मैंग्रोव खो दिये थे।
- **भू-राजनीतिक अस्थिरता:** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हिंद-प्रशांत भू-राजनीतिक थियेटर (Indo-Pacific geopolitical theatre) का अंग हैं, जहाँ चीन सक्रिय रूप से अपने प्रभाव का विस्तार करने का प्रयास कर रहा है और संभावित रूप से भारत की ब्लू इकॉनमी एवं समुद्री सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न कर रहा है।
  - इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की चीन की महत्त्वाकांक्षाओं को श्रीलंका के हंबनटोटा में देखा जा सकता है जहाँ चीन श्रीलंका की अचल संपत्ति पर नियंत्रण रखता है।
- **जनजातीय क्षेत्र में अतिक्रमण:** यद्यपि विशेष रूप से सुभेद्य जनजातीय समूहों (Particularly Vulnerable Tribal Groups- PVTGs) को स्थानीय प्रशासन द्वारा उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाती है, फिर भी विकास के नाम पर उनके क्षेत्रों में अतिक्रमण और प्रभावी पुनर्वास कार्यक्रम की कमी के कारण उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह

- **सतत् द्वीप विकास ढाँचा (Sustainable Island Development Framework):** अंडमान और निकोबार में अवसंरचनात्मक एवं विकासात्मक परियोजनाएँ निस्संदेह भारत की सामरिक एवं समुद्री क्षमताओं में वृद्धि करेंगी, लेकिन ऐसा विकास अंडमान और निकोबार के पारिस्थितिकी तंत्र के दोहन की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिये।
  - इस क्षेत्र में किसी भी विकास गतिविधि से पहले एक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन (Environmental and Social Impact Assessment) को अनिवार्य बनाया जाना चाहिये।
  - एक सतत् द्वीप विकास ढाँचा न केवल अंडमान और निकोबार के लिये महत्त्वपूर्ण है बल्कि इसे अन्य भारतीय द्वीपों के लिये भी लागू किया जाना चाहिये।
- **सामुदायिक विकास के लिये मास्टर प्लान:** स्वदेशी/मूल निवासी समुदायों की सुरक्षा के लिये कानूनों को सशक्त बनाया जाना चाहिये और आपदा के समय उनकी रक्षा के लिये एक उचित पुनर्वास योजना तैयार की जानी चाहिये।
  - यहाँ आने वाले पर्यटकों द्वारा हस्तशिल्प वस्तुओं की उच्च मांग के कारण यहाँ हस्तशिल्प उद्योग के विकास की वृहत संभावनाएँ मौजूद हैं। इस क्रम में भारत द्वीप क्षेत्रों में हस्तशिल्प उद्योग के औपचारीकरण के लिये एक मास्टर प्लान तैयार कर और 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देकर दुनिया भर के द्वीपों के लिये एक खाका प्रदान कर सकता है।
- **द्वीप सुरक्षा मॉडल का विकास करना:** एक द्वीप सुरक्षा मॉडल विकसित करने के लिये भारत को समुद्री सुरक्षा में क्षमता निर्माण में निवेश करने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है; इसके साथ ही घुसपैठ के किसी भी प्रयास को ट्रैक करने के लिये अपनी नौसेना को नवीनतम तकनीक से लैस करने की भी आवश्यकता है।
- **लिंकिंग परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना:** सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) के माध्यम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मुख्य भूमि से जोड़ने की योजना को भी पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

- सबमरीन केबल अंडमान और निकोबार को सस्ती एवं बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने और डिजिटल इंडिया के सभी लाभ (विशेष रूप से ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रेडिंग में सुधार लाने) प्राप्त करने में भी मदद करेगी।

- **जहाज़ निर्माण और मरम्मत उद्योग का संवर्द्धन:** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जीवन रेखा शिपिंग संचालन है, क्योंकि अधिकांश निर्माण गतिविधियाँ इससे ही संबंधित हैं। शिपिंग कार्यों को बिना किसी व्यवधान के जीवित रखने के लिये जहाज़ मरम्मत सुविधाओं को स्थापित करने की आवश्यकता है।
  - जहाज़ निर्माण और मरम्मत उद्योग भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में एक 'जंक्शन' के रूप में उभरने में भी सक्षम बनाएँगे और ट्रांस-शिपमेंट बंदरगाहों के विकास से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार में भी सुविधा प्राप्त होगी।

भारत की कुपोषण समस्या का समाधान

संदर्भ

भारत में कुपोषण (Malnutrition) की समस्या, विशेष रूप से छोटे बच्चों में व्याप्त कुपोषण, सबसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों में से एक है। यह बच्चों की मृत्यु में से लगभग आधे भाग के लिये ज़िम्मेदार है और बच्चों में रुग्णता का एक प्रमुख कारण है। इससे गरीबी और भेदभाव में निहित चिकित्सा और सामाजिक विकार संबद्ध है। इसका एक आर्थिक तरंग प्रभाव (Ripple effect) भी उत्पन्न होता है जो विकास को बाधित करता है।

- कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिये सरकार विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। हालाँकि उनके वित्तपोषण और कार्यान्वयन में अभी भी अंतराल मौजूद हैं। इस मुद्दे को समग्र रूप से संबोधित करने के लिये एक व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक है।

कुपोषण क्या है?

- कुपोषण में शरीर में स्वस्थ ऊतकों और अंगों के कार्यकरण हेतु आवश्यक विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्वों की कमी हो जाती है।
  - यह स्थिति उन लोगों में उत्पन्न होती है जो या तो अल्प-पोषित (Undernourished) या अति-पोषित (over-nourished) हैं।
- **भारत में कुपोषण के विभिन्न आयामों में शामिल हैं:**
  - कैलोरी की कमी
  - प्रोटीन हंगर
  - सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी

कुपोषण से निपटने के लिये सरकार की वर्तमान पहलें

- **राष्ट्रीय पोषण मिशन:** भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कुपोषण के उन्मूलन के लिये राष्ट्रीय पोषण मिशन (National Nutrition Mission- NNM) लॉन्च किया है जिसे पोषण अभियान (POSHAN Abhiyaan) के रूप में भी जाना जाता है।
- **एनीमिया मुक्त भारत अभियान:** इसे वर्ष 2018 में एनीमिया में कमी की गति को सालाना एक से तीन प्रतिशत अंकों तक कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- **मध्याह्न भोजन (Mid-day Meal- MDM) योजना:** इसका उद्देश्य स्कूलों में बच्चों के नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति बढ़ाने के अलावा उनके पोषण स्तर में सुधार लाना है।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act- NFSA), 2013:** इस अधिनियम का उद्देश्य भोजन तक पहुँच को कानूनी अधिकार बनाते हुए समाज के सबसे कमज़ोर लोगों के लिये खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- **एकीकृत बाल विकास सेवा (Integrated Child Development Services- ICDS) योजना:** इसे वर्ष 1975 में शुरू किया गया था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और उनकी माताओं को भोजन, पूर्व-स्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच और रेफरल सेवाएँ प्रदान करना है।

भारत में कुपोषण से संबद्ध प्रमुख समस्याएँ

- **भूख की पहचान का मनमाना रवैया:** किसी परिवार के गरीबी रेखा से नीचे होने की स्थिति निर्धारित करने का मानदंड मनमाना है और यह एक राज्य से दूसरे राज्य में पर्याप्त भिन्न है। इसके अलावा, गरीबी रेखा से ऊपर (APL) और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के दोषपूर्ण वर्गीकरण के कारण खाद्य उपभोग में व्यापक गिरावट आई है।
  - इसके अलावा, खराब गुणवत्ता के अनाजों ने समस्या में योगदान किया है।
- **सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी (Micronutrient Deficiency):** भारत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की गंभीर कमी देखी गई है, जिसे 'प्रच्छन्न भूख' (Hidden Hunger) के रूप में भी जाना जाता है। इसके कई कारण हैं, जिनमें गुणवत्ताहीन आहार ग्रहण, बीमारी और गर्भावस्था एवं स्तनपान के दौरान सूक्ष्म पोषक तत्वों के ग्रहण की कमी शामिल है।
  - इसके अलावा, माताओं में पोषण, स्तनपान और पालन-पोषण के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव भी पाया जाता है।

नोट :

- **गरीबी का दुष्चक्र:** निम्न क्रय शक्ति के कारण गरीब लोग परिवार के लिये वांछित मात्रा में और वांछित गुणवत्ता का भोजन नहीं खरीद पाते हैं। इससे शारीरिक श्रम करने की उनकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वे निम्न आय अर्जित करते हैं।
    - इससे फिर गरीबी, अल्पपोषण, निम्न कार्य क्षमता, निम्न आय अर्जन, गरीबी के एक दुष्चक्र का निर्माण होता है।
- **संक्रमण प्रेरित कुपोषण:** मलेरिया एवं खसरा जैसे संक्रमण तीव्र कुपोषण को बढ़ावा दे सकते हैं और मौजूदा पोषण की कमी को और बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच और सामर्थ्य की कमी से स्थिति और बदतर हो जाती है।
    - इसके अलावा, संक्रमण के दौरान भूख की कमी से कम कैलोरी के सेवन की स्थिति बन सकती है जो फिर कुपोषण की ओर ले जाती है।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक कारक:** अधिकांश गरीब परिवारों में महिलाओं और छोटे बच्चों (विशेष रूप से बालिकाओं) को आर्थिक रूप से सक्रिय पुरुष सदस्यों की तुलना में कम भोजन प्राप्त होता है।
    - बड़े परिवारों में बार-बार गर्भधारण से माताओं की पोषण स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बड़े परिवार को संभालने के प्रयास में वे गर्भावस्था के दौरान अपने स्वयं के स्वास्थ्य और प्रसव पूर्व जाँचों की उपेक्षा करती हैं।
        - माताओं में अल्पपोषण की स्थिति कम वजन के शिशुओं के जन्म का कारण बन सकती है।

आगे की राह

- **पोषण संबंधी जागरूकता:** स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कम लागत वाले खाद्य पदार्थों के महत्त्व एवं पोषण संबंधी गुणवत्ता के बारे में जनता को शिक्षित करने के रूप में ज़मीनी स्तर पर पोषण संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देना आवश्यक है।
    - कम व्यय पर स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री के उपयोग से उपयुक्त शिशु आहार (Weaning Foods) और पूरक खाद्य पदार्थ तैयार करने के सर्वोत्तम तरीकों को को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से परिवार की महिलाओं के साथ भी साझा किया जा सकता है।
- **कुपोषण का आरंभ में ही पता लगा लेना:** नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं का एक अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया गया विकास स्वास्थ्य चार्ट आरंभिक चरण में ही कुपोषण का पता लगा सकता है।
    - राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रत्येक ज़िले में मध्याह्न भोजन योजना को एक सामाजिक लेखा परीक्षा के अधीन भी लाना चाहिये।
        - कार्यक्रम निगरानी के लिये सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग भी एक सार्थक विचार है।
- **स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार:** प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में) में सुधार से महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में निश्चित रूप से सुधार होगा।
    - एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली जो टीकाकरण, मौखिक पुनर्जलीकरण (oral rehydration), समय-समय पर कृमिनाशक उपाय और सामान्य बीमारियों का उचित उपचार प्रदान करे, समाज में कुपोषण को रोकने में दीर्घकालिक योगदान कर सकती है।
- **व्यापक पोषण स्थिति:** पोषण केवल आहार तक सीमित विषय नहीं है; इसमें स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता, लैंगिक दृष्टिकोण और सामाजिक मानदंड भी शामिल हैं। इसलिये, यह ज़रूरी है कि पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिये व्यापक नीतियों का विकास किया जाए।
    - स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पोषण अभियान को समन्वित करने से भारत की पोषण स्थिति में समग्र रूप से परिवर्तन लाया जा सकता है।
- **कृषि-पोषण गलियारा:** भारत के पोषण केंद्र (गाँव) सबसे अधिक अल्पपोषित हैं और गाँवों की पोषण सुरक्षा की जाँच के लिये तंत्र विकसित किये जाने की आवश्यकता है।
    - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस कड़ी को चिह्नित करते हुए वर्ष 2019 में 'भारतीय पोषण कृषि कोष' स्थापित किया था।
- **उपलब्धता, पहुँच, सामर्थ्य:** खाद्य की बेहतर आपूर्ति एवं उत्पादन, क्रय शक्ति बढ़ाने हेतु कार्यक्रम और बेहतर फसल उत्पादन के लिये किसानों का बेहतर कृषि मार्गदर्शन देश की पोषण सुरक्षा के लिये आवश्यक हैं।
    - इसके अतिरिक्त, सरकार को किसानों को उनके उत्पादों के विपणन में सहायता देनी चाहिये और साथ ही साथ यह सुनिश्चित करना चाहिये कि एक उपयुक्त निगरानी-पूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे तंत्रों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण आहार सस्ती कीमतों पर उपलब्ध हों।

प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान केंद्रित करना

संदर्भ

अनुमान लगाया गया है कि बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिये वर्ष 2050 तक खाद्य उत्पादन में 60% वृद्धि लाने की आवश्यकता होगी। खाद्य की यह बढ़ती मांग दुनिया भर में किसानों को फसल

उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित कर रही है, जो फिर पर्यावरण पर दबाव बढ़ा रही है और स्वयं की मरम्मत कर सकने या प्रतिस्थापित कर सकने की इसकी क्षमता के पार चली गई है। इससे फिर पर्यावरण की गंभीर क्षति की स्थिति बन रही है।

- 'नेचुरल फार्मिंग' (Natural Farming) या प्राकृतिक खेतीपारंपरिक और आधुनिक कृषि अभ्यासों- दोनों में सुधार के लिये एक नया दृष्टिकोण है, जो पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और समुदायों की रक्षा पर लक्षित है। इसमें भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किये बिना खाद्य उत्पादन को सक्षम करने की क्षमता है।

नेचुरल फार्मिंग का महत्त्व

- **बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चितता:** चूँकि नेचुरल फार्मिंग में किसी भी सिंथेटिक रसायन का उपयोग नहीं होता है; स्वास्थ्य संबंधी जोखिम और खतरे समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार उत्पादित खाद्य में उच्च पोषण घनत्व होता है और इसलिये यह बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है।
- **किसानों की आय में वृद्धि:** नेचुरल फार्मिंग का उद्देश्य लागत में कमी, जोखिम में कमी, समान पैदावार, अंतर-फसल से प्राप्त आय के रूप में किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि करके खेती को व्यवहार्य और आकांक्षी बनाना है।
- **मृदा स्वास्थ्य का पुनरुद्धार:** नेचुरल फार्मिंग का सबसे तात्कालिक प्रभाव मृदा के जीव विज्ञान—यानी सूक्ष्मजीवों और केंचुओं जैसे अन्य जीवित जीवों पर पड़ता है। यह मृदा के स्वास्थ्य में सुधार करता है और परिणामस्वरूप उत्पादकता बढ़ाता है।
- **उत्पादन की न्यूनतम लागत:** नेचुरल फार्मिंग किसानों को खेत स्तर पर तथा प्राकृतिक एवं घरेलू संसाधनों का उपयोग करके आवश्यक जैविक इनपुट तैयार करने के लिये प्रोत्साहित करके उत्पादन लागत में भारी कटौती लाने पर लक्षित है।

ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग

- यह एक अनूठा मॉडल है जो कृषि-पारिस्थितिकी (Agro-ecology) पर निर्भर करता है। यह सतत/संवहनीय कृषि अभ्यासों पर आधारित रसायन मुक्त खेती का आह्वान करता है।
  - 1990 के दशक के मध्य में सुभाष पालेकर ने इसे हरित क्रांति में व्यवहृत रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों तथा सघन सिंचाई विधियों के विकल्प के रूप में विकसित किया था।
- इस मॉडल का लक्ष्य उत्पादन लागत को कम करना और हरित क्रांति से पहले की कृषि पद्धतियों पर वापस लौटना है जहाँ उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई जैसे महंगे इनपुट की आवश्यकता नहीं होती है।

भारत में खेती से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं ?

- **प्रति बूंद अधिक फसल:** भारत के सकल फसल क्षेत्र (Gross Cropped Area- GCA) का केवल 52% ही राष्ट्रीय स्तर पर सिंचित है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद से महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी कई खेत अभी भी सिंचाई के लिये मानसून पर ही निर्भर बने रहे हैं, जिससे अधिक फसल उत्पादन की उनकी क्षमता सीमित बनी रही है।
- **प्राकृतिक आदानों की तत्काल उपलब्धता का अभाव:** किसान प्राय: रासायनिक मुक्त कृषि की ओर आगे बढ़ने के लिये आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक आदानों की कमी को बाधा के रूप में देखते हैं। प्रत्येक किसान के पास स्वयं का प्राकृतिक इनपुट विकसित करने के लिये समय, धैर्य या श्रम उपलब्ध नहीं होता है।
- **फसल विविधीकरण का अभाव:** भारत में कृषि के तेज़ी से वाणिज्यीकरण के बावजूद, अधिकांश किसान मानते हैं कि अनाज ही हमेशा उनकी मुख्य फसल होगी (न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनाज के पक्ष में अधिक झुके होने के कारण) और वे फसल विविधीकरण (Crop Diversification) की उपेक्षा करते हैं।
- पैदावार में गिरावट: भारत के पहले जैविक राज्य सिक्किम में जैविक खेती अपनाने के बाद उपज में कुछ गिरावट देखी गई है। अपने ZBNF (ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग) रिटर्न में गिरावट देखने के बाद कई किसान पुन: पारंपरिक खेती की ओर मुड़ गए हैं।

सतत् कृषि से संबंधित हाल की प्रमुख सरकारी पहलें

- राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन
- परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
- कृषि वानिकी पर उप-मिशन (SMAF)
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (MOVCDNER)

आगे की राह

- **नेचुरल फार्मिंग में महिलाओं की भागीदारी:** विभिन्न अध्ययनों में प्राथमिक उत्पादक के रूप में कृषि संसाधनों पर महिलाओं के नियंत्रण और उनके परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के बीच सीधा संबंध देखा गया है।
  - **चूँकि महिलाएँ ही अधिकांशत:** अपने परिवारों के लिये खाना बनाती हैं, इसलिये वे अपने बच्चों के पोषण के लिये प्राकृतिक उत्पादों के महत्त्व को समझती हैं। इस परिदृश्य में महिलाओं द्वारा पुरुषों की तुलना में नेचुरल फार्मिंग को जल्द अपनाने की संभावना अधिक है।

- नेचुरल फार्मिंग में महिलाओं की भागीदारी से निर्णय लेने में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। यह परिवार के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा।
- **पारंपरिक और अग्रणी तकनीकों का एकीकरण:** वर्षा जल संचयन, पादप पोषण के लिये जैविक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, कीट प्रबंधन आदि पारंपरिक तकनीकों के उदाहरण हैं जिनका उपयोग उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिये टिशू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी अग्रणी तकनीकों की पूरकता के लिये किया जा सकता है।
- **ज्ञान-गहन कृषि:** भारत कृषि पद्धतियों की विविधता के लिये जाना जाता है, जो उपयुक्त समाधान खोजने के लिये राष्ट्रीय कृषि संवाद में विविध दृष्टिकोणों को शामिल करना महत्त्वपूर्ण बनाता है।
  - एक प्राकृतिक दृष्टिकोण के साथ संतुलित हाई-टेक खेती की दिशा में कुशल और सटीक कदम आगे बढ़ाने से किसानों की आय में वृद्धि होगी और स्केल संबंधी कई अन्य मुद्दों को संबोधित किया जा सकेगा।
- **खेती के लिये प्राकृतिक इनपुट का उद्यमीकरण:** रसायन मुक्त कृषि के लिये इनपुट्स का उत्पादन करने वाले लघु उद्यमों को सरकार द्वारा सहायता दी जानी चाहिये ताकि प्राकृतिक इनपुट की अनुपलब्धता की चुनौती को दूर किया जा सके।
  - नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिये ग्रामीण स्तर पर इनपुट तैयार करने और बिक्री की दुकानों की स्थापना के साथ जोड़ा जाना चाहिये।
- **प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अनुकरण की ओर:** कृषि उत्पादकता और प्रकृति के संरक्षण के बीच पारस्परिक रूप से सुदृढ़ संबंधों का विकास आवश्यक है।
  - खेती प्रणालियों को एक प्रतिकृति प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र (Mimic Natural Ecosystem) बनाने के लिये उनमें संशोधन किये जा सकते हैं। पारिस्थितिक और आर्थिक रूप से उपयोगी पेड़, झाड़ियाँ और बारहमासी घासों को खेतों में इस प्रकार एकीकृत किया जा सकता है जो प्राकृतिक वनस्पति संरचना का अनुकरण करते हैं।

परिवर्तनकारी न्यायिक क्रांति का समय

संदर्भ

न्यायपालिका (Judiciary) कानून की व्याख्या करने और उसे अर्थ प्रदान करने के लिये उत्तरदायी निकाय है। यह संविधान का रक्षक और लोकतंत्र का संरक्षक है। भारतीय संविधान के तहत न्यायपालिका शीर्ष स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के साथ केंद्र और राज्यों के लिये न्यायालयों की एक एकल एकीकृत प्रणाली है।

- हालाँकि भारतीय न्यायपालिका वर्तमान में कई समस्याओं का सामना कर रही है जो इसकी वैधता को कम कर रही हैं। इसके परिणामस्वरूप जनता का न्याय प्रणाली पर भरोसा कम हो रहा है और लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिये सहायता हेतु इस संस्था की ओर कदम बढ़ाने में संकोच रखते हैं।
- चूँकि 'न्याय में देरी न्याय से वंचित होने के समान है' (Justice delayed is Justice denied), यह महत्त्वपूर्ण है कि न्यायपालिका जल्द-से-जल्द इन बाधाओं को दूर करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारतीय नागरिक इस संस्था तक पहुँचने में संकोच न करें।

भारत में न्यायपालिका से संबंधित प्रमुख मानदंड

- **कार्यकाल की सुरक्षा:** एक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बना रह सकता है। उसे 'सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता' के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
- **वेतन और सेवा शर्तों की सुरक्षा:** न्यायाधीशों के वेतन, भत्तों आदि को उनकी पदावधि के दौरान अलाभकारी रूप में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। वित्तीय आपातकाल की अवधि के अलावा न्यायाधीशों के वेतन को कभी भी कम नहीं किया जा सकता है।
  - उनके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित होते हैं और इसलिये संसद के मतदान के अधीन नहीं होते हैं।
- **न्यायाधीशों के आचरण पर विधायिका में चर्चा से मुक्त:** किसी न्यायाधीश के आचरण या उसके कर्तव्यों के निर्वहन के बारे में संसद में तब तक कोई चर्चा नहीं हो सकती जब तक कि उसे हटाने का प्रस्ताव न लाया गया हो।
- **अपनी कार्य प्रक्रियाओं और स्थापना पर पूर्ण नियंत्रण:** सर्वोच्च न्यायालय अपनी कार्य प्रक्रियाओं और अपनी स्थापना के साथ-साथ अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों को तय करने के लिये पूर्ण स्वतंत्र है। इस प्रकार, यह किसी बाहरी एजेंसी के प्रभाव से मुक्त है।
- **न्यायालय की अवमानना के लिये दंड:** यदि कोई व्यक्ति या प्राधिकरण उसके अधिकार को कम या अवमानित करने का प्रयास करता है तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायलय की अवमानना (Contempt of Court) के लिये उसे दंडित कर सकता है।

भारतीय न्यायिक प्रणाली से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ

- **लंबित मामलों की बड़ी संख्या:** भारतीय न्यायालयों के समक्ष 30 मिलियन से अधिक मामले लंबित पड़े हैं।
  - उनमें से 4 मिलियन से अधिक मामले उच्च न्यायालय के पास लंबित हैं जबकि सर्वोच्च न्यायालय के पास 60,000 मामले

लंबित हैं। यह तथ्य कि यह आँकड़ा लगातार बढ़ रहा है, न्याय प्रणाली की अपर्याप्तता को प्रदर्शित करता है।

- **विचाराधीन कैदी:** भारतीय जेलों में बंद अधिकांश क़ैदी वे हैं जो अपने मामलों में निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं (यानी वे विचाराधीन कैदी हैं) और उन्हें निर्णयन तक की अवधि के लिये बंद रखा जाता है।
  - अधिकांश आरोपितों को जेल में एक लंबी सज़ा काटनी पड़ती है (उनके दोषी सिद्ध होने पर दी जा सकने वाली सज़ा अवधि से अधिक समय के लिये) और न्यायालय में स्वयं का बचाव करने से संबद्ध लागत, मानसिक कष्ट और पीड़ा वास्तविक दंड काटने की तुलना में अधिक महंगी और पीड़ादायी सिद्ध होती है।
- **नियुक्ति/भर्ती में देरी:** न्यायिक पदों को आवश्यकतानुसार यथाशीघ्र नहीं भरा जाता है। 135 मिलियन आबादी के देश में लगभग 25000 न्यायाधीश ही उपलब्ध हैं।
  - उच्च न्यायालयों में लगभग 400 रिक्तियाँ हैं, जबकि और निचली अदालतों में करीब 35% पद खाली पड़े हैं।
- **CJI की नियुक्ति में पक्षपात और भाई-भतीजावाद:** चूँकि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिये उम्मीदवारों के मूल्यांकन के लिये कोई विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं है, भाई-भतीजावाद और पक्षपात आम है।
  - इसके कारण न्यायिक नियुक्ति में पारदर्शिता का अभाव है, जो विधि-व्यवस्था को विनियमित कर सकने की देश की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।
  - इसके अलावा, वे किसी भी प्रशासनिक निकाय के प्रति जवाबदेह नहीं हैं जो सही उम्मीदवार की अनदेखी करते हुए गलत उम्मीदवार के चयन का कारण बन सकता है।
- **प्रतिनिधित्व की असमानता:** चिंता का एक अन्य क्षेत्र उच्च न्यायपालिका की संरचना है, जहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से कम है। 1.7 मिलियन पंजीकृत अधिवक्ताओं में से केवल 15% महिलाएँ हैं।
  - उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों का प्रतिशत मात्र 11.5 है, जबकि उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में 33 कार्यरत न्यायाधीशों में से मात्र चार ही महिला न्यायाधीश हैं।

आगे की राह

- **नियुक्ति प्रणाली में सुधार:** रिक्तियों को तुरंत भरा जाना चाहिये। यह आवश्यक है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये और अग्रिम सुझाव देने के लिये एक उपयुक्त समयरेखा स्थापित की जाए।
  - एक अन्य महत्त्वपूर्ण तत्व जो निर्विवाद रूप से भारत को एक बेहतर न्यायिक प्रणाली विकसित करने में सहायता कर सकता है, वह है एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) की स्थापना करना।
- **जाँच प्रक्रिया में सुधार:** भारत में एक सक्रिय जाँच/अन्वेषण नीति का अभाव है, जिसके कारण कई निर्दोष लोग गलत तरीके से आरोपित किये जाते हैं और दंडित होते हैं।
  - भारत सरकार को न्याय प्रणाली में सभी हितधारकों को ध्यान में रखते हुए एक जाँच नीति तैयार करने की आवश्यकता है जो प्रभावी, सक्रिय और व्यापक हो।
- **न्याय के लिये नवोन्मेषी समाधान:** लंबित मामलों की भारी संख्या के समाधान के लिये केवल अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति से ही उद्देश्य पूरा नहीं होगा, बल्कि इसके लिये नवोन्मेषी समाधानों की भी आवश्यकता है।
  - उदाहरण के लिये, मेटावर्स प्रौद्योगिकी के माध्यम से बुनियादी नागरिक मामलों का समाधान, डेटा स्टोर करने के लिये ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग, कार्यप्रवाह के सरलीकरण के लिये आईटी समाधानों की खोज, कोर्टरूम सुविधाओं में सुधार आदि वर्तमान बैकलॉग से निपटने के कुछ सार्थक तरीके हो सकते हैं।
- **बेहतर ज़िला न्यायालय:** भारत में न्यायिक सुधार की आवश्यकता में ज़िला न्यायालय चिंता के प्राथमिक क्षेत्र हैं, जिसके लिये उर्ध्वगामी रणनीति (Bottom-up Strategy) की आवश्यकता है।
  - निम्नतम स्तर पर न्यायिक प्रभावशीलता में सुधार के लिये निचली अदालतों के न्यायिक ऑडिट को ध्यान में रखा जाना चाहिये।
- **लैंगिक समानता सुनिश्चित करना:** महिला न्यायाधीशों के रूप में अपने सदस्यों के एक निश्चित प्रतिशत के साथ उच्च न्यायपालिका में लैंगिक विविधता को बनाए रखने और बढ़ावा देने की आवश्यकता है जो भारत की लिंग-तटस्थ न्यायिक प्रणाली के विकास की ओर ले जाएगी।

भारत का हरित-ऊर्जा संक्रमण

संदर्भ

जलवायु परिवर्तन एक अस्तित्व संबंधी संकट है जो मानव इतिहास के क्रम को बदतर दिशा की ओर बदल देने की क्षमता रखता है। जीवाश्म ईंधन पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं जो जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़े योगदानकर्त्ता हैं। वे वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 75% से अधिक भाग के लिये और सभी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों के लगभग 90% भाग के लिये ज़िम्मेदार हैं।

- बेहतर भविष्य के लिये, हरित ऊर्जा एक प्रमुख समाधान है जिसके माध्यम से वर्ष 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को भी पूरा किया जा सकता है।
- इस प्रकार, भारत को आर्थिक विकास के एक नए मॉडल का नेतृत्व करना चाहिये जो कार्बन-गहन दृष्टिकोण (जिसे अतीत में कई देशों ने अपनाया) से परहेज कर सके और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण हेतु अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिये एक खाका प्रदान करे।

हरित ऊर्जा क्या है?

- हरित ऊर्जा (Green energy) नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा के लिये प्रयुक्त शब्द है। हरित ऊर्जा को प्रायः स्वच्छ, सतत या नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है।
    - हरित ऊर्जा का उत्पादन वायुमंडल में जहरीली ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करता, जिसका अर्थ है कि यह बहुत कम (या नगण्य) पर्यावरणीय प्रभाव डालता है।
- कुछ महत्त्वपूर्ण हरित ऊर्जा स्रोतों में सौर, पवन, भूतापीय, बायोगैस, निम्न-प्रभाव पनबिजली और कुछ योग्य बायोमास स्रोतों द्वारा उत्पादित बिजली शामिल हैं।

भारत हरित ऊर्जा संक्रमण को कैसे सुगम बना रहा है?

- भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोगकर्त्ता देश है। वर्ष 2000 के बाद से ऊर्जा का उपयोग दोगुना हो गया है, जहाँ 80% मांग अभी भी कोयला, तेल और ठोस बायोमास द्वारा पूरी की जा रही है।
    - प्रति व्यक्ति आधार पर देखें तो भारत का ऊर्जा उपयोग और उत्सर्जन वैश्विक औसत के आधे से भी कम है।
- **हरित ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में प्रयास:**
    - वर्ष 2019 में भारत ने घोषणा की कि वह वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की अपनी स्थापित क्षमता को 450 GW तक ले जाएगा।
    - उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना (PLI) नवीकरणीय ऊर्जा के लिये कच्चे माल के उत्पादन हेतु विनिर्माण क्षेत्र के संवर्द्धन के संबंध में भारत सरकार की एक और पहल है।
    - पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 25,750 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता का दोहन कर किसानों को वित्तीय एवं जल सुरक्षा प्रदान करना है।
        - जल पंपों का सोलराइज़ेशन उपभोक्ता के दरवाज़े पर उपलब्ध बिजली वितरण की दिशा में एक कदम है।
    - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अपनी वेबसाइट पर अक्षय ऊर्जा पोर्टल और इंडिया रिन्यूएबल आइडिया एक्सचेंज (IRIX) पोर्टल की भी होस्टिंग करता है।
        - IRIX एक ऐसा मंच है जो ऊर्जा के प्रति जागरूक भारतीयों और वैश्विक समुदाय के बीच विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।

भारत के ऊर्जा संक्रमण को आकार देने वाली अन्य प्रमुख पहलें

- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (SAUBHAGYA - सौभाग्य)
- हरित ऊर्जा गलियारा (GEC)
- राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (NSGM) और राष्ट्रीय स्मार्ट मीटर कार्यक्रम (SMNP)
- (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तेज़ी से अंगीकरण और विनिर्माण (FAME)
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)

भारत के ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित चुनौतियाँ

- **ऊर्जा निर्धनता एवं असमानता:** भारत में ऊर्जा तक पहुँच एक बड़ी समस्या है और पहुँच की वृहत असमानताओं से देश ग्रस्त है। भारत में लगभग 77 मिलियन परिवार अभी भी रोशनी के लिये मिट्टी के तेल या केरोसिन का उपयोग करते हैं।
    - ग्रामीण भारत में यह समस्या और भी विकट है, जहाँ लगभग 44% तक घरों में बिजली की सुविधा नहीं है।
    - जबकि भारत ने ऊर्जा निर्धनता को दूर करने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों की शुरुआत की है, उन्हें स्थानीय स्तर पर लॉजिस्टिकल समस्याओं एवं अपर्याप्त कार्यान्वयन की स्थिति का सामना करना पड़ा है।
- **आयात पर निर्भरता और आपूर्ति शृंखला का शस्त्रीकरण:** भारत का कच्चा तेल आयात बिल वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में 76% बढ़कर 90.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया और कुल आयात मात्रा में 15% की वृद्धि हुई।
    - आयातित तेल पर बढ़ती निर्भरता के साथ भारत की ऊर्जा सुरक्षा गंभीर दबाव में है, जबकि संकटग्रस्त भू-राजनीति के कारण वर्तमान में बाधित वैश्विक आपूर्ति शृंखला इस समस्या को और बढ़ा रही है।
    - नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भी भारत सौर मॉड्यूल जैसी वस्तुओं के लिये व्यापक रूप से चीन जैसे अन्य देशों पर निर्भर है।

नोट :

- सौर मूल्य शृंखला में पश्चगामी एकीकरण (Backward integration) अनुपस्थित है क्योंकि भारत में वर्तमान में सौर वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन के निर्माण की कोई क्षमता नहीं है। यह परिदृश्य स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में बाधक है।

- **जलवायु परिवर्तन प्रेरित ऊर्जा संकट:** जलवायु परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से ईंधन की आपूर्ति, ऊर्जा की आवश्यकता के साथ-साथ वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा अवसंरचना के भौतिक लचीलेपन को प्रभावित करता है।
  - जलवायु परिवर्तन से प्रेरित ग्रीष्म लहर (Heatwaves) और अनियमित मानसून पहले से ही मौजूदा ऊर्जा उत्पादन को दबाव में ला रहे हैं, जिससे जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन को कम करना और भी महत्त्वपूर्ण हो गया है।
- **महिला स्वास्थ्य के लिये जोखिम:** महिलाएँ घरेलू गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं और स्वास्थ्य जोखिम का सामना करती हैं जब दीर्घकालिक घरेलू ऊर्जा जलावन लकड़ी, कोयला एवं गोबर के उपले जैसे गैर-स्वच्छ स्रोतों से प्राप्त की जाती है।
  - गैर-स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से महिलाओं में श्वसन, हृदय और मनोवैज्ञानिक रोगों का खतरा बढ़ जाता है तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर की भी वृद्धि होती है।
- **कोयले की मांग एवं आपूर्ति के बीच बढ़ता अंतर:** कोयला मंत्रालय के 2021 के आँकड़ों से पता चलता है कि कोयले की मांग और घरेलू आपूर्ति के बीच का अंतर बढ़ रहा है।
  - पर्याप्त भंडार की उपलब्धता के बावजूद बड़े कोयला उत्पादक राज्यों में कोयले की निकासी में कमी आई है।
  - बढ़ती कीमतों और बिजली संयंत्रों के साथ अनसुलझे लंबित अनुबंध संबंधी मुद्दों के कारण यह समस्या और भी गंभीर होती जा रही है।
- **बढ़ती मांग, बढ़ती ऊर्जा लागत:** शहरीकरण और औद्योगीकरण की बढ़ती दर के साथ अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने अपनी विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि अकेले भारत की ऊर्जा आवश्यकता में ही प्रतिवर्ष 3% की वृद्धि होगी।
  - इसके साथ ही, वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम की कीमतों में तेज़ वृद्धि हुई है।

आगे की राह

- **हरित ऊर्जा के साथ महिला सशक्तिकरण को जोड़ना:** ऊर्जा क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण और उनका नेतृत्व स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देकर निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को गति देने में मदद कर सकता है।
  - उपयुक्त संक्रमण (Just Transition) एक लैंगिक परिप्रेक्ष्य भी शामिल होना चाहिये ताकि कार्यबल में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिये हरित रोज़गार अवसरों में समान अवसरों की गारंटी दी जा सके।
  - विशेष रूप से घरों में ज़िम्मेदार माता, पत्नी और बेटी की तरह महिलाएँ उद्यमिता और नीति निर्माण में योगदान कर हरित ऊर्जा संक्रमण में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
- **हरित आपूर्ति शृंखला में विविधता लाना:** स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति शृंखलाओं को केवल विकसित देशों तक सीमित रखने के बजाय अधिकाधिक देशों तक विविधिकृत करने की आवश्यकता है।
  - इस संबंध में, COP27 के जलवायु वित्त एजेंडे को एक वाहक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे-जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, राजस्व एवं रोज़गार कुछ भौगोलिक क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरित होते जाएंगे और इसे सावधानी से प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी।
- **न्यूनतम लागत ऊर्जा समाधानों में प्रोत्साहन प्रदान करना:** भारत विश्वविद्यालय स्तर के नवाचारों को प्रोत्साहित कर सकता है जो भारत को आर्थिक रूप से व्यवहार्य स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इस प्रकार, भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का भी उपयोग किया जा सकता है और छात्रों को पारंपरिक शिक्षा की तुलना में अनुसंधान एवं नवाचार की ओर अधिक बढ़ावा दिया जाएगा।
  - उदाहरण के लिये, उजाला कार्यक्रम (Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All- UJALA) ने एलईडी बल्बों की इकाई लागत में 75% से अधिक की कमी को संभव किया है।
  - पर्यावरण, वानिकी और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के साथ संयुक्त रूप से 'इन अवर लाइफटाइम' (In Our LiFEtime) अभियान शुरू किया है, जो 18 से 23 वर्ष आयुवर्ग के युवाओं से संवहनीय जीवनशैली के अनुकूल बनने और इसे बढ़ावा देने का आग्रह करता है और उन्हें प्रोत्साहित भी करता है। यह इस दिशा में एक अच्छा कदम है।
- **हरित परिवहन पर ध्यान केंद्रित करना:** सार्वजनिक परिवहन की पुनर्कल्पना करने और इसके प्रति भरोसे की पुनर्बहाली की आवश्यकता है। इस क्रम में अधिक बसों की खरीद, ई-बसों को अपनाने, बस गलियारों एवं रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के साथ ही सार्वजनिक परिवहन के डिजिटलीकरण जैसे प्रयास किये जा सकते हैं।

- जैव ईंधन द्वारा जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित किये जाने के साथ ही उत्सर्जन मानदंडों को कठोर बनाया जाना चाहिये।
- विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न इलेक्ट्रिक फ्रेट कॉरिडोर का विकास भी इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों को प्राप्त कर सकने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- **ऊर्जा संक्रमण के प्रति बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण:** भारत में भविष्य का विकास विभिन्न मोर्चों पर प्रत्यास्थता की मांग करेगा, जैसे ऊर्जा प्रणाली डिज़ाइन, शहरी विकास, औद्योगिक विकास एवं आंतरिक आपूर्ति-शृंखला प्रबंधन और गरीबों की आजीविका।
  - वितरित ऊर्जा प्रणालियों और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर भारत कमोडिटी आयात एवं विदेशी आपूर्ति शृंखलाओं के लिये अपने जोखिम को धीरे-धीरे कम कर सकता है।
  - भारत की विनिर्माण क्षमता और प्रौद्योगिकीय नेतृत्व उसे अवसर दे रहा है कि वह 'मेक इन इंडिया' का लाभ उठाते हुए देश को एक अधिक आत्मनिर्भर हरित अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी हरित ऊर्जा निर्यात केंद्र में बदल दे।
    - हरित ऊर्जा से संबद्ध चक्रीय अर्थव्यवस्था समाधान भारत की भविष्य की अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता बननी चाहिये।

चुनाव के संरक्षक निकाय को मज़बूत करना

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India- ECI) एक स्वायत्त और स्थायी संवैधानिक निकाय है जो भारत के संघ और राज्यों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराने के लिये उत्तरदायी है।

संविधान भारत निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानमंडलों, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के निर्वाचन के निर्देशन, अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति सौंपता है। ECI राज्यों में शहरी निकायों (जैसे नगर पालिकाओं) और पंचायतों के चुनावों से संबद्ध नहीं है। ECI निकट अतीत में भारत में चुनावों के संरक्षक निकाय के रूप में अपनी स्वतंत्रता और विश्वसनीयता को लेकर, विशेष रूप से मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner- CEC) की नियुक्ति के संबंध में, कई विवादों से प्रभावित रहा है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारत निर्वाचन आयोग का संघटन:

- मूल रूप से आयोग में केवल एक निर्वाचन आयुक्त होता था लेकिन 'निर्वाचन आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989' के बाद इसे एक बहु-सदस्यीय निकाय बना दिया गया।
- आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं।
  - मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  - इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) का होता है।
  - उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं।

निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ और ज़िम्मेदारियाँ:

- निर्वाचन के संबंध में आयोग के कार्यों और शक्तियों को तीन श्रेणियों (प्रशासनिक, सलाहकारी एवं अर्द्ध-न्यायिक) में विभाजित किया गया है। इन शक्तियों में शामिल हैं:
- देश भर में निर्वाचन क्षेत्रों की क्षेत्रीय सीमाओं का निर्धारण करना।
- मतदाता सूची तैयार करना और इन्हें समय-समय पर संशोधित करना तथा सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना।
- निर्वाचन के कार्यक्रमों एवं तिथियों को अधिसूचित करना और नामांकन पत्रों की जाँच करना।
- विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना तथा उन्हें निर्वाचन चिह्न आवंटित करना।
- आयोग के पास संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के मामले में सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी है।
- आवश्यकतानुसार किसी निर्वाचन क्षेत्र में उप-चुनाव (Bye-Elections) आयोजित कराने के लिये भी वह ज़िम्मेदार है।
- यह चुनाव के समय राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिये आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct- MCC)लागू करता है ताकि कोई भी अनुचित व्यवहार में लिप्त न हो या सत्ता में बैठे लोगों द्वारा शक्तियों का मनमाना दुरुपयोग न हो।

निर्वाचन आयोग से संबद्ध हाल के मुद्दे:

- **CEC का संक्षिप्त कार्यकाल:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में टिप्पणी की कि "वर्ष 2004 से किसी भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने छह साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है" और इस संक्षिप्त कार्यकाल के कारण CEC कोई विशेष भूमिका निभाने में असमर्थ रहा है।
  - **संविधान में विस्तृत प्रावधान का अभाव:** संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान तो करता है, लेकिन इस संबंध में वह केवल इस आशय के एक कानून के अधिनियमन की परिकल्पना करता है और इन नियुक्तियों के लिये कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है।
- **नियुक्ति पर कार्यपालिका का प्रभाव:** निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति वर्तमान सरकार द्वारा की जाती है और इसलिये वे संभावित

नोट :

रूप से सरकार के प्रति कृतज्ञ होते हैं या उन्हें ऐसा लग सकता कि उन्हें सरकार के प्रति एक विशिष्ट स्तर की निष्ठा का प्रदर्शन करना है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि यद्यपि एक निर्वाचन आयुक्त कुशल, सक्षम, पूर्ण ईमानदार और उत्कृष्ट सेवा रिकॉर्ड से लैस हो सकता है, लेकिन उसका एक व्यक्तिगत राजनीतिक झुकाव भी हो सकता है, जो संस्था की तटस्थता से समझौते की स्थिति बन सकती है।
- इसके साथ ही, संविधान ने सेवानिवृत्त होने वाले निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से संबद्ध किये जाने को अवरुद्ध नहीं किया है, इसलिये वे सरकार से अच्छे संबंध बनाए रखने को प्रवृत्त हो सकते हैं।

- **वित्त के लिये केंद्र पर निर्भरता:** ECI को एक स्वतंत्र निकाय बनाने के लिये अभिकल्पित विभिन्न प्रावधानों के बावजूद अभी भी इसके वित्त का नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है। निर्वाचन आयोग का व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं रखा गया है।
- **स्वतंत्र कर्मचारियों की कमी:** चूँकि ECI के पास स्वयं के कार्मचारी नहीं होते, इसलिये जब भी चुनाव आयोजित होते हैं तो उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है।
  - इस परिदृश्य में प्रशासनिक कर्मचारी सामान्य प्रशासन के साथ-साथ चुनावी प्रशासन के लिये भी ज़िम्मेदार होते हैं, जो आयोग की निष्पक्षता और प्रभावशीलता के लिये अनुकूल स्थिति नहीं है।
- **आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के लिये सांविधिक समर्थन का अभाव:** आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के लिये और निर्वाचन संबंधी अन्य निर्णयों के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के पास उपलब्ध शक्तियों के दायरे एवं प्रकृति के बारे में स्पष्टता नहीं है।
- **आंतरिक-पार्टी लोकतंत्र को विनियमित करने की सीमित शक्ति:** राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनावों के संबंध में ECI की शक्ति एवं भूमिका सलाह देने तक सीमित है और उसके पास राजनीतिक दल के अंदर लोकतंत्र को लागू करने या उनके वित्त को विनियमित करने का कोई अधिकार नहीं है।

आगे की राह:

- **निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की पुनर्कल्पना:** न्यायमूर्ति तारकुंडे समिति (1975), दिनेश गोस्वामी समिति (1990), विधि आयोग (2015) जैसी विभिन्न समितियों ने अनुशंसा की है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सलाह पर की जानी चाहिये जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों।
  - द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अनुशंसा की थी ऐसे कॉलेजियम में केंद्रीय विधि मंत्री और राज्यसभा के उपसभापति को भी शामिल किया जाना चाहिये।
    - अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2015) मामले में भी ECI के लिये एक कॉलेजियम प्रणाली की आवश्यकता जताई गई थी।
- **आयुक्तों की समकक्षता:** कार्यालय से निष्कासन के मामलों में ECI के सभी सदस्यों को समान संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिये। निर्वाचन आयुक्तों की पुनर्नियुक्ति पर अंकुश हो और एक समर्पित निर्वाचन प्रबंधन संवर्ग और कार्मिक प्रणाली का निर्माण किया जाना चाहिये।
- **आदर्श आचार संहिता का समर्थन:** ECI द्वारा प्रवर्तित आदर्श आचार संहिता के लिये सांविधिक समर्थन प्रदान करना आवश्यक है, विशेष रूप से जब सोशल मीडिया के चुनाव-संबंधी राजनीतिकरण की बात आती है।
- **चुनाव सुधार पर विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट:** रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय की तरह भारत निर्वाचन आयोग के लिये भी एक स्वतंत्र और स्थायी सचिवालय प्रदान करने के लिये अनुच्छेद 324 में संशोधन किया जाना चाहिये।
  - इसके अलावा, राज्य निर्वाचन आयोगों के लिये भी समान प्रावधान करने चाहिये ताकि चुनावों में उनकी स्वायत्तता और निष्पक्षता की भी गारंटी सुनिश्चित हो सके।

दृष्टि एडिटोरियल अभ्यास प्रश्न

1. आपराधिक कृत्यों के उभार ने भारतीय न्याय व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता की वृद्धि कर दी है। टिप्पणी कीजिये।
2. भारत में MSME क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियों को उजागर कीजिये और उनकी क्षमता को अधिकतम करने एवं भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिये आवश्यक सुधारों के सुझाव दीजिये।
3. भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण से संबद्ध प्रमुख मुद्दों की चर्चा कीजिये। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिये हाल की कुछ सरकारी पहलों का उल्लेख कीजिये।
4. ''डिजिटलीकरण भारत में केंद्रीकरण को प्रेरित कर रहा है।'' टिप्पणी कीजिये।
5. भारत में ओटीटी विनियमन से संबंधित प्रमुख मुद्दे कौन-से हैं? इस प्रसंग में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 की मुख्य विशेषताओं की भी चर्चा कीजिये।
6. अवरुद्ध वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के आलोक में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में व्याप्त प्रमुख अंतरालों की चर्चा कीजिये।
7. भारत में समान नागरिक संहिता के महत्त्व और इसके कार्यान्वयन की राह की बाधाओं पर विचार कीजिये।
8. ''स्थापित सौर क्षमता में महत्त्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद, देश के बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान उसी गति से नहीं बढ़ा है। चर्चा कीजिये।
9. चर्चा करें कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ने भारत में दिव्यांगता से संबद्ध कलंक को मिटाने में किस हद तक योगदान किया है?
10. मुद्रास्फीति का दबाव शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण भारत को कैसे अधिक प्रभावित कर रहा है? भारत में ग्रामीण विकास से संबंधित प्रमुख चुनौतियों के समाधान भी सुझाएँ।
11. भारत के अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियों के साथ-साथ अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने के लिये किये जा सकने वाले उपायों पर विचार कीजिये।
12. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि राज्यपाल का संवैधानिक पद 'केंद्र के एजेंट' होने के रूप में अधिक झुक गया है? राज्यपाल और राज्य विधायिका के बीच संघर्ष एवं संघर्षण के प्रमुख बिंदुओं की चर्चा भी करें।
13. भारत में भूजल तालिका के स्तर में गिरावट के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिये। इसके साथ ही, इस समस्या से निपटने के उपाय भी सुझाएँ।
14. भारत में जनजाति समुदायों के समक्ष विद्यमान प्रमुख मुद्दों की चर्चा कीजिये। जनजातियों को मुख्यधारा में लाने और जनजातीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये विभिन्न उपायों के सुझाव भी दीजिये।
15. प्रौद्योगिकीय प्रगति के साथ-साथ आतंकवाद के विकास पर चर्चा कीजिये। आतंकवाद के खतरे को रोकने के लिये अपनाए जा सकने वाले उपायों के सुझाव भी दीजिये।
16. एक खुले और मुक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में भारत के लिये आसियान के महत्त्व पर विचार कीजिये।
17. भारत की अब तक की मुक्त व्यापार समझौता (FTA) यात्रा का एक अवलोकन प्रदान कीजिये और देश की विदेश व्यापार नीति में प्रमुख परिवर्तनों के सुझाव दीजिये।
18. ''वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अवसंरचना विकास समय की आवश्यकता है।'' टिप्पणी कीजिये।
19. भारत में मौजूदा अर्बन स्पेस से संबंधित कुछ प्रमुख समस्याओं की चर्चा करें और बताएँ कि कैसे इसकी पुनर्कल्पना की जा सकती है।

नोट :

20. भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र हाल की सरकारी पहलों पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है?
21. भारत के लिये अंडमान और निकोबार के रणनीतिक एवं आर्थिक महत्त्व पर विचार कीजिये। इस क्षेत्र से संबंधित प्रमुख पर्यावरणीय एवं भू-राजनीतिक चुनौतियों की भी चर्चा कीजिये।
22. भारत कुपोषण के खतरे से कैसे निपट रहा है? समाज से इस समस्या का उन्मूलन किस प्रकार किया जा सकता है?
23. "भारत में कृषि संवहनीयता का मार्ग नेचुरल फार्मिंग से शुरू होता है।" चर्चा कीजिये।
24. भारतीय न्यायपालिका से संबंधित प्रमुख चुनौतियों की विवेचना कीजिये। भारतीय न्यायिक प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये कुछ अभिनव समाधान भी सुझाइये।
25. भारत के ऊर्जा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति पर विचार कीजिये और देश को हरित ऊर्जा की ओर आगे ले जाने के लिये अभिनव तरीके सुझाइये।
26. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) भारत में चुनावी लोकतंत्र का आधार है, लेकिन हाल में इसकी संस्थागत विश्वसनीयता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं। टिप्पणी कीजिये।

दृष्टि The Vision

नोट :